राजस्थान विधान सभा

५६ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक–१८ अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८–०७ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १४३४

किशनगढ़ से उदयपुर जाने वाली सड़क बनाने के सम्बन्ध में कुछ किसानों की भूमियों पर कब्जा

श्री चांदमल मेहता—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ से उदयपुर तक जाने वाली सड़क के बनाने में किन किन किसानों की कितनी २ जमीन पर सरकार द्वारा कब्जा किया गया ?

(ख) उक्त किसानों को कब कितने रुपये मुआवजे के रुप में दिये गये ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विभाग के अधिकारियों ने बारिश शुरू होने से पहिले सड़क का काम खत्म करने का आश्वासन दिया था ?

(घ) क्या यह सही है कि उदयपुर के किसानों की जमीनों पर कब्जा सरकार द्वारा कर लिया गया और अब सड़क का काम बन्द कर दिया गया हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) किशनगढ़ से उदयपुर जाने वाली सड़क के निर्माण के क्रम में अब तक पुजारी बृजमोहनदास को १३ बिस्वा और श्री श्योजीराम की १ बीघा ३ बिस्वा जमीन ली गई है ।

(ख) उनकी सम्मति द्वारा मुआवजा निर्णय किया जा रहा है ।

(ग) वर्षा तक सड़क निकाल देने की आशा थी और वह आशा पूर्ण भी हो गई ।

[श्री चन्दनमल वैद]

(घ) यह सही नहीं है। यह कार्य कभी बन्द नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—यह मुआवजे की कार्यवाही कब से शुरू की गई और कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री चन्दनमल वैद—जब जमीन एक्वायर की गई तब से ही मुआवजा देने की कार्यवाही चल रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किसानों से जितनी जितनी जमीन ली गई उसकी तस्दीक नहीं दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने आपको बताया कि दो आदमियों की ज़मीन ली गई और कितनी ली उसकी तादाद भी आपको बता दी; फिर यह कहना कि कितनी ली गई और नहीं ली गई, प्रश्न नहीं रहता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किसानों ने मांग की थी कि जितनी जितनी जमीन पर कब्जा किया गया है उसके लिए उनको तस्दीक दे दी जाय और सरकार द्वारा नहीं दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं समझा नहीं कि माननीय सदस्य का क्या मतलब है ? मैं यह बता चुका हूं कि जिनकी जमीनें ली गईं उनकी सम्मति से ही मुआवजे का प्रश्न तय किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—जमीन लेने के साथ ही किसानों ने यह मांग की थी कि जमीन जितनी ली जाय उस सम्बन्ध में उनको तस्दीक कर दी जाय कि इतनी जमीन ली गई।

श्री चन्दनमल वैद—जब उनकी सम्मति से ही जमीन ली गई तो फिर यह सवाल ही नहीं रहता है कि कितनी जमीन ली गई और दूसरी कोई कठिनाइयां भी नहीं आतीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि किसानों ने कुछ शर्तों पर जमीन देना स्वीकार किया था; जितनी जमीन पर कब्जा किया गया उसकी तस्दीक दे दी जाय और मुआवजे का प्रश्न तय किया जाय ? तो इस विषय में क्या किया गवर्नमेंट ने ?

श्री चन्दनमल वैद—मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी तय करदी जायगी।

Page No.3

प्रश्न संख्या १४३५

श्री अध्यक्ष—श्री धलजी भाई भावसार ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित- कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १४३६

धौलपुर से हरिजन विद्यार्थियों से लिया गया शुल्क वापिस करने सम्बन्धी

श्री हंसराज जटिया—क्या दलित वर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि डाइरेक्टर बैकवर्ड क्लास वैलफेयर की चि० नं० २३५८। एज्युकेशन ६६ डि. बी. सी. डब्ल्यु. ता० ६-७-५३ के अनुसार धौलपुर से हरिजन विद्यार्थियों से वसूल किया गया शुल्क वापिस कर दिये जाने को इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स अलवर से पूछा गया है ?

(ख) उस समय धौलपुर में किस किस स्कूल में हरिजन विद्यार्थियों से शुल्क वसूल किया गया ?

(ग) उस समय कौन अध्यापक थे और उक्त अध्यापकजी ने गवर्नमेन्ट के फीस माफ होने के विषय में ऐसा सर्क्युलर मालूम होते हुए भी किस अधिकार से शुल्क वसूल किया ?

(घ) क्या इस प्रकार के आज्ञा उल्लंघन करने वालों को सरकार की ओर से कोई दण्ड दिया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

(ङ) फीस वापिस न होने का क्या कारण है और अब क्या कार्यवाही जारी है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) हां

(ख) मिडिल स्कूल बाडी सब डिवीजन धौलपुर में २ हरिजन विद्यार्थियों से शुल्क वसूल किया गया ।

(ग) यह शुल्क वहां के प्रधानाध्यापक श्री दामोदरदयाल शर्मा ने अज्ञानता के कारण वसूल किया था ।

[श्री भोलानाथ]

(घ) हैडमास्टर को गम्भीर चेतावनी दे दी गई है ।

(ङ) शुल्क वापस करने की स्वीकृति दे दी गई है ।

प्रश्न संख्या १४३७

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १४३८

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूर चन्द ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १४३९

श्री सोहनलाल भटनागर—Will the Minister, Public works, be pleased to state :—

(a) What amount has been provided in the Budget for road development works in Rajasthan for the year 1954-55 ?

(b) Which works have been started upto the Ist of July, 1954 ?

(c) How much of the sanctioned amount has been spent upto Ist July, 1954 ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(a) According to the revised Five Year Road Development Plan of Rajasthan an the amount of Rs. 2 crores has been sanctioned for the current year.

(b) In case the intention of the Hon'ble member is to know the estimated cost of the works in progress it is Rs. 3,11,02,700/-. If, however, the intention is to find out the number of works in progress ii is 140.

(c) Rs. 25,21,185/11/- have been booked as expenditure upto the and of June 1954. The actual works done, however, may be taken at a figure of Rs. 27,73,000/-.

Page No.5

श्री सोहनलाल भटनागर—प्रथम पंचवर्षीय योजना के कितने वर्ष समाप्त हो चुके।

श्री चन्दनमल वैद—It is a known fact.

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या माननीय मंत्रीजी को विदित है कि कितनी ही सड़कें, जो पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं, अभी तक उन पर काम ही शुरू नहीं हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद—जिन सडकों का समावेश पंच वर्षीय योजना में किया गया है उनका काम उसी काल में समाप्त कर दिया जायगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—बजट में रकम मन्जूर हो जाने के बाद कई महिनों तक कार्य शुरू नहीं किया जाता, इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद—पहले छः महीने तो प्लान्स आदि के बनने में लग जाते हैं व दूसरे छ महिने में काम शुरू कर दिया जाता है; फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर करीब २५ लाख रुपया खर्च हो चुका है और बाकी का काम भी शीघ्र ही पूरा हो जायगा।

चौ० मोतीराम—गंगानगर इलाके में कितनी सड़कें मन्जूर हुई हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—यह अलग सवाल है।

चौ० मोतीराम—यह तो पंच वर्षीय कार्यक्रम का सवाल है, यह अलग कैसे हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद—यह बताना बड़ा मुश्किल है कि हिन्डौन में क्या कार्य शुरू हुआ है, व गंगानगर में क्या (कौनसी) सड़कें बनने वाली है, जब तक कि उसके लिए अलग नोटिस न हो।

श्री सोहनलाल भटनागर—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो टार्गेट मुकर्रर किया है क्या माननीय मंत्री जी को आशा है कि वह पूरा हो जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—निश्चय रूप से।

प्रश्न संख्या १४४०

सन् १९५४ में अलवर व भरतपुर जिलों में विस्थापित मेवों को भूमि

श्री अध्यक्ष—श्री भगवानसिंह।

(श्री चन्दनमल वैद, उपमंत्री द्वारा राजकीय दीर्घा से सूचना प्राप्त करने के उपक्रम पर)

कुंवर श्री जसवन्त सिंह—It is no Assembly, I am sorry to say.

Page No.6

श्री अध्यक्ष—The Assembly is there. But people are not behaving to the dignity of the house, that is a different thing.

Shri Bhagwan singh.

श्री भगवान सिंह—क्या पुनर्वास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् ५४ में अलवर व भरतपुर जिलों में विस्थापित मेवों को कितनी जमीनें दी गईं ?

श्री जवानसिंह—क्या सरकार को गैर हाजिर माना जाय।

कुं. श्री जसवन्तसिंह—अगर गवर्नमेंट इतनी केयरलेस है तो असेम्बली की छुट्टी कर दी जाय।

श्री चन्दनमल वैद—(उप मंत्री) जवाब दिया जा रहा है, आप जल्दी क्यों करते हैं ?

कुं श्री जसवन्तसिंह—आपकी नींद नहीं उड़ती, इसलिये कान फड़फड़ाने पड़ते हैं।

श्री चन्दनमल वैद—(उप मंत्री) अलवर में २७,८६३ बीघा।

भरतपुर जिले में १३,७८१ बीघा।

श्री भगवान सिंह—अभी तक भरतपुर के विस्थापितों को जमीन नहीं मिली है और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास जमीन थी वह भी छीन ली गई है, इसका क्या कारण है।

श्री चन्दनमल वैद—कुछ को नहीं मिली हो किन्तु हरेक को जमीन दे दी गई है।

श्री भगवानसिंह—सरकार उसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है जिनके पास ऑलरेडी जमीन थी और वह छीन ली गई

श्री चन्दनमल वैद—जल्दी से जल्दी जमीन देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जवानसिंह—कितने लोगों को जमीन नहीं दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद—जितनी जमीन बची थी उतनी दे दी गई।

श्री जवानसिंह—अभी तो आपने कहा सब को दे दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद—सेन्ट पर्सेन्ट को दे दी गई हो, ऐसी बात नहीं।

श्री जवानसिंह—सेन्ट पर्सेन्ट को नहीं दी गई, किस आधार पर यह आपने कहा है

श्री चन्दनमल वैद—अब तक सब को नहीं दी गई, इस आधार पर कहा है।

श्री जवानसिंह—अबतक सब को नहीं दी गई तो कितनों को देनी बाकी है ?

श्री भोलानाथ—इसका कारण यह है कि मेवों की जो होल्डिंग खाली थी वे दे दी गई।

श्री जवानसिंह—कितनों को जमीन देना बाकी है ?

श्री भोलानाथ—जिनका जमीन सम्बन्धी क्लेम था उनके भाग जाने के कारण वह जमीन शरणार्थियों को दे दी गई। जो जमीन मेवों को अलाॅट की गई थी उनके भाग जाने के कारण शरणार्थियों को अलाट कर दी गई। ऐसे बहुत कम मामले बाकी रह गये हैं जिनको जमीन अलाट नहीं हुई हो।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार को अन्दाज़ है कि इतने लोगों को जमीन देना बाकी है ?

श्री भोलानाथ—पोलिसी सम्बन्धी बात मैंने आपके सामने रखी, मेवों को जमीन देने के बारे में अलग से सवाल किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या १४४१

राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात् विद्युत प्रबन्ध किये गए नगर

श्री सोहनलाल—Will the Minister for P. W, D. please state:-

(a) How many new towns have been electrified after the formation of Rajasthan State ?

(b) What were the criteria for electrifying these towns ?

(c) How many new towns are to be electrifeid during the present five year period ?

श्री चन्दनमल वैद (उपमंत्री)

(a) The following five towns have been electrified after the formation of Rajasthan:-

[श्री चन्दनमल वैद]

(i) Dausa (ii) Deeg (iii) Hindaun (iv) Bari and (v) Sagwara.

(b) These towns were seleeted for electrification as they were considered to be good and promising ones to instal pilot scheme to develop rural electrification.

(c) It is expected that some 45 towns of Rajasthan will be electrified within the first five year plan.

श्री हिम्मतसिंह अटरु—बारां टाउन कब तक इलेक्ट्रिफाइड हो जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी उम्मीद की जाती है कि ४५ टाउन्स को इलेक्ट्रिफाइ किया जायगा। उसमें कौन कौन से टाउन हैं, यह एक्सटेम्पोर कहना मुश्किल होगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—इलेक्ट्रिफाइ करने के बारे में क्या मापदन्ड है ?

श्री चन्दनमल वैद—These towns were selected for electrification as they were considered good for pilot schemes.

श्री जवानसिंह—४५ टाउन्स लिये जायेंगे, उसमें पहले कौनसे और पीछे कौनसे ?

श्री चन्दनमल वैद—इसका कोई तरीका नहीं कि पहले कौनसा और पीछे कौनसा लिया जायगा। आखिर ५० टाउन्स लिये जावेंगे जिनको इलेक्ट्रिफाइ किया जायगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—पॉपुलेशन की बेसिस पर क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री चन्दनमल वैद—पांच टाउन नमूने की तौर पर लिये जायेंगे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—४५ टाउन्स में किन किन के नाम हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—यह अलग से सवाल है।

श्री भैरोंसिंह—इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया, इसका उत्तर स्पष्ट नहीं आया ?

श्री चन्दनमल वैद—I have said for purposes of rural electrification this selection was made.

Page No.9

श्री जवानसिंह—इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये क्या किसी माननीय मंत्री का मकान उस शहर में होना आवश्यक है ?

श्री चन्दनमल वैद—ये जो पांच टाउन लिये गये हैं मुझे उनमें से एक में भी किसी मंत्री का मकान मालूम नहीं होता ।

श्री जवानसिंह—क्या दौसा में मंत्री महोदय का मकान नहीं है ? क्या उनका मकान इलेक्ट्रिफाइ हुआ है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—दौसा में किस माननीय मंत्री का मकान है, मुझे पता नहीं ।

रावत श्री शम्भूसिंह—भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे को कब इलेक्ट्रिफाइ किया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—यह अलग से सवाल है ।

(प्रश्न संख्या १४४२ व १४४३ बाद में लिये गये)

प्रश्न संख्या १४४४

गंगापुर स्टेशन लिंक रोड पर व्यय तथा विस्तार ।

श्री रिद्धिचन्द—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगापुर स्टेशन लिंक रोड कहां तक बनी है ?

(ख) क्या यह पूरी शहर तक बनवाई गई है ?

(ग) इस सड़क पर कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

(घ) क्या इस सड़क पर डामर भी की गई है ? अगर हां, तो कितने बैरल डामर के खर्च हुए ?

(ङ) इस समय सड़क की स्थिति क्या है ?

(च) क्या अब सरकार इस सड़क को शहर तक बना कर तैयार करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चंदनमल वैद (उप मंत्री)—(क) गंगापुर स्टेशन लिंक रोड १७ चैन की लम्बाई में बनी है जो कि स्टेशन के फाटक से लेकर कब्रिस्तान तक है।

(ख) नहीं। पूरी लम्बाई ३६ चैन की होती है जो बनने पर शहर तक पहुँच जायगी।

(ग) इस सड़क पर ३१ जुलाई, सन् १९५४ तक ६,१५७) रु० खर्च हो चुके हैं।

(घ) इस बने हुए टुकड़े पर डामर भी की गई है और १३ बैरल डामर खर्च हुए हैं।

(ङ) इस समय सड़क की स्थिति ठीक है, कोई रुपया बरबादी में नहीं गया है। इसलिये कौन जिम्मेदार है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) ठेकेदार को सड़क बनाने के लिये ऑर्डर दिया जा चुका है और उम्मीद है कि तीन माह में पूरी सड़क बन जावेगी।

प्रश्न संख्या १४४५

जयपुर से गंगापुर तक बिजली ले जाना

श्री रिद्धिचंद—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर से जाने वाली बिजली गंगापुर कस्बे में कब तक पहुँच जावेगी ?

(ख) अब तक कितना रुपया इसमें खर्च हो चुका है ? बिजली के लट्ठे भेजने का कार्य धीमी गति से क्यों हो रहा है ?

(ग) क्या इस धीमी गति से यह आशा की जा सकती है कि इस वर्ष के बजट में ही मंजूर शुदा रुपया खर्च हो कर काम पूरा हो सकेगा ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) आशा है कि दौसा से गंगापुर तक बिजली की लाइन मार्च, १९५५ के अन्त तक पहुँच जावेगी।

(ख) अब तक इस कार्य में जून, ५४ के अन्त तक रु० ५८,७४७।१३।३ व्यय हो चुके हैं,

इस लाइन के लिये आवश्यक सामान थर्मल स्टेशन्स एसोसियेशन की सहायता से लिया जायगा। इसके खरीदने का कार्य डी. जी. एस. डी. द्वारा हो रहा है। जब तक यह सामान न मिल जावे, लट्ठों आदि के भेजने का कार्य आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

Page No.11

[श्री चन्दन मल वैद]

(ग) यह सामान मिलने पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न संख्या १४४६

चालू वर्ष में किशनगढ़ सब डिविजन में बीड़

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) चालू वर्ष में किशनगढ सब डिविजन में कितने नये बीड़ रक्खे गये है ?

(ख) उक्त बीडों का कितना क्षेत्रफल है और वे कहां कहां स्थित हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त बीड़ों के रखने से मवेशियों के लिये चारागाह की कमी हो गई है ?

(श्री वन मंत्री की अनुपस्थिति पर)....

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I would really appeal to you, Mr. Speaker, what the people sitting in the visitors gallery might be thinking of it. It is a pity really. If the Ministers of the Government are not ready, the House should be adjourned. I am sorry to say that they are not behaving quite properly. They may be the laughing stock of the people, Sir, but when the whole House becomes the laughing stock, then it is regrettable. We know the Government has become shameless. They do not mind being laughed at, but as far as we are concerned I would very respectfully submit that we should at least see that the Ministers of the Government behave properly.

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—यह बात ठीक है कि वन मन्त्री महोदय नहीं आ सके ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्यों नहीं आ सके, तनख्वाह पाते हैं ?

श्री भोलानाथ—बाहर गये हुए थे । बाहर जाकर आने की वजह से कुछ देर हो जाती है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मुफ्त में काम नहीं कर रहे हैं । They are being paid very fat salaries and it is their duty........

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—तबियत बिगड़ गई होगी ?

श्री चन्दनमल वैद—आपसे (श्री जसवन्तसिंह से) ज्यादा फैट तो वे नहीं हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरे से फेट नहीं हैं यह कोई उत्तर नहीं है......

श्री अध्यक्ष— (श्री भोलानाथ से) आप तो उत्तर दीजियेगा साहब।

श्री भोलानाथ—यह जवाब उनको नेक्स्ट टर्न पर दे दिया जावेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जवाब देने न देने का सवाल नहीं है। डिस्कर्टसी जानबूझ कर हाउस की तरफ दिखाई जाती है सरकार की तरफ से। इससे हमें सख्त ऐतराज है। अगर सवाल का जवाब देने की उनकी तैयारी न हो तो हाउस की मीटिंग न करें तो अच्छा है।

श्री हजारीलाल शर्मा [व्यंगात्मक रूप से]—इसे प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—No question of referring it to the Privilege Committe. If the Hon' ble Mambers have any objection, they have every right of speaking on the floor of the House.

(उपरोक्त प्रश्न संख्या १४४६ का उत्तर बाद में दिया गया)

नेक्स्ट, श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

प्रश्न संख्या १४४७

गंगापुर मलारना (सवाई माधोपुर होती हुई) सड़क का जीर्णोद्धार

श्री रिद्धिचन्द—क्या निर्माण मन्त्री निम्निलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

गंगापुर से मलारना होते हुए सवाई माधोपुर जाने वाली सड़क, जो बिना मरम्मत के बहुत खराब हो गई है, को ठीक कराने के लिये क्या योजना है और कब तक यह कार्य शुरु कर दिया जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद—यह कच्ची सड़क है जिसकी मरम्मत बराबर की जाती है। बरसात में खराब हो जाती है, बरसात के बाद ठीक कराई जावेगी।

प्रश्न संख्या १४४८

गंगापुर हाई स्कूल भवन में टूट फूट हो जाने के कारण ठेकेदार, ओवरसियर व इन्जीनियर के विरूद्ध कार्यवाही

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) हाई स्कूल बिल्डिंग, गंगापुर कितने रुपयों की लागत से तैयार हुई हैं और उसका काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ?

(ख) किस ठेकेदार द्वारा यह इमारत तामीर करवाई गई ? किस ओवरसियर के सुपरविजन में यह काम हुआ और किस इन्जीनियर ने इसे एप्रूव किया ?

(ग) क्या यह भी सच है कि इस स्कूल की दीवारें फूट गई हैं और छत पोली मिट्टी से बनाई गई है जो कि बरसात में बुरी तरह चूती (पानी टपकता) है व एक भी कमरा ऐसा नहीं है जो बरसात में न चूता हो ?

(घ) सरकार ने इस स्कूल के बनाने वाले ठेकेदार, ओवरसियर व इन्जीनियर के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं की है तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) हाई स्कूल बिल्डिंग, गंगापुर लगभग १,६५,०००) की लागत से तैयार हुई । प्रथम बार यह कार्य दिनांक १५ जुलाई, सन् १९४६ को आरम्भ होकर दिनांक २५ अगस्त, १९४८ को समाप्त हुआ तथा द्वितीयबार अतिरिक्त कार्य दिनांक १२ फरवरी, १९५१ को आरम्भ होकर दिनांक २२ फरवरी, १९५२ को समाप्त हुआ ।

(ख) प्रथम बार का काम ठेकेदार मलावाराम के द्वारा कराया गया तथा द्वितीयबार का काम ठेकेदार राधेश्याम द्वारा कराया गया । प्रथम बार जब ठेकेदार मलावाराम ने काम किया तब ओवरसीयर, श्री अंतलेश्वर नाथ तथा असिस्टेन्ट इन्जीनियर, श्री इन्द्रदत्त भार्गव और एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर, श्री एम. एम. पाटनी की अध्यक्षता में कार्य समाप्त हुआ । द्वितीय बार जब ठेकेदार राधेश्याम द्वारा काम कराया गया तब ओवरसीयर, श्री प्रेमचन्द सिंधी तथा असिस्टेन्ट इन्जीनियर, श्री चन्द्रप्रकाश शोरेल और एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर श्री हरिदत्त की अध्यक्षता में काम समाप्त हुआ ।

(ग) नहीं

Page No.14

[श्री चन्दनमल वैद]

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां की तमाम छतें चूती है और दीवारों का प्लास्टर जो है वह खत्म हो गया है और वे क्रेक भी हो गई है, यह गलत है ?

श्री चन्दनमल वैद—'नहीं', मैंने बताया है ।

श्री श्रीदास गोयल—अगर मौके पर जाकर ऐसा बताया जाय तो ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसा हो नहीं सकता, हो कैसे ? हमने जांच करवाली है ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि इसकी सूचना स्कूल के मास्टर ने भी मन्त्री महोदय को दी है ?

श्री चन्दनमल वैद—जी नहीं ।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार के कागजात डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के पास इस वक्त भी पड़े हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—मुझे पता नहीं । मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री श्रीदास गोयल—जिस सूचना के आधार पर आपने जवाब दिया है, प्रश्न भाग (ग) का कि दिवारों और छत की हालत वैसी नहीं है खराब, जैसी प्रश्न में बताई गई है; तो उसके मुतल्लिक आप क्या जांच करावेंगे कि दर असल में जो इनफॉर्मेशन यहां दी गई है वह सही है या गलत है ?

श्री चन्दनमल वैद—जांच कराने के बाद ही जवाब दिया गया है ।

श्री श्रीदास गोयल—जब एक माननीय असेम्बली के सदस्य जोउस कॉन्स्टीच्युएन्सी से सम्बन्धित हैं और जो रोजाना वहां की हालत देखते हैं, जो इत्तला देते हैं उस पर विश्वास बमुकाबले सरकारी कर्मचारियों के नहीं किया जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद—विश्वास उस पर किया जावेगा, जो मैं जवाब दे रहा हूँ ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्रीजी स्वयं वहां जाकर सारी बातों की जांच करने को तैयार हैं ?

Page No.15

श्री चन्दनमल वैद—जांच करने के बाद ही यह जवाब दिया गया है। अब जांच और करने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय उपमंत्रीजी स्वयं इस बात की पूरी जांच करने के लिए मौके पर जाकर देखने का कष्ट करने को तैयार होंगे?

श्री चन्दनमल वैद—हर जगह मौके पर जाना मुमकिन मालूम नहीं पड़ता।

श्री श्रीदास गोयल—अगर कोई सूचना वास्तविक रूप से तथ्यपूर्ण नहीं है तो उसकी वास्तविकता की जांच करने के लिये कोई रास्ता आप अपनाने को तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री श्रीदास गोयल—एक प्रश्न और। यदि माननीय उपमंत्रीजी स्वयं मौके पर नहीं पधार सकें तो क्या वे किसी दूसरे जिम्मेदार अधिकारी को भेजने को तैयार हैं?

श्री चन्दनमल वैद—आपको बतलाया गया है कि जांच के बाद ही जवाब दिया गया है। अब और जांच की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—क्या जांच के समय प्रश्नकर्ता महोदय से भी पूछा गया था वहां पर?

श्री चन्दनमल वैद—प्रश्न जब हमारे पास आता है तो उस पर पूरी निगाह रखकर माकूल जवाब ही दिया जाता है, इसलिये प्रश्नकर्ता से पूछने का कोई सवाल नहीं रहता। जो फैक्ट है वह फैक्ट है, प्रश्नकर्ता कहें या न कहें और जो फैक्ट है वह मैं आपको बता चुका हूँ और प्रश्नकर्ता महोदय भी सुन चुके हैं।

श्री भैरूसिंह—क्या जांच के समय यह आवश्यक नहीं समझा गया कि प्रश्नकर्ता, जो स्वयं उस क्षेत्र के हैं, उनको जांच के समय बुला लिया जाता।

श्री अध्यक्ष—आवश्यक और अनावश्यक समझे जाने की कोई बात नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही स्थिति नहीं है कि वास्तव में वहां बच्चे बरसात में भीगते रहते हैं?

श्री चन्दनमल वैद—अगर कमरे से बाहर आते होंगे तो बरसात से भीगेंगे ही, कमरे में बैठे रहेंगे तो भीगने का कोई प्रश्न नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—मैदान की बात नहीं है। स्कूल में, कमरों में जहां वे बैठते हैं उन कमरों की यह हालत हो गई है कि उनकी छतों में से पानी चूने लग गया है।

श्री चन्दनमल वैद—ऐसा नहीं है।

श्री भवानी सहाय—क्या यह मान लिया जाय कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कमरों में नहीं?

श्री चन्दनमल वैद—पढ़ते हैं कमरों में और खेलते हैं बाहर मैदान में। खेलने का समय दूसरा होता है और पढ़ने का दूसरा।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!! इसमें मुख्य प्रश्न यह है कि जो गवर्नमेन्ट की ओर से जवाब दिया गया है उससे माननीय सदस्यों को सन्तोष नहीं है और वे इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं कि यह उत्तर ठीक नहीं है। हाउस ने अपनी रिजेन्टमेन्ट प्रकट की है कि इस प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य का भी कहना है कि यह जवाब ठीक नहीं है। इस बारे में माननीय सदस्य मुझ से चैम्बर में मिलें, बाद में इसका हल सोचेंगे कि किस तरह से जवाब ठीक से मिल सकता है।

(करतल-ध्वनि)

नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १४४९

कपड़ा नियन्त्रण से मुक्त तथा व्यापारियों को मासिक स्टॉक

श्री चांदमल मेहता—क्या रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि कपड़े को कन्ट्रोल से मुक्त किया जा चुका है?

(ख) क्या यह सही है कि कपड़े के व्यापारियों को माहवारी स्टॉक देने के लिये आज्ञा जारी की गई है?

(ग) यदि हां, तो क्यों?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां।

(ख) कपड़े के व्यापारियों को माहवारी स्टॉक देने के लिये पृथक् आज्ञा जारी नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन के अराई तहसील के व्यापारियों के पास कपड़े का स्टॉक देने के सम्बन्ध में आज्ञा पहुँची है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह ठीक नहीं है। मैं भी वहां गया था। व्यापारियों ने मुझे भी कहा था पर जांच करने पर मालूम हुआ कि ऐसी कोई आज्ञा सरकार की ओर से नहीं दी गई ?

श्री चांदमल मेहता - और जो आज्ञा उनके पास पहुँची है उसको क्या फर्जी माना जावे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई ऐसी आज्ञा पहुँची हो, ऐसा मालूम नहीं होता। अगर मालूम होगा तो जरूर इस सम्बन्ध में जरूरी कार्यवाही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—मालूम के लिए माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि वहां के व्यापारियों ने उनसे भी कहा था इसलिए उनको है। मैं यह पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसी आज्ञा दी उनके खिलाफ वे क्या कार्यवाही करने को तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे मौखिक रूप से कहा था उन्होंने। उनका कोई प्रतिवेदन नहीं था और न राइटिंग में कोई आज्ञा बताई गई। इस पर भी मैंने जांच की और इसको गलत पाया।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय अब और इसकी जांच के लिये तैयार हैं कि ऐसी आज्ञा क्यों और किस कारण से निकाली गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं पहले कह चुका हूँ कि ऐसी कोई आज्ञा नहीं निकाली गई है। फिर भी अगर व्यापारियों के पास ऐसी कोई आज्ञा पहुँची है तो आप मुझे वह बताएं। जरूर उसकी जांच की जावेगी और जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह अवश्य की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार इस गलतफहमी को दूर करने के लिये, आइन्दा इस प्रकार का हिसाब पेश करने की आज्ञा सरकार की नहीं है, ऐसी विज्ञप्ति निकाल देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नियमानुसार जिन चीजों की उनको पाबन्दी करनी है वह तो उन्हें अवश्य करनी होगी। पर जिस तरह आपने (श्री चांदमल ने) बताया माहवारी कपड़े का स्टॉक पेश करने की आज्ञा की बात, सो वैसी कोई बात जरूरी नहीं है।

Page No.18

प्रश्न सं० १४५०

सरवाड तहसील के मदनसरोवर तालाब की नहर बढाना

श्री चांदमल मेहता—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) सरवाड़ तहसील के तालाब मदनसरोवर के पीछे कितने बीघा नहरी जमीन है ?

(ख) उक्त तालाब के भर जाने पर कितने बीघों के लिये पानी पर्याप्त रहता है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त तालाब की नहर बढ़ाने से काफी नई जमीन की सिंचाई हो सकती है ?

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद—(क) तालाब मदनसरोवर के पीछे ४ हजार बीघा (कच्ची बीघा) नहरी जमीन है।

(ख) उक्त तालाब के भर जाने पर ५ हजार बीघा जमीन के लिए पानी पर्याप्त हो सकता है।

(ग) हां, हो सकती है।

(घ) नहर बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—यह कार्यवाही कब शुरू की गई और कब समाप्त हो जायगी ?

श्री चन्दनमल वैद—कार्यवाही की जा रही है। कब समाप्त हो जायगी, यह निश्चित तरीके से नहीं बता सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—कब शुरू की गई ?

श्री अध्यक्ष—निकट भूत में की गई थी।

श्री चांदमल मेहता—कब से जांच की जा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद—नहर बढ़ाई जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच कब शुरू हुई ?

Page No.19

श्री **चन्दनमल वैद**—जब यह मालूम हुआ कि पानी ज्यादा है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह जानकारी इस प्रश्न के आने के बाद हुई है ?

श्री **चन्दनमल वैद**—इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या इसके बाद ऐसी जानकारी हुई या इस प्रश्न के बाद जानकारी हुई ?

श्री **चन्दनमल वैद**—यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ कि आपके प्रश्न करने के बाद काम शुरू हुआ या पहले।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस प्रश्न के आने से पहले सरकार के ख्याल में कोई जानकारी नहीं थी ?

श्री **चन्दनमल वैद**—इसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने कुछ काम बताया। आप भी तो सरकार के अंग हैं।

प्रश्न सं० १४५१

ग्राम हादिया (त० अरांई) के तालाब धनसागर की नहरी भूमी में सिंचाई

श्री **चांदमल मेहता**—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम हादिया (तहसील अरांई) के तालाब धनसागर के पीछे कितनी नहरी जमीन है ?

(ख) उक्त जमीन में से पिछले ५ वर्ष में कितनी कितनी जमीन की सिंचाई की गई है ?

(ग) उक्त कमी के क्या कारण हैं ?

श्री **चन्दनमल वैद**—(क) तालाब धनसागर में १०५६ बीघा नहरी जमीन है।

(ख) तालाब धनसागर में सं० २००७ में तो १०५५ बीघा, सं० २००८ में कुछ नहीं, सं० २००६ में ९४२ बीघा ३ बिस्वा, और सं० २०१० में १७२।।। बीघा ३ बिस्वा जमीन की सिंचाई की गई।

Page No.20

[श्री चन्दनमल वैद]

(ग) वर्षा कम होने की वजह से पानी कम आया जिससे कि पूर्ण सिंचाई न हो सकी।

श्री चांदमल मेहता—क्या सही है कि उक्त तालाब के फीडर वेरेज तैयार नहीं होने के कारण उसमें पानी पूरा नहीं आया ?

श्री चंदनमल वैद—मेरी सूचना यह है कि बरसात कम होने के कारण तालाब में पानी पूरा नहीं आया।

श्री चांदमल मेहता—क्या जिन सालों में सिंचाई कम होने के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है उन सालों में अन्य तालाबों में पूरा पानी रहा है और उनसे काफी सिंचाई हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि किन २ तालाबों में ज्यादा पानी आया है और किन किन में कम, लेकिन यह सूचना है कि बरसात कम होने के कारण इस तालाब में पानी पूरा नहीं भरा इस वास्ते सिंचाई कम हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि इस साल भी फीडर तैयार कराने के बाद भी फीडर खराब होने से पानी तालाब में नहीं आकर तालाब के बाहर जमा रहता है ?

श्री चंदनमल वैद—यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसके लिए मैं तैयार होकर नहीं आया हूँ कि आपको जबाब दे सकूं।

श्री चांदमल मेहता—यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है कि तालाब में पानी क्यों नहीं आता है। क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच कराने के लिये तैयार हैं कि किसकी गफलत की वजह से सिचाई कम हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद—नहीं साहब, इसमें जांच कराई जाय, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि किसकी गफलत से सिंचाई कम हो रही है।

प्रश्न संख्या १४५२

विभागीय आयव्ययक की प्रति असिस्टेन्ट इन्जीनियर सिरोही के कार्यालय को भेजा जाना

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभागीय बजट की प्रतियां अभी तक जिला दफ्तरों में नहीं पहुँची हैं ?

[श्री जवानसिंह]

(ख) अगर पहुँची है तो सिरोही जिले के 'एसिस्टेन्ट इन्जीनियर' के कार्यालय में कब पहुँची हैं ?

श्री **चन्दनमल वैद**—(क) बजट को एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर कन्ट्रोल करता है और टेन्डर वगैरह सब उसी के दफ्तर में होते हैं। बजट की पूरी प्रति असिस्टेन्ट इन्जीनियर के कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं समझी जाती। जैसे जैसे काम मंजूर होता है उनको इत्तिला दे दी जाती है। असिस्टेन्ट इन्जीनियर का दफ्तर जिला दफ्तर नहीं समझा जाता है। पी. डब्ल्यू. डी. का डिवीजन ऑफिस एक्जीक्युटिव इन्जीनियर का होता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री **जवानसिंह**—असिस्टेन्ट इन्जीनियर को सूचना कब मिलती है कि कौनसा काम मन्जूर हुआ और कौन सा नहीं ?

श्री **चन्दनमल वैद**—ज्यों ही काम मन्जूर होता है उसके सिलसिले में जो बजट होता है वह भेज दिया जाता है।

श्री **जवानसिंह**—प्रश्न यह है कि बजट पास होने के बाद कौन कौन सा काम करेंगे, वह सूचना असिस्टेन्ट इन्जीनियर को कब मिलती है ?

श्री **चन्दनमल वैद**—ज्यों ही एस्टीमेट्स सेन्क्शन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हुआ कि उसके बाद असिस्टेन्ट इन्जीनियर को भेज दी जाती है कि यह काम आपको सारा पूरा करना है और उसके बाद में उससे सम्बन्धित बजट की प्रति उनके पास भेज दी जाती है।

श्री **जवानसिंह**—सिरोही जिले में इस मौजूदा साल के बजट के सम्बन्ध में कौनसे काम मन्जूर हुए और उनके बारे में सम्बन्धित बजट की प्रति कब भेजी गई ?

श्री **चन्दनमल वैद**—यह अलग प्रश्न है।

श्री **जवानसिंह**—यह प्रश्न इससे सम्बन्धित है कि क्या क्या काम मन्जूर हुए इस साल में और उसकी सूचना असिस्टेन्ट इन्जीनियर को कब दी गई ? विभागीय बजट की प्रति सिरोही इन्जीनियर के कार्यालय में पहुँची या नहीं ?

श्री **चन्दनमल वैद**—मेरा कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है। ज्योंही काम सेन्क्शन हुआ कि उससे सम्बन्धित आंकड़े भेज दिये जायेंगे। अगर कोई काम सेन्क्शन हुआ होगा तो उसकी प्रति जरूर पहुँची होगी।

Page No.22

श्री जवानसिंह—सरकार की निश्चित सूचना क्या है ? आंकड़े सिरोही जिले में असिस्टेन्ट इन्जीनियर के दफ्तर में सेन्क्शन होकर पहुँचे या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—जो काम सेन्क्शन हुआ होगा उसकी प्रति उनके पास पहुँची होगी

श्री जवानसिंह—सरकार को इस मामले में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं कि कोई काम मन्जूर हुआ या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—यह अलग प्रश्न है कि कोई काम मन्जूर हुआ या नहीं।

श्री जवानसिंह—सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किसी तरह का काम कराने के लिए सिरोही के असिस्टेन्ट इन्जीनियर को सूचना दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं पहले बतला चुका हूँ कि अगर कोई काम सेन्क्शन हुआ तो उसकी प्रति जरूर पहुँचती है। अगर सेन्क्शन नहीं हुआ तो कोई प्रति नहीं पहुँचेगी।

श्री जवानसिंह—'अगर मगर' के अलावा निश्चित उत्तर भी देना जानते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री चन्दनमल वैद—बशर्ते कि निश्चित सवाल किया जाय।

प्रश्न संख्या १४५३

अराई तहसील के बीड़ों की भूमि में काश्त

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अराई तहसील में कितने बीड़ हैं और वे कहां कहां हैं ?

(ख) उक्त बीड़ों में से इस वर्ष किन २ बीड़ों में कितनी २ जमीन में काश्त हुई है ?

(ग) उक्त जमीनों में काश्त कराने के क्या कारण हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) अराई तहसील में निम्न लिखित बीड़ निम्न लिखित स्थानों में हैं :

नाम जगह	नाम बीड़
अराई	जोधावाला

[श्री अमृतलाल यादव]

झीरोता	डोहली
लांबा	लांबा
डसूक	डसूक
गोदियाना	गोदियाना
माला	माला
डांग	सिरोली डांग, डांगडा, हिरोला ।
मुडोलाब	मुडोलाब
भामोलाब	चक, बड़ा
सिरोंज	सिरोंज

(ख) इस वर्ष काश्त किसी बीड़ में नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उटता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि लांबा के बीड़ में बहुत बड़ी तादाद में काश्त हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच कराने के लिये तैयार हैं कि उसमें कितनी जमीन काश्त हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने जवाब दे दिया कि इस वर्ष नहीं हुई है ।

श्री चांदमल मेहता—मैं इस वर्ष के लिए जांच कराने के बारे में मंत्री महोदय से कह रहा था कि क्या वे इस बात की जांच कराने को तैयार हैं कि इस वर्ष काश्त हुई है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—अवश्य ।

श्री चांदमल मेहता—क्या बाली का बीड़ अराई तहसील में नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मुझे मालूम नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस बीड़ में काश्त हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने यह सूचना दी है कि इस वर्ष काश्त नहीं हुई है और अब आप सूचना दे रहे हैं तो मैं जांच कराने के लिये तैयार हूँ। मेरे पास सूचना है कि इस वर्ष काश्त नहीं हुई है, वह मैंने आपको बतला दिया।

श्री चांदमल मेहता—जांच कराने के लिये जो कहा था वह तालाब के बारे में था, बाली के बीड़ के बारे में नहीं। तो बाली बीड़ है या नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—गोली का?

श्री चांदमल मेहता—जी।

श्री अमृतलाल यादव—जो मेरे पास सूचना है इसमें एक बीड़ है वह डोरली का है। आप बीड़ गोली का कह रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या चांदा में कोई बीड़ है आपकी लिस्ट में?

श्री अमृतलाल यादव—मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका मकसद तो यह है कि किसी बीड़ में काश्त हुई है या नहीं। मेरे पास जो कुछ सूचना है वह यह है कि इस वर्ष काश्त नहीं हुई है। अगर आपके पास सूचना है तो मुझे बताइये मैं जांच करालूंगा।

श्री चांदमल मेहता—मेरा सवाल यह है कि कौन कौन से बीड़ हैं कि उन बीड़ों को छोड़ दिया है। मैं जानकारी चाहता हूँ कि वह बीड़ है या नहीं। दूसरा यह कि काश्त हुई उसकी जांच कराई जाय। अगर जानकारी नहीं दे सकते हैं तो लांबा के बारे में जांच कराने के लिए कहा है उसी तरह से चांदा में वह बीड़ है या नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—जो मेरे पास सूचना आई है तो उसमें सब बीड़ों के नाम दर्ज हैं। यदि भूल से कोई बीड़ रह गया होगा तो रह गया होगा। आप......

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय आयन्दा के लिये ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरह के जवाब देने का मौका नहीं आये कि 'रह गया होगा'; अपने अधिकारियों पर कन्ट्रोल करके ठीक जवाब देने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री अमृतलाल यादव—हां, जरूर करेंगे।

प्रश्न संख्या १४५४

सिरोही जिले में रोड रोलर की कमी

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जवानसिंह]

(क) सिरोही जिले में 'रोड रोलर' चालू हालत में कितने हैं ?

(ख) क्या सिरोही जिले की विभिन्न सड़कों का काम चालू होते हुए भी ये पर्याप्त हैं ? अगर नहीं, तो इस ओर क्या कदम लिये जा रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद(उप मंत्री)-(क) सिरोही जिले में रोड रोलर चालू हालत में दो हैं।

(ख) काम का लोड देखते हुए ये दो रोड रोलर काफी नहीं हैं। नये रोलर के लिए गर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के डिस्पोज़ल डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया जा चुका है और जल्दी ही आने की आशा है।

श्री जवानसिंह—रोड रोलर जो चालू हालत में दो बतलाये गये हैं वे कब से चालू हालत में हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—माननीय सदस्य का सवाल टेढ़ा है कि कब से और कहां से वह चालू हालत में हैं ? मरम्मत बीच में होती है। मशीनरी है, यह पता लगाना ज्यादा मुश्किल है कि रोड रोलर कितने दिन से चालू हालत में हैं, कब मरम्मत हुई और कौनसा पुर्जा लगाया गया ?

श्री जवानसिंह—लेकिन इस समय जो दो रोड रोलर चालू हालत में हैं उनके बारे में सरकार ने जो अज्ञानता प्रकट की है उस पर मुझे खेद है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस परी गर्मी में करीब २ या ३ महीनों तक रोड रोलर्स बिल्कुल बेकार पड़े रहे। मैंने जब प्रश्न पूछा उस समय तक कोई रोलर चालू हालत में नहीं था इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद—इस समय वहां पर दो रोड रोलर्स चालू हालत में हैं। हो सकता है कि गर्मी में दो तीन माह तक खराब हो गये हों लेकिन इस समय दो रोड रोलर्स चालू हालत में हैं।

श्री जवानसिंह—क्या उन रोड रोलर्स को ठंडक के लिये आबू भेजा जायगा ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या १४५५

आबू स्थित राजस्थान की कोठियों पर व्यय तथा उनकी आय

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.26

[श्री जवानसिंह]

(क) आबू स्थित राजस्थान की कितनी कोठियां हैं ?

(ख) उपरोक्त तमाम कोठियों की कीमत कितनी है ?

(ग) उपरोक्त कोठियों का सालाना मेंटेनेन्स खर्च कितना है ?

(घ) उपरोक्त कोठियों से सरकार को सालाना क्या आय है ?

(ङ) क्या उपरोक्त कोठियों की दशा संतोषजनक है ?

(च) क्या उपरोक्त कोठियों को बेचने का भी इरादा है ?

(छ) क्या मंत्रियों के लिये विशेषतया कोई कोठी रखी जाती है और अगर हां, तो कौनसी कोठी ?

(ज) उस कोठी पर सालाना मेंटेनेन्स का क्या खर्चा है ?

श्री चंदनमल वैद (उप मंत्री)—आबू पर राजस्थान की ६ कोठियां है और एक प्लॉट है।

(ख) इन कोठियों की केपिटल कॉस्ट करीब रु० ३३२००० है।

(ग) इन कोठियों का सालाना मेन्टेनेन्स ७५४० रू० है।

(घ) इन कोठियों से सालाना आय करीब ३५०० रू० है।

(ङ) हां। जो जीर्ण दशा में थीं उनकी कुछ मरम्मत अब करा दी गई है। इन में से कुछ कोठियों की दशा सन्तोषजनक नहीं है।

(च) यह विषय विचाराधीन है।

(छ) मन्त्री महोदय के लिये विशेषतया कोई कोठी नहीं रखी गई है, मगर ग्रेन्ज कोठी डाक बंगले के तरीके से रखी गई है जो कि सब गवर्नमैंट ऑफिसर्स, जो ड्यूटी पर जावें इसके लिये है।

(ज) इस कोठी पर सालाना खर्चा १४५० रू० है।

श्री जवानसिंह—क्या इन कोठियों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद—जरूर सुनिये ।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में उनके पास देख लीजिये ।

श्रीचन्दनमल वैद—अगर नाम सुनना चाहें तो मैं सुना देता हूं : (१) जोधपुर वकालत हाउस (२ ग्रेन्ज कोठी (३) नोन थ्रोप (४) धौलपुर हाउस (५) किशनगढ़ वकालत हाउस (६) जेनिंग हाउस ।

श्री जवानसिंह—क्या पिछली गर्मियों में ये तमाम किराये पर लगी हुई थीं ?

श्री चन्दनमल वैद—जी नहीं ।

श्री जवानसिंह—कितनी बेकार पड़ी रहीं ?

श्री चंदनमल वैद—जेनिंग हाउस और जोधपुर वकालत हाउस तो प्रायः हर साल किराये पर लग जाते है परन्तु ग्रेन्ज कोठी, नोन थ्रोप और धौलपुर हाउस हाई लेवल पर हैं और बाजार से दूर हैं इसलिये किराये पर नहीं लगते हैं और किशनगढ़ वकालत हाउस जीर्ण दशा में है इसलिये किराये पर नहीं उठता ।

श्री हिम्मतसिंह—यह नोन थ्रोप किस की कोठी है ।

श्री चंदनमल वैद—यह किस स्टेट की कोठी है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । यदि आपको मालूम हो तो बतला दीजिये ।

श्री हिम्मतसिंह—मैं ख्याल करता हूं कि शायद इसका नाम नन थ्रोप है ।

श्री चन्दनमल वैद—ऐसा भी हो सकता है । मैं अंग्रेजी का इतना माहिर नहीं हूं ।

श्री जवानसिंह—इन कोठियों को बेचने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री चन्दनमल वैद—बेचने आदि के सारे प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं । जब निश्चित बात तय हो जायगी तो माननीय सदस्य को सूचना दी जायगी ।

श्री जवानसिंह—ये प्रश्न कब से विचाराधीन हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—बहुत दिनों से विचाराधीन हैं और बहुत दिनों तक विचाराधीन रहेंगे ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सही है कि किशनगढ़ वकालत हाउस महाराजा के कब्जे में है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सही नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—इस कोठी की मरम्मत कराने का सरकार सोच रही है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद—सरकार यह सोच रही है कि इसकी मरम्मत में पैसे लगाये जांय या नहीं, अगर मरम्मत करायेंगे तो इसका किराया भी आयगा या नहीं ?

श्री जवानसिंह—क्या इन कोठियों की हालत खराब होते हुये भी इन कोठियों को बेचने के बारे में विचार करने में इतना समय लग रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद—हां। इसके साथ में पोलिटिकल मेटर्स भी हैं, इसलिये सोचना पड़ेगा।

श्री जवानसिंह—क्या सिरोही जिले में आबू के आने के बाद यह बात तय की जायगी ?

श्री चन्दनमल वैद—शायद थोड़ा थोड़ा ऐसा भी हो सकता है।

प्रश्न संख्या १४५६

सिरोही शिवगंज टार रोड के टेन्डर्स के अनुसार कार्य

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सिरोही शिवगंज टार रोड होने के टेन्डर्स मन्जूर हो गये हैं ?

(ख) क्या टेन्डर्स मन्जूर करते समय सड़क के माल (पत्थर वगैरह) ढोने बाबत लोड का समावेश किया जाता है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) अगर हां, तो किस प्रकार से ?

(ङ) अगर टेन्डर मंजूर हो गया है तो सड़क बनाने का काम शुरू क्यों नहीं हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद—(क) सिरोही शिवगंज रोड २३ मील लम्बी है। इसका १५ मील में १० फीट से १२ फीट चौड़ा करने का और ६ मील में डामर करने के टेन्डर दिसम्बर, सन् १९५३ में मन्जूर किया गया है।

(ख) माल पत्थर वगैरह के लोड का समावेश एस्टीमेट बनाते समय किया जाता है और टेन्डर एस्टीमेट के उपर किया जाता है।

(ग) इसका उत्तर (ख) में दिया जा चुका है।

(घ) इसका उत्तर (ख) में दिया जा चुका है।

(ङ) पहिले माल इकट्ठा करने का काम किया जाता है सो टेन्डर होते ही शुरू कर दिया गया था। माल करीब करीब इकट्ठा हो चुका है। मील में सड़क की चौड़ाई १० फीट से १२ कर दी गई है लेकिन डामर का काम वर्षा आ जाने की वजह से रुका हुआ है। यह अब अक्टूबर के महीने में चालू कर दिया जावेगा।

श्री जवानसिंह—यह टेन्डर दिसम्बर १९५३ में मन्जूर हुआ था तो किस वजह से अब तक काम रुका रहा।

श्री चन्दनमल वैद—सामान इक्टठा किया गया। शीघ्र ही सड़क बन जायगी। आप क्यों घबराते हैं।

श्री जवानसिंह—दिसम्बर, ५३ से इस साल वर्षा आने तक कितना काम किया गया?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने अभी आपको बतलाया कि ६ मील में सड़क १० फीट से १२ फीट चौड़ी कर दी गई है लेकिन डामर का काम नहीं हुआ है।

श्री जवानसिंह—१२ महीनों में काम नहीं होने का क्या कारण है?

श्री चन्मनमल वैद—यह फैक्ट है कि डामर का काम नहीं हुआ है, बाकी काम तो हुआ ही है।

श्री जवानसिंह—जब कई दूसरे काम हो रहे हैं तो यह काम क्यों नहीं हो पाया? शायद रोड रोलर्स की कमी थी इसलिये नहीं हो पाया क्या?

(उत्तर प्राप्त न होने पर).

श्री हिम्मतसिंह—आपने अभी फरमाया कि १० से १२ फीट चौड़ी की गई। क्या सड़क को दोनों तरफ से १—१ फुट चौड़ा किया गया या एक ही तरफ से दो फीट चौड़ा किया गया?

श्री चन्दनमल वैद्—यह तो समझदारी की बात है। शायद दोनों ही तरफ से की गई होगी।

श्री जवानसिंह—यदि काम की गति यही रही तो कब तक आशा की जा सकती है कि काम पूरा होगा ?

श्री चन्दनमल वैद्—इस साल की समाप्ति होने तक।

श्री जवानसिंह—क्या वहां पर और रोड रोलर्स लगाने की जरूरत है ?

श्री चन्दनमल वैद्—और भेजने की जरूरत होगी तो और भेजेंगे। पुरानों की भी मरम्मत की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—Should we go back on the list ?

(प्रश्न संख्या १४३५, १४३६ तथा १४३८-प्रश्नकर्ता महोदय अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४४२

बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों के लिये निःशुल्क कानूनी सलाहकार

श्रीमती यशोदा देवी—क्या न्याय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने कुछ माह पूर्व बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों को निःशुल्क कानूनी सलाह देने के लिये एक वकील की नियुक्ति की घोषणा की थी ?

(ख) यदि हां, तो किस वकील की नियुक्ति कब से की है और वह नियुक्ति किस कानून के अन्तर्गत है ?

(ग) उन्होंने आज तक कितने लोगों को कानूनी सलाह दी है और उनका वेतन क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १४४३

दलित वर्ग विभाग की विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहायता न देकर पचायतों को अनुदान

श्रीमती यशोदा देवी—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बांसवाडा जिले में बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट से किन किन संस्थाओं को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है ।

(ख) क्या वे संस्थायें प्रतिवर्ष अपना हिसाब ऑडिट करवा कर प्रकाशित करती हैं ?

(ग) क्या उन संस्थाओं के निरीक्षण के लिये किसी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है ?

(घ) क्या सरकार उन सार्वजनिक संस्थाओं का अनुदान बन्द कर ग्राम पंचायतों को ऐसी पाठशालायें संचालन करने के लिये अनुदान प्रदान करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) बांसवाड़ा जिले में निम्नलिखित संस्थाओं को सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय जो उनके सामने अंकित है उसका ८५ प्रतिशत दिया जाता है । यदि उनका खर्च स्वीकृत व्यय से कम होता है, तो उसका ७५ प्रतिशत दिया जाता है ।

१.	बांसवाडा जिला सेवा संघ, परतापपुर	३०,००० रु०
२.	शान्त सेवा कुटीर, बांसवाड़ा	३,००० रु०
३.	गांधी आश्रम, कुशलगढ़	४,००० रु०

(ख) संस्थाएं अपना हिसाब प्रतिवर्ष चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट करवाकर इस विभाग में देती है । वे उन्हें प्रकाशित कराती हैं या नहीं, यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) बैकवर्ड क्लास वैलफेयर ऑफिसर, उदयपुर इनका निरीक्षण करते हैं ।

(घ) सरकार का अभी ऐसा करने का विचार नहीं है ।

एक माननीय सदस्य—वन मंत्रीजी का एक प्रश्न श्री चांदमलजी का और बाकी है ।

श्री अध्यक्ष—अब उसका जवाब नेक्स्ट टर्न पर देंगे ।

प्रश्न संख्या १४४६

श्री अध्यक्ष – (पूर्व प्रसंग से) When we allot a particular day to the Hon' ble Minister, we expect that he will be present on that day.

किशनगढ़ सब डिविजन में रखे गये बीड़

श्री चान्दमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) चालू वर्ष में किशनगढ़ सब डिविजन में कितने नये बीड़ रखे गये ?

(ख) उक्त बीड़ों का कितना क्षेत्रफल है और वे कहां कहां स्थित हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त बीड़ों के रखने से मवेशियों के लिये चारागाह की कमी हो गई है ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) कोइ नया बीड़ नहीं रखा गया।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जीलियां और सूंपां के पास में सरवाड़ तहसील में नया बीड़ रखा गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या इस संबन्ध में फॉरेस्ट ऑफिसर ने जो आज्ञाएं जारी की हैं माननीय मंत्री इस संबंध में जांच करने को तैयार हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—Questions are over.

[श्री अध्यक्ष]

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री रघुराजसिंह, विभाजन संख्या १२१, ने दिनांक ३१ जुलाई, सन् १६५४ से दिनांक १३ अगस्त, सन् १६५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३ के खण्ड १४ पर की आपत्तियों का उत्तर देने के लिये राजस्व मन्त्री की अनुपस्थिति सम्बन्धी वाद विवाद

श्री अध्यक्ष—लेजिस्लेटिव बिजनेस, पेन्डिग क्लॉजेज़ लें या आगे की लें, कौन सी लें ?

Clause 14, Mr. Revenue Minister's reply.

(राजस्व मन्त्री की अनुपस्थिति में पृथक राजस्व मंत्री द्वारा उत्तर देने के लिये प्रस्तुत होने पर)

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—I beg to submit that while the Government will continue, the chariot will go on and the wheel will work; but it is the fear of the House that as it is a techincal subject, a subject in which only the Ministerl concerned can do justice, let the intention of the House set apart, if the Government do not mind whether the work is done seriously or not, I would respectfully submit that it will not lead to any result if the Minister concerned is absent. I would therefore, in the circumstances, propose that the House should be adjourned, till it is convenient for the Minister to favour this House by his presence.

श्री श्रीदास गोयल— माननीय अध्यक्ष ! जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अभी फरमाया कि ऐसी परिस्थिति में जब कि माननीय मन्त्री महोदय, जिनका सम्बन्ध है टिनेन्सी बिल से, उनकी अनुपस्थिति में आगे प्रोसीड नहीं किया जाय, हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय तो यह कोई बहुत रीजनेबल और स्वस्थ रिक्वेस्ट नहीं है। क्योंकि जितने मिनिस्टर साहबान हैं वे जोइन्टली एन्ड सेवरल्ली रेस्पोन्सिबल हैं। They know all things. इनकी जानकारी इस बिल के बारे में उतनी ही है जितनी कि दूसरों की। ऐसी सूरत में प्रश्न पैदा नहीं होता कि हाउस का कीमती समय और पब्लिक का पैसा वेस्ट किया जाय।

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—(बोलने के लिए खडे हुए)

श्री अध्यक्ष— Is it a matter for discussion !

श्री हिम्मत सिंह--पर हाउस के कोन्फिडेन्स का, विश्वास का प्रश्न है कि मन्त्री महोदय जो कुछ कहेंगे उस पर हाउस को विश्वास......

श्री अध्यक्ष--That is very unfair.

(विराम)

What do the Treasury Benches say ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—यह तो उम्मीद करना कि कोई भी मिनिस्टर पंक्च्युअली मौजूद रहे, पूरे दिन, पूरे घन्टे मौजूद रहे, ठीक नहीं। कोई तकलीफ भी हो सकती है, जरूरी काम भी हो सकता है, मेम्बर साहबान भी आते जाते ही रहते हैं। तो ऐसी सूरत में हाउस को एड्जोर्न करने की बात ठीक नहीं। हां, जो आवश्यक क्लॉजेज़ हैं जिन पर क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो उनको पोस्टपोन किया जा सकता है। वैसे यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जा चुका है, एक्सपर्ट्स की ओपीनियन इस पर तैयार है, इसलिये आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। आप इसे चला सकते हैं और चलाना चाहिये।

राजस्थान कृषि भूधारण विधेयक, १९५३ (अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

खण्ड १४

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १४ का जवाब दीजिये।

श्री भोलानाथ—चूंकि यह क्लॉज़ १४ खातेदार टिनेन्ट्स से ताल्लुक रखता है और यह महत्वपूर्ण है इसलिये इसे फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाय।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हियर, हियर। (हंसी)

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—इस बिल में यह सारा का सारा चेप्टर इस बिल की जान है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इसलिये बनिस्पत इसके कि एक एक क्लॉज़ को छोड़ा जाय इस सारे चेप्टर को ही पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री श्रीदाम गोयल—क्लॉज़ १५ ऐसा कॉम्प्लीकेटेड नहीं है। १४ के लिये ऐसा है कि पट्टेदार टिनेन्ट्स का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था और जयपुर पट्टेदार टिनेन्ट्स एक्ट के मातहत जो राइट्स दिये हुए थे उनको देखते हुए यह जरूरी समझा गया कि १४ को पोस्टपोन किया जाय। सारे चेप्टर को पोस्टपोन करना ठीक नहीं। इस चेप्टर पर प्रोसीड किया जाय।

श्री अध्यक्ष—I think it is the general wish of the House to defer (Clause) 14.

(आवाजें, 'The whole of this Chapter')

श्री भोलानाथ—लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन की......

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यह चेप्टर वास्तव में बहुत जरूरी है, इसलिये इसे पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—From the Clauses we come to the Chapter and from Chapter we go to the Bill. It is not desirable.

कु० श्री जसवन्तसिंह—From the Bill we come to the House.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Mr. Speaker, during the course of discussion on definitions we postponed certain sub-clauses for further discussion in order that the Government might consider and it is necessary because there are so many amendments to sub-clause (14) and further consideration can be required by Government. In view of that further clauses should not be postponed.

श्री अध्यक्ष—So we take...

श्री जवानसिंह—इसके साथ मेरा भी निवेदन है। क्लॉज़ ४ में दो-चार सब क्लाज़ेज़ रखे थे। पहला हिस्सा निवेदित हो गया उस पर सदन में विचार-विमर्श हो चुका है और अब निश्चित राय पर पहुँचा जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि यह ज्यादा ठीक रहेगा कि जिन क्लॉजेज़ पर ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं, उन पर हाउस से बाहर डिस्कशन करके जिन्हें एक्सेप्ट करना हो उन्हें एक्सेप्ट कर लें। इससे सदन का समय बचेगा।

('Yes, Yes' की ध्वनियें)

अब मैं समझता हूँ कि अधिक समय इस वाद-विवाद में न खोकर क्लॉज़ १५ पर आ जायं।

खण्ड १५

Yes, The amendments should be discussed. Clause 15. Mr. Vyas is not present. I should not call him.

(विराम)

श्री मिर्धा

श्री नाथूराम मिर्धा—[मन्त्री महोदय की एक बैठक से बोलने पर] माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष—In order to avoid confusion, I would like that the Hon'ble Member who tables his amendment must move it from the Treasury Benches. Even in the absance of the member.

(तदनन्तर श्री मिर्धा अपनी बैठक पर जाने के पश्चात्)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मौजूदा जो क्लॉज़ १५ इस टिनेन्सी बिल का है उसमें मैंने कुछ संशोधन पेश किये हैं और वे एक क्लॉज़ ५ में हैं, ७ में हैं, ८ में हैं, १४ और १५ में हैं और कुछ प्रोविजो में अमेंडमेंट है।

अब जो मौजूदा क्लॉज़ है वह इस तरह से पढ़ा जाता है।

"15. Notwithstanding anything contained in this Act or in the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, Khatedari rights shall not accrue in—

(i) pasture land save in cases where such rights already exist-" these have been deleted.

(ii) land used for casual or occasional cultivation in the bed of a river;

(iii) land covered by water and used for the purpose of growing Singhara or other like produce;

(iv) land under shifting or unstable cultivation:

(v) land under Government horticulture gardens;"

इसके बजाय इसको इस तरह से सब्स्टीट्यूट किया जावे :

"(v) land comprised under gardens owned and maintained by Government"

यह जो ऐसा किया जाता है वह इसलिए किया जाता है कि पहले के क्लॉज़ की जो भाषा है उसके बजाय ज्यादा साफ है और ज्यादा लीगल है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है। इसी तरह सब क्लाज (६) भी जो है :

[श्री नाथूराम मिर्धा]

"(vi) land acquired or held for a public purpose or a work of public utility:"

सब क्लॉज (७) इस तरह है :

"(vii) land which is at present or may hereafter be set apart for military encamping grounds,"

इसके बजाय मैंने जो संशोधन पेश किया है और इस क्लॉज़ के बजाय दूसरा सबस्टीट्यूट करने का लिखा है वह इस प्रकार है—

"Land which is at present or may hereafter be set apart for military encamping grounds,"

इसका मतलब यह है कि अभी जो पुराना क्लॉज़ इसमें रखा है वहां इसमें सिर्फ " 'land which is at present or may hereafter be set apart for military encamping grounds."

मगर इसमें भी भाषा इसी तरह से नहीं थी । जो एमेन्डमेंट के रूप में रखा है "Land which at the commencement of this Act or at my time thereafter be set apart for military encomping," इसलिये यह संशोधन पेश किया है ।

सबक्लाज़ (८) में मेरा कोई संशोधन नहीं है । इसी तरह सबक्लॉज़ (९) है । इसके बाद (१०) भी इसी तरह है और (११), (१२), (१३) भी इसी तरह से है और (१४) और (१५) में में संशोधन यह है कि सब क्लॉज़ को हटा दिया जाय । उसके बाद में जो प्रोविजन मौजूदा मेरा हालत में है वह इस तरह है :

"Provided that nothing contained in sub-section (xiv) of this section shall affect khatedari rights that may have accrued under any existing law before the commencement of this Act."

इसके बजाय मैंने यह संशोधन रखा है । प्रोविजो इस तरह से है :

"Provided that the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette declare that any land which is under shifting or unstable cultivation, shall cease to be a land for such cultivation and thereupon such land shall be avai-

[श्री नाथूराम मिर्धा]

lable for the grant of khatedari rights and the State Government may by a notification, declare that any land which was not at the commencement of this Act under shifting or unstable cultivation shall at any time after such commencement be under such cultivation from such date as may be specified in this notification and thereupon such land shall be available for such cultivation."

माननीय अध्यक्ष, इस क्लोज़ को देखने से मालूम होगा कि मैंने उस केटेगरी को इन्क्ल्यूड किया है जो गवर्नमेंट एक्ट के कमेन्समेंट के बाद में भी इसमें "after such commencement be under such cultivation"; उस तारीख के बाद में भी खातेदारी राइट्स नहीं हैं उनको तय कर सके। तो इस तरह से मेरा जो संशोधन मौजूदा क्लॉज़ का सब क्लॉज़ है इसमें जहां कहीं भी लीगल बात साफ तरीके से नहीं आई है वह साफ तरीके से कही है और (१४), (१५) को हटाने का कारण जो हैं वह यह है कि वह जागीर रिज़म्पशन एक्ट के खिलाफ पड़ता है इसलिये उनको अभी करने की जरूरत नहीं है। यह मेरे संशोधन हैं और मैं आशा करता हूँ कि इनको स्वीकार करेंगे।

(६.५ बजे श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति—मैं समझता हूँ कि जिस तरह से क्लॉज़ ४ के, सब क्लॉज़ पहले लिये गये थे उसी तरह से इसके भी सब क्लॉज़ ले लिये जावें क्योंकि इस क्लॉज़ में भी १५ सब क्लॉज़ेज़ है। सब क्लॉज़ वाइज़ ले लिये जावें तो मैं समझता हूँ कि हाउस को ज्यादा सहूलियत होगी और सब क्लॉज़ पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिये सब क्लॉजेज़ एक एक करके ले लेते हैं। सब क्लॉज़ (५) श्री नाथूराम मिर्धा का है।

श्री कु० जसवन्तसिंह—चार सब क्लॉज़ेज़ में कोई अमेन्डमेंट नहीं हैं।

श्री हिम्मतसिंह—पहले चार में कोई एमेन्डमेंट नहीं हैं, इसलिये पहले इनको पास करने की अनुमति ले लेते हैं और उसके बाद दूसरे ले लेते हैं। इसमें मेरे खयाल से ज्यादा सहूलियत रहेगी।

क्लॉज १५ के सब क्लाज़ेज़ (१), (२), (३) और (४) पर कोई अमेन्डमेंट नहीं हैं। क्या सदन को अनुमति है कि ये स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

[श्री हिम्मतसिंह]

क्लॉज १५ के सब क्लॉज़ेज़ (१), (२), (३) और (४) स्वीकृत हुए। सब क्लॉज (५) पर श्री नाथूराम मिर्धा का एमेन्डमेंट है। इसके बारे में बहस की जरूरत हो तो बहस की जाय, वरना मनस्टिर अपना जवाब दें।

श्री **भोलानाथ**—ये फोर्मल अमेन्डमेंट है, मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री **हिम्मतसिंह**—सब क्लॉज़ (५) पर श्री नाथूराम मिर्धा का अमेन्डमेंट है जिसको मिनिस्टर इन्चार्ज बिल, जो पाइलोट कर रहे हैं, ने एक्सेप्ट कर लिया है।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (३) स्वीकृत हुवा।

श्री **वेदपाल त्यागी**—Amendment sir.

श्री **हिम्मतसिंह**—I mean the amendment to sub-clause (5) be accepted.

(स्वीकृत)

श्री मिर्धा का सब क्लॉज़ (५) पर संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि उप खंड (५) संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (५) संशोधित रुप में स्वीकृत हुआ।

(विराम)

सब क्लॉज़ (६) के बाबत कोई एमेंडमेंट नहीं है; अतः प्रश्न यह है यह सब क्लॉज़ (६) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (६) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

सब क्लॉज़ (७) पर श्री नाथूराम मिर्धा का एमेंडमेंट है। आप, मैं समझता हूं कि बोल चुके हैं।

श्री भोलानाथ—एक साथ सब एमेंडमेंट ले लिये जावें ।

श्री सभापति—एक साथ ले लेते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (जि. सं. १६)—Mr. Chairman Sir, I beg to move the follwing amendment to part (vii) of clause 15:-

"The words or may hereafter, be deleted."

माननीय चेयरमेन, इस सबक्लॉज़ की मंशा यह है कि जमीन मिलीटरी एन्केम्पिंग ग्राउन्ड्स के लिए आ जाती है उसमें सरकार इस कानून के बनने के बाद में जिस काम के लिएजमीन निर्धारित करे उस जमीन में खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकते । जहां तक इस क्लॉज़ के पहलेभाग का सवाल है वहां तक तो मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि जो जमीन मिलिटरी एन्केम्पिंग ग्राउन्ड्स के लिए काम में आती हो और अगर कोई टेम्प्रेरिली उसमें काश्तकार काश्त करता हो तो उसको खातेदारी राइट्स नहीं मिलने चाहिये, किन्तु यहां सवाल यह उत्पन्न होता है कि सरकार को यह भी अधिकार है कि सरकार इस एक्ट के पास होने के बाद किसी भी जमीन को मिलिटरी एन्केम्पिंग ग्राउन्ड के लिए एक्वायर करे या डिक्लेयर करे तो सरकार को अधिकार होगा कि काश्तकार को खातेदारी राइट्स नहीं दे । उलझन यह पैदा होती है कि यदि सरकार किसी जमीन को किसी सूरत में कब और किस काम के लिए निर्धारित करे और निर्धारित करने के बावजूद उस काश्तकार को जो वर्षों से उस जमीन पर काश्त करता आ रहा है उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । सरकार को मिलिटरी एन्केम्पिंग ग्राउंड्स की आवश्यकता पड़े और मैं उस आवश्कता को सदन में इस वक्त लाना नहीं चाहता लेकिन यह तो आवश्यक हो जाता है कि काश्तकार जो ऐसी जमीन में काश्तकार रहा है उसको किन कारणों से वंचित किया जाय, यानि जमीन जो साधारणतया उसको नहीं मिलनी चाहिए थी वह उसको मिल जाती है । यह हो सकता है कि अगर किसी स्थान में कोई काश्तकार टेम्पोरेरिली आठ दस साल से काश्त करता आ रहा है उसको इजेक्टमेंट भी नहीं हुआ है और इस कानून के अनुसार उस जमीन को मिलीटरी शा एन्केम्पिंग ग्राउन्ड डिक्लेर किया जाता है तो खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं और एक्ट के बाद भी अगर खातेदारी राइट्स मिल गये हैं तो उस सूरत में कानून बनने के बाद उस जमीन को अगर मिलीटरी इन्केम्पिंग ग्राउन्ड डिक्लेयर करते हैं तो वह खातेदारी राइट्स किस तरह से लेगा ? एक्ट बनने के पहले और एक्ट बनने के बाद में जब उसको खातेदारी राइट्स मिल गये हैं तो उसके बाद में और खातेदारी राइट्स मिलने के पहले किसी जमीन को सरकार मिलीटरी इन्केम्पिग ग्राउन्ड के लिए डिक्लेयर करती है तोजो काश्तकारउस पर काश्त करता है उसको इस कानून से उसके अधिकारों से वंचित कर सकती है जो अधिकार उसको मिल गये हैं या मिलने वाले हैं । सवाल यह आता है कि काम बड़ा आवश्यक है और उस आवश्यक काम के लिए जमीन मिलना भी आवश्यक है और इसीलिये पहले यह सब क्लॉज़ (६) पास किया गया जिसमें "land acquired or held for a

[श्री भैरोंसिंह]

public purpose or a work of public utility" मैं समझता हूँ कि जो मंशा सब क्लॉज़ (७) के अन्दर मिलीटरी एन्केम्पिंग ग्राउन्ड्स के लिए जमीन एक्वायर करने की है वह अहम है और पब्लिक पर्पजेज़ के लिए है। पब्लिक पर्पजेज की मंशा सब क्लॉज़ ६ में पूरी हो जाती है तो उसको फिर दुबारा लाने की आवश्यकता नहीं है और मिलीटरी एन्केम्पिंग की मंशा को देखते हुए इसको फिजूल लिया गया है। 'or may hereafter be set apart' यह जो चीज़ है उसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए और उससे बड़ी जबरदस्त कानूनी एम्बीग्विटी हो जायगी। कानून के अनुसार खातेदारी राइट्स काश्तकार को मिल जायं या वह उसके लिए दरख्वास्त दे और उसके बाद में उसी जमीन को सरकार मिलीटरी एन्केम्पिंग ग्राउन्ड डिक्लेयर करे, सरकार को पता नहीं कि इस जमीन के खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं, तो दोनों चीजें साथ २ चलेंगी। उसको बाधित करने के लिए न तो इस कानून में कोई व्यवस्था है, न ऐसी कोई व्यवस्था हुई है और भविष्य में भी ऐसा कोई कानून बनने वाला नहीं। तो एक आदमी दरख्वास्त दे at the commencement of this act I was a tenant of such a particular land; तो एक तरफ दरख्वास्त दे दी गई कि खातेदारी राइट्स मिलने चाहिए और एक तरफ सरकार गजट में शाया करेगी कि यह जमीन मिलीटरी एन्केम्पिंग ग्राउन्ड के लिए रखी गई है इसलिए खातेदारी राइट्स नहीं मिलने चाहिए; अगर सरकार इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकाल सकती है और खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिए किसान भी दरख्वास्त दे सकता है तो आगे चल कर कानूनी एम्बीग्विटी हो सकती है। इस पर खास तौर पर कानूनी तौर पर विचार किया जाय। इस प्रकार के डिस्क्रीशनरी पॉवर्स सरकार काम में लायेगी तो सरकार का तो कोई नुकसान होने वाला नहीं किन्तु नुकसान होगा किसान का। इन्टर नेशनल सिचुएशन इस बात के लिए तकाजा कर सकती है, बावजूद इसके कि दुनिया प्रयत्न कर रही है शान्ति बनाये रखने की, कि हिन्दुस्तान और दूसरे मुल्क वार (लड़ाई) में फंस जांय और उस हालत में मिलीटरी एन्केम्पिंग ग्राउन्ड्स की आवश्यकता हो और इस वजह से पब्लिक पर्पजेज़ के लिए लैन्ड एक्वायर की जा सकती है, कम्पेन्सेशन देकर एक्वायर कर सकती है। हम इस आधार को मान कर चलें कि एक किसान को खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं तो टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन रख कर सरकार अपने पास एक हथियार रखती है कि मिलिट्री एन्केम्पिंग ग्राउन्ड्स के लिए काश्तकारों को मिलने वाले अधिकारों से वह उनको वंचित कर दे। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जो "or may hereafter" वर्ड्स रखे गये हैं उनको हटा दिया जाय और उसकी मंशा साफ यह हो जायगी कि जो जमीन मिलिट्री एन्केम्पिंग के लिए डिक्लेयर होगी उनके लिए खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे और अगर बाद में आवश्यकता पड़ी मिलीट्री एन्केम्पिंग ग्राउन्ड्स डिक्लेयर करने की तो लेन्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत कम्पेन्सेशन देकर अधिकार करें, न कि टिनेन्सी बिल में लाकर बाद में मिलीट्री एन्केम्पिंग डिक्लेयर करें और जो खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं और जो आयन्दा इस कानून के अन्तर्गत मिलेंगे उनमें बाधा डाले। यह न्यायोचित अमेन्डमेन्ट है और मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने मित्रों से मिल कर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा।

श्री भीमसिंह—श्री नाथूरामजी मिर्धा का अमन्डमेन्ट is rather not precise. "land which before or after the commencement of this Act is set apart for military encamping grounds." I think the intention is served and the construction becomes precise.

Shri Nathuram Mirdha's amendment is. "land which, at the commencement of this Act or at any time thereafter, is set apart for military encmping grounds." My change is "land which before or after the commencement of this Act is set apart......" Instead of the words 'at' the words 'before or after' be substituted and delete the words, "or at any time thereafter."

That is land which is at present under the military encamping grounds or in future it is set apart; that is covered by the words 'before or after.'

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चैयरमेन महोदय, ओर्डिनरीली जहां पर इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, जहां "बिफोर और आफ्टर" दोनों पर्पजेज़ के लिए एक ही मंशा होती है वहां 'at the commencement of this Act or thereafter' यह चीज़ की जाती है। हमारे माननीय मित्र श्री भैरोंसिंहजी ने जो अपनी तरमीम पेश की है और जिसमें यह कहा है कि 'or may hereafter" ये शब्द रिमूव कर देना चाहिए, मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता हूँ। आपने अपने भाषण में यह बताने का प्रयत्न किया है कि काश्तकारों के अधिकार हम लेकर उनसे जमीन एक्वायर कर उन अधिकारों से वंचित करेंगे और अगर उनकी लेन्ड किसी तरह से एक्वायर करने की जरूरत पड़ी तो लेन्ड एक्वीज़िशन एक्ट के अन्तर्गत एक्वायर की जा सकती है। मुझे निवेदन करना है कि जमीन पर किसी के खातेदारी राइट्स नहीं हैं और उसको किसी व्यक्ति से लेने की जरूरत पड़ती है मिलीटरी एन्केम्पिंग ग्राउन्ड्स के लिए जो लेन्ड फेलो पड़ी हुई है, कोई काश्त नहीं करता है और हम उसको एन्केम्पिंग ग्राउन्ड बनाते हैं तो ऐसी सूरत में काश्तकार पर कोई असर नहीं पड़ता है और असर नहीं पड़ने से. अगर खातेदारी राइट्स किसी लेन्ड पर हैं तो फिर वह बाकायदा एक्वायर की जाय। यहां लेन्ड एक्वीज़िशन का सवाल नहीं पैदा होता है किन्तु लेन्ड सेट अपार्ट करने का सवाल होता है। इस जमीन के लिए यह सेक्शन है और मैं समझता हूँ कि जो तरमीम पेश की गई है। वह वाजिब नहीं है क्योंकि किसी को अधिकारों से वंचित करने का सवाल नहीं है। जो सेट अपार्ट हो गई उसके लिए खातेदारी राइट्स एक्रू होंगे नहीं और अगर जो गवर्निंग क्लाज़ है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि 'Lands in which khatedari rights shall not accrue' हो जाने के बाद सवाल दूसरा है जिनके कि खातेदारी राइट्स मौजूद हैं लेकिन आयन्दा हम जिस लेन्ड को एन्केम्पिंग ग्राउन्ड की तहत में लेवेंगे उनमें खातेदारी राइट्स लागू नहीं होंगे। 'hereafter' जो शब्द है यह यहां जरूरी है और उनको निकाल देने से सारी की सारी मंशा विपरीत हो जाती है; इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे लायक दोस्त की तरमीम दुरुस्त नहीं है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

श्री नाथूरामजी मिर्धा ने जो तरमीम पेश की है वह इस सारे के सारे क्लॉज को सिम्प्लीफाई करता है। इससे इसकी भाषा अच्छी बन जाती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अभी जो श्री श्रीभानसिंहजी ने अमेन्डमेंट रखा है उसके बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया; "before or after" के बारे में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिस रोज एक्ट पास होगा उससे 'तो बिफोर' हो गया और 'आफ्टर' आता है इस एक्ट के पास होने के बाद में। 'at the tima of commencenent or after that' इसमें सब शब्द इन्क्लूड हो जाते हैं। यही लैंग्वेज अच्छी मालूम हुई। लॉ डिपार्टमेंट ने ठीक समझ कर ही रखा है। इन शब्दों की तरमीम से कोई फर्क नहीं पड़ता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—"There after" यह समझ में नहीं आया। मैं कोई वकील तो नहीं हूँ जैसा कि सब लोग जानते हैं। कोमनसेन्स से कह सकता हूँ कि "Any time after" 'Any time after' के क्या माने होंगे? "There after" means, after the Bill has been passed.

श्री भोलानाथ—माननीय चेयरमेन महोदय, जहां तक भैरोंसिंहजी के अमेन्डमेन्ट का सवाल है उसके लिये श्री बृजसुन्दरजी शर्मा ने जवाब दे दिया है, इसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 'हिअरआफ्टर' के लिये जो श्रीश्रीभानसिंह जी ने अमेंडमेंट रखा उसको श्री नाथूराम जी मिर्धा ने अपने अमेंन्डमेंन्ट में जोड़ना स्वीकार कर लिया है। जो शिकायत श्री भैरोंसिंहजी ने जमीन को एक्वायर करने के सम्बन्ध में प्रकट की वह एक तरह से ठीक नहीं है, जिसमें काश्त होती हो ऐसी जमीन को एक्वायर करने का प्रश्न ही नहीं उठता ..

श्री भैरोंसिंह—उसकी जगह 'फेलो लेन्ड' कर दिया जाय।

श्री भोलानाथ (जारी)—इससे सरकार जिनको खातेदारी के राइट्स मिल चुके हैं उनके राइट्स को नहीं छीनेगी। टीनेन्ट्स, जो पट्टे पर चल रहे होंगे इनको इस प्रकार के क्लॉज से कोई हानि होने वाली नहीं है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नही।

श्री नाथूराम जी ने जो तरमीम रखी वह सभी दृष्टियों से ठीक है इसलिये उसे मैं स्वीकार करता हूँ। 'एट एनी टाइम' का जो अमेन्डमेन्ट है उसे श्री नाथूरामजी अपने अमेन्डनेन्टमें स्वीकार कर लेंगे और उसके मुताबिक इसे कर दिया जायगा।

श्री सभापति—क्या आपको यह तरमीम स्वीकार है?

श्री नाथूराम मिर्धा—मुझे मन्जूर है।

श्री सभापति—क्लॉज १५ में श्री भैरोसिंहजी का अमेन्डमेन्ट है।

श्री भोलानाथ—मेरा ख्याल है कि श्री भैरोसिंह जी अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस ले लेंगे।

श्री भैरोसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेयरमेन, जहां तक संशोधन के उत्तर का संबन्ध है जो जवाब श्री बृजसुन्दर जी ने दिया और उसका समर्थन माननीय मंत्रीजी ने किया उसका सारा का सारा सारांश यह हो सकता है कि जो जमीन मिलिट्री एनकेम्पिग डिक्लेयर की जायगी वह पड़त जमीन होगी, जिस पर खातेदारी राइट्स एक्युं नहीं हुए होंगे। एक शंका तो दूर हुई किन्तु यह शंका होती है कि जिनको खातेदारी के राइट मिले हुए हैं उनके लिए एनकेम्पिग का सवाल नहीं आया। मौजूदा सबक्लॉज यह हैं "land which is at present, or may hereafter, be set apart for military encamping grounds."

हम इस चीज को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग तो यह है "land which is at present;" और दूसरा भाग इस प्रकार है: "Or may hereafter, be set apart"

इन दोनों का सम्बन्ध है, subject to the provisions of section 15। जहां तक इसके पहले भाग का संबन्ध है इसकी मन्शा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। खातेदारी राइट्स जिनको मिल गये हैं उसे टीनेन्सी एक्ट के मातहत किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचायी जायगी। जहां तक दूसरे भाग का संबन्ध है, वह स्पष्ट नहीं है। इससे कई प्रकार की कॉम्पलीकेशन्स पैदा होती हैं इसलिये इसमें यह कर दिया जाय :—

"Subject to the provisions of section 15 any other land which may hereafter be set apart for military encamping grounds."

इसका मतलब यह हुआ कि इसको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि किस सीमा तक, किस तारीख तक, किस नियत अवधि तक वह डिक्लेरेशन करे तो यह चीज स्पष्ट हो सकती है। सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि किसी पड़त जमीन पर, किसी ऐसी जमीन पर जहां काश्त नहीं होती है, मिलिट्री एनकेम्पिग के लिये उसको लिया जा सकता है। जहां तक रूल्स का संबन्ध है पड़त जमीन ही आती है, काश्त की जमीन नहीं आती है। जहां तक इन दोनों जमीनों का संबन्ध है अकेला "लेन्ड" शब्द उसको पूरा नहीं करता। जिस पर खुदकाश्त राइट एक्यूं नहीं हुए, जो काबिल काश्त भी नहीं उस जमीन का इससे संबन्ध है "Subject to the provisions of section 15 the land which may or hereafter be set apart for military encamping grounds."

[श्री भैरोंसिंह]

इससे इनको खुदकाश्त के राइट्स नहीं मिलेंगे। इससे जरूर कानूनी उलझन पैदा होगी। इसलिये मुझे आशा है माननीय मंत्री जी अपने सहयोगियों से सलाह लेकर इसे स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि सब-क्लॉज (७) में श्री भैरोंसिंहजी का जो अमेन्डमेन्ट है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट गिर गया।

कुं श्री जसवन्तसिंह—Sir, there is a little mistake in it. अभी जब कि मैंने इस अमेन्डेड क्लॉज़ को पढ़ा तो मुझे "Land which at the commencement or thereafter" है जरा इसमें गलती मालूम हुई। इसमें जो है इसमें "thereafter" ठीक नहीं जंचता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल— Land which before the commencement of the Act or at any time...

कुं. श्री जसवन्तसिंह—Well, I am afraid, I don't agree. If you keep 'at' at the commencement of this Act or at any time thereafater.."अगर"at any time"उड़ाना है तो "before" आपको लेना पड़ेगा।

श्री मानसिंह महार—This construction is better.

श्री जसवन्तसिंह—That is your responsibility, I don't mind. दुबारा गौर कर लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा–जहां तक लेंग्वेज का ताल्लुक है यही रहती तो ज्यादा अच्छा था। इसके लिये तो एक सैट लेंग्वेज है "at the commencement of this Act..."यही शब्द अक्सर प्रयोग में आते हैं। "at the commencement of this Act or any time thereafter"

कुं श्री जसवन्तसिंह—यह तो मैं कह रहा हूँ कि यह जो"at present" शब्द हैं या तो इन्हें रहने दिया जावे या यदि "at any time" उड़ाना चाहते हों तो 'before' रहेगा

श्री सभापति—तो आप (श्री पृथक राजस्व मंत्री) बतलाइये कि आप कौनसी बात पसन्द करते है, किस को एडॉप्ट किया जाय ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—"At any time" को भी इसमें रख दिया गया था पर कुछ लोगों की राय ठहरी कि इसे हटा दिया जाना चाहिये और जो ऑरीजिनल्ली रक्खा था वहीं रहने दिया जाय। ऑरीजिनल को मन्जूर करने का आपका (श्री जसवन्तसिंह) का दूसरा अमेन्डमेन्ट आया है।

श्री सभापति—यह तो सजेशन था, अमेन्डमेन्ट नहीं था।

श्री भोलानाथ—इसलिये श्री नाथूरामजी के अमेन्डमेन्ट को मान लिया गया है। ऑरीजिनली जो शब्द हैं वे ही रहें।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज़ (७) पर श्री नाथूरामजी मिर्धा का जो अमेन्डमेंट है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह क्लॉज़ १५ का सबक्लॉज़ (७) एज अमेण्डेड स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ का सब क्लॉज़ (७), एज़ अमेन्डेड, स्वीकृत हुआ।

उप खण्ड (८) व (९)

सब क्लॉज (८) व (९) के ऊपर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है ?

प्रश्न यह है कि सब क्लॉजेज़ (८) व (९) स्वीकार किये जांय

Page No.47

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

सब क्लॉजेज़ (८) और (९) स्वीकृत हुए।

उप खण्ड [१०]

सब क्लॉज [१०] लिया जाता है, श्री भैरोसिंह।

श्री भैरोसिंह—Mr. Chairman, Sir, I beg to move that sub-clause (x) be deleted.

इस सब क्लॉज़ की मंशा यह है कि "Land within the boundaries of any government forest." में खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। उसमें इस सब क्लॉज के जरिये यह डिफाइन किया गया है कि गवर्नमेंट फोरेस्ट में कोई जमीन अगर है तो उसमें किसी को खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे।

अब सवाल यह सामने आता है कि फोरेस्ट की मंशा क्या है? और यदि फोरेस्ट एक्ट के मातहत किसी फोरेस्ट को प्रिज़र्व किया जावे तो इसके बाद में किन किन कारणों से किस सूरत में इसमें खेती हो सकती है, यह देखना है।

जहां तक राजस्थान फोरेस्ट एक्ट का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि जब फोरेस्ट के अन्दर उस जमीन के उत्पादन से कोई फायदा न हो तो उस सूरत में सरकार उसको रेवेन्यू विभाग को ट्रान्सफर करती है और बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसे खेती करने के लिए लोगों को देता है। अब रहा फोरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन को अलॉट करने का प्रश्न। वह तो जुदा प्रश्न हैं। लेकिन जब फोरेस्ट की दृष्टि से उत्पादन शक्ति उस जमीन में नहीं रही तो फोरेस्ट विभाग उसको जब रेवेन्यू विभाग को दे देता है तो रेवेन्यू विभाग की मार्फत काम होने के कारण वह जमीन रेवेन्यू विभाग को ट्रान्सफर कर दी जाती हैं। तो इसमें फिर कोई फोरेस्ट विभाग द्वारा किये जाने वाले एक्सपेरिमेन्ट का सवाल नहीं रहता कि अमुक जंगल में हमें खेती करके यह एक्सपेरीमेंट करना है कि फोरेस्ट का प्रोड्यूस इसमें ज्यादा हो सकता है या खेती के जरिये से ज्यादा उत्पादन हो सकता है।

ऐसी स्थिति में सवाल स्पष्ट यह होता है कि जंगल की दृष्टि से, चूंकि वह जमीन सरकार के लिए कोई उपयोगी नहीं रही इसलिए फोरेस्ट विभाग के पजेशन में रखने से कोई लाभ नहीं। जंगल उसमें रिजर्व करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। पर दूसरी तरफ खेती की दृष्टि से उसमें उत्पादन अच्छा हो सकता है। खेती करने के इच्छुक लोगों के लिए जमीन का अभाव होने के

[श्री भैरूंसिंह]

कारण, खाद्य स्थिति देश की अधिक गम्भीर बनती जा रही है; इस कारण जितना भी फोरेस्ट ट्रान्सफर किया गया या भविष्य में भी ट्रान्सफर किया जावेगा रेवेन्यू विभाग की उसमें स्पष्ट दलील यह आती है कि हमें उस जमीन की उत्पादन शक्ति बढ़ानी है फोरेस्ट इसलिये रेवेन्यू विभाग को उसे ट्रान्सफर करते है । तो हमें वह जमीन वापिस फॉरेस्ट को नहीं देनी है । इसको फरटाइज और खेती के योग्य बनाने में काश्तकार को बड़ी बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । अगर आज जंगल की किसी जमीन पर सिंचाई होती है उस जगह फरटीलाइज़र का तो उपयोग भी हो सकता है पर जहां जमीन बारानी है वहां जंगल से निकाली गई जमीन में फरटीलाइज़र का उपयोग भी नहीं हो सकता है । तो इस तरह उस जमीन को तैयार करने में किसान को बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है और जहां तक जंगल की ज़मीन का सम्बन्ध है सिंचाई के साधन उसके बहुत कम हैं इसलिये इस दृष्टि से उस जमीन को अगर ट्रान्सफर करते हैं तो इसके बाद कोई मंशा स्पष्ट नहीं हो सकती कि ऐसा भी मौका आ सकता है कि वापिस वह जमीन फोरेस्ट के लिए प्रीजर्व करें या एक्वायर करें । तो वे काश्तकार जिनको फोरेस्ट की जमीन काश्त के लिये दी जाती है उनको ऐसा अधिकार नहीं मिलना किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं होगा । जिसको जमीन अलॉट कर दी गई और जो उसको फर्टाइल करने और कृषि उत्पादन योग्य बनाने में अपना पूरा परिश्रम लगाता है तो उसकी मंशा यही है कि वह उसमें काश्त ज्यादा से ज्यादा करे । उसकी उत्पादन कीं शक्ति को बढ़ावे । तो उल्टा उसको इस पैदावार के बढ़ाने में मदद देने की बात तो दूर किनार रही, आप किसान को उसके खातेदारी राइट्स भी इस पर देना नहीं चाहते । तो यह कोई उसके प्रति न्याय नहीं है । जिस तरह आम किसान को आप तीन तरह की सहूलियतें देते हैं; फिक्सिटी ऑफ टेन्योर, फिक्सिटी ऑफ रेन्ट और फेसीलिटी ऑफ ट्रान्सफर'' ये मूलमूल बातें हैं । तो ये तीनों बातें कम से कम उसको नहीं दी जाती और उन काश्तकारों का जब तक उस जमीन से इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो जाता है उस वक्त तक रेवेन्यू विभाग में जमीन ट्रान्सफर करके जमीन की उत्पादन शक्ति बढ़ाने की मंशा स्पष्ट नहीं होती । बल्कि यह तो उत्पादन में एक प्रकार से बाधक होगी ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि न्याय, नियम, व्यवहार और उत्पादन की दृष्टि से फॉरेस्ट की ट्रान्सफर की हुई जमीन, जो रेवेन्यू विभाग द्वारा काश्तकार को अलाट की गई है, उसमें काश्तकार को खातेदारी राइट मिलने चाहिये और ये राइट्स उसी वक्त मिल सकते हैं जब कि इस क्लाज़ को आप हटा दें । उनको खातेदारी राइट्स दिलाने में यह क्लाज़ बाधक है । जो काश्त करते हैं उनको खातेदारी राइट्स मिलने चाहिये । जब ऐसा होगा तो काश्तकार जमीन की उत्पादन शक्ति को बढ़ाएगा, उस जमीन में अपनापन लावेगा इससे उस जमीन को उत्पादन शक्ति बढ़ेगी, किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और यह उसके साथ सामाजिक न्याय भी हो सकेगा ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो डिलीशन के बारे में संशोधन है उसे आप स्वीकार कर लें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरे मित्र श्री भैरूंसिंहजी ने तरमीम पेश की है और इस बात पर बडा जोर दिया है कि काश्तकार को खातेदारी राइट्स मिलने चाहिये।

मैं समझता हूं कि ये फोरेस्ट गवर्नमेन्ट के फोरेस्ट एक्ट के मातहत बनते रहते हैं और इसमें से जमीन समय समय पर रिलीज़ होती रहती है और नयी भी शामिल होती रहती हैं और जो गवर्नमेंट का फोरेस्ट होता है वह रिज़र्व रहता है।

तो जहां तक फोरेस्ट की बाउन्ड्री है उस में खातेदारी राइट्स एक्वायर करने का सवाल पैदा नहीं होता। आगे हमारे मित्र बार-बार इस बिल की बात कहते हैं कि क्लॉज़ १५ की जो लैंग्वेज हैं जो गवर्निंग क्लॉज़ है इस तरह से है वह : "Khatedari rights shall not accruein :
(x) land within the boundaries of any Government forest ;"

तो जब तक गवर्नमेन्ट फोरेस्ट रहेगा उस वक्त तक वहां खातेदारी राइट्स एक्वायर नहीं होंगे और जहां मुनासिब यह समझा जाए कि टाइम टू टाइम अब उसमें रिज़र्व करने की जरूरत नहीं है तो इस तरह जो जमीन रिज़र्व करने से बच जावेगी उस ज़मीन में खातेदारी राइट्स अपने आप एक्रू हो जावेंगे। तो इसमें शब्द एक्रू साफ लिखा है, शैल एक्रू, यानि जब वह जमीन रिजर्व नहीं रहेगी फोरेस्ट में तो बाद में अपने आप खातेदारी राइट्स एक्रू हो जावेंगे। तो इसलिए इस क्लॉज़ का रहना तो बहुत जरूरी है। और इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जो तरमीम भैरोंसिंहजी ने पेश की है वह मन्जूर नहीं होनी चाहिये।

श्री भोलानाथ—बिल्कुल बात सही है कि अगर फोरेस्ट विभाग जमीन को किन्हीं कारणों से रिलीज़ कर देता है तो रेवेन्यु विभाग को वह सरेन्डर कर दी जाती है और होता भी ऐसा ही है। जब तक ज़मीन फोरेस्ट के पास होती है तब तक वह उसकी होती है, उसमें कुछ भी अधिकार किसी को मिलने का कोई प्रश्न नहीं होता; पर अगर वह अपनी ज़मीन को किन्हीं भी कारणों से रेवेन्यू विभाग को सरेन्डर कर देता है और रेवेन्यू विभाग उसको खेती के लिए काश्तकारों में वितरित कर देता है तो उस हालत में खातेदारी राइट्स काश्तकार के रेवेन्यू विभाग के मातहत में एक्रू हो जावेंगे, और फिक्सेशन ऑफ रेन्ट, फिक्सेशन आफ टेन्योर और फेसिलिटी ऑफ ट्रान्सफर के माफिक कार्यवाही हो जावेगी। पर सूरत यह हो कि इसके पहले फोरेस्ट विभाग उस जमीन को सरेन्डर करदे। इस वास्ते मैं समझता हूँ कि श्री भैरोंसिंहजी की मंशा पूरी हो जाती है और इस स्पष्टीकरण के बाद मुझे उम्मीद है कि वे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरे संशोधन का समर्थन, मैं समझता हूँ, माननीय बृजसुन्दरजी और माननीय मंत्री महोदय ने भी कर दिया है। उन्होंने

[श्री भैरोंसिंह]

(समर्थन) किया, विरोध करते हुए, लेकिन मेरे संशोधन की जो मन्शा थी वह उन दोनों के वक्तव्यों से मालूम हो गई।

मेरे माननीय लायक दोस्त ने कहा है कि गवर्नमेंट और उनकी मन्शा यह है कि गवर्नमेंट फोरेस्ट से जो जमीन काश्त के लिए ट्रान्सफर कर दी जाय उसमें उसे खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे और फॉरेस्ट में खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे इसलिए हमने यह सब क्लॉज़ यहां पर जोड़ा है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जमीन काश्त की नहीं गई है, उस जमीन में खातेदारी राइट्स के मिलने, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सवाल पैदा होता है उसके बाद में जब कि उस जमीन पर काश्त की जाय, जो एग्रीकल्चर लेन्ड है; उसकी जो डेफिनिशन है या रेस्ट्रिक्शन है वह उस पर एप्लाई होती है जो एग्रिकल्चर की लेन्ड है या एग्रिकल्चेरल लेन्ड होने वाली है। ऐसी जमीनों के किस शर्त पर खातेदारी राइट्स मिल सकते हैं जो एग्रिकल्चर लेन्ड नहीं है। जिस तरह कि फोरेस्ट हैं, गवर्नमेंट के फोरेस्ट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर किया जाय उसके बाद में एग्रीकल्चर लेन्ड होती है, पहले नहीं। तो बिना वजह एग्रीकल्चर लेन्ड के लिए रेस्ट्रिक्शन डालने की तब तक जरूरत नहीं, जब तक फोरेस्ट से रिलीज़ नहीं हो। ऐसी सूरत में आवश्यकता यह है कि इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन का प्रोविजो क्लॉज़ १५ में लायें; नहीं तो इस तरह से और भी कई जमीनें हो सकती हैं। किसी के मकान के लिए कहेंगे कि खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे, किसी के छोटे बड़े बाग बगीचे हैं, उनके लिए कहेंगे कि खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। पशुओं के लिए गवाड़ की जगह होती है उसके लिए कहेंगे कि उस जमीन में खातेदारी राइट्स नहीं हो सकते हैं। इस कानून की मन्शा स्पष्ट है कि किस किस एग्रीकल्चर लेन्ड पर खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकते हैं। फोरेस्ट एग्रीकल्चर लेन्ड की डेफीनेशन में नहीं आता है तो जबरदस्ती इसे आप इस कानून में नहीं जोड़ें। इससे यह एग्रीकल्चर लेन्ड में नहीं आते हुए भी एक रेस्ट्रिक्शन का कारण बना रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां खेती नहीं होती है उसके लिए आयन्दा रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो वह सीधे उस सबक्लॉज़ के जरिये हो सकता है। फोरेस्ट में खेती नहीं होती है इसलिए इसे सबक्लॉज़ में रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आप दुबारा सोच लें। इसको स्वीकार कर लें तो उनकी मन्शा स्पष्ट हो जायगी और मेरा संशोधन जो उचित है वह स्वीकार हो जायगा।

श्री **सभापति**—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज़ (१०) पर श्री भैरोंसिंह का जो एमेंडमेंट है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

एमेंडमेंट गिर गया।

Page No.51

[श्री सभापति]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ का सब क्लॉज़ (१०) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (१० स्वीकृत हुआ।

उप खंड (११)

सब क्लॉज़ (११) पर कोई एमेंडमेंट नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (११) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (११) स्वीकृत हुआ।

उप खंड (१२)

(विराम)

सब क्लॉज़ (१२), श्री श्यामलाल गोयल; लिस्ट नं० २ सीरियल नं० ५१

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ १५ की सब क्लॉज़ (१२) मेंमेराएमेंडमेंट यह है—"Delete semi-colon in the end and add 'or for play grounds' य यह मेरा एमेंडमेंट है।

यह जो क्लॉज़ १५ है इस क्लॉज़ में उनके लिये प्रोवाइड किया गया है जिनके लिये खातेदारी राइट्स नहीं दिये जायेंगे। यह सब प्रोवीजन करने की जरूरत इसलिए हुई कि जो लेन्ड एग्रीकल्चर के लिए available नहीं है उसके खातेदारी पर्चे नहीं दिये जायेंगे; तो वहां यह जरूरी है कि प्लेग्राउन्ड के लिये जो जमीन दी जाय........।

श्री भोलानाथ—I accept it-

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री श्यामलाल गोयल का क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज़ (१२) पर जो एमेंडमेंट है, जिसे मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है, स्वीकृत हो।

Page No.52

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ का सब क्लॉज़ (१२) संशोधित रुप से स्वीकार किया जाय।

श्री मोतीराम—मेरा एक एमेंडमेंट है।

श्री सभापति—इसी (१२) के ऊपर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—नहीं आगे है।

श्री सभापति—पुनः प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (१२) संशोधित रुप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (१२) संशोधित रुप से स्वीकृत हुआ।

उप खंड (१३)

सब क्लॉज़ (१३) के बाबत कोई एमेंडमेंट नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ १३ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (१३) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

सब क्लॉज़ (१४), श्री एच. के. व्यास।

श्री भोलानाथ--चेयरमेंन महोदय, मैं यह रिक्वेस्ट कर दूं कि (१४) और (१५) को स्थगित कर दिया जाय कल के लिए।

श्री एच.के. व्यास—कल तो वे आ जायेंगे ?

Sir, I would very respectfully submit that we would be doing the greatest service not only to Rajasthan but to other States and India if we adjourn when we

[श्री एच. के. व्यास]

are not in a position to take up the work seriously of the nature of Tenancy Law. In view of the manner in which we are proceeding. very respectfully I submit that in order to serve the interests of this country the Government be taught a lesson and the House should be adjourned

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मि० चेयरमेन महोदय, जितना सीरियसली हम इस मेटर को टेक अप कर रहे हैं उस को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इसको सीरियसनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज किसी भी चीज पर गवर्नमेंट विचार करना चाहती है और उन लोगों ने जिन्होंने तरमीन रखी है उनसे भी बहस करके किसी नतीजे पर पहुँचना चाहती है। हमेशा यह रहा है कि क्लॉज़ेज जो इस तरह की हैं उनको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है, यह तरीका हम फोलो कर भी रहे हैं। मेरे लायक दोस्त ने कहा कि 'हम डिससर्विस कर रहे हैं; यह उनके शब्द अनकॉल्ड फोर हैं। हम हमेशा से सर्विस कर रहे हैं हमारे देशवासियों की। कौनसी बात ऐसी है जिसमें कि सीरियनेस नहीं हो। इसे मान लिया जाय कि आज कोई मंत्री महोदय जो कि बिल के चार्ज में हैं या वह जो ये पॉइलट कर रहे हैं उनकी कभी तबियत भी खराब हो सकती है या बाहर भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे मंत्री महोदय उसको पॉइलट नहीं करें। वह पॉइलट कर सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। वह तैयार हैं डिस्कशन करने के लिए या किसी चीज के लिए, लेकिन वह अपने इरादे को रिज़र्व रखना चाहते हैं और सदन से मांग करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि फरदर डिसकशन के लिए मौका दिया जाय जिससे लाभ ही होगा यह हमेशा किया भी जाता रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, गवर्नमेन्ट की शिकायत-का जवाब गवर्नमेन्ट के सदस्यों के बजाय और कोई सदस्य क्यों देते है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Every member has a right to speak

श्री भोलानाथ—गवर्नमेन्ट की तरफ से मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मेम्बरों की राय इसको पोस्टपोन करने के लिये हो तो मैं खुद भी इसको पोस्टपोन करने के पक्ष में हूँ। लेकिन यदि आप चाहते हों कि इस पर डिस्कसन चले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यदि कुछ मेम्बर यह चाहते हैं कि इसको प्रोसीड करें तो कर सकते है। क्योंकि यह प्रश्न काफी इम्पोर्टेन्स का है और बिल पर भी काफी असर डालता है इसलिये इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। यदि आप एक राय होकर अमेन्डमेन्ट लाते हैं और वह अच्छी तरह से एग्ज़ामिन नहीं होता है तो इससे दिक्कत होती है; इसलिये इस क्लॉज़ को पोस्टपोन करने का सवाल है। यदि आप-की यह राय है कि इसको चालू रखा जाय तो फिर यह चालू रखा जा सकता है।

श्री सभापति—क्या सब क्लॉजेज़ (१४) और (१५) को मुल्तवी कर दिया जाय ?

श्री भैरूसिंह खेजडला—क्यों कि यह प्रश्न जागीरदारों से सम्बन्ध रखता है और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यहां नहीं हैं इसलिये इसको पोस्टपोन करने के लिये हमारी रिक्वेस्ट है। यदि कुंवर साहब इसको चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कुंवर साहब के चाहने न चाहने का कोई सवाल नहीं है। जिस तरह एक माननीय सदस्य ने एक्साइटमेन्ट से भर कर कहा वह तरीका ठीक नहीं है। जिस तरह से कार्यवाही चल रही है वह आपके सामने है। क्लॉज़ आफ्टर क्लॉज़ बगैर बहस के छोड़े जा रहे है। बहस सुनने के बाद यदि किसी क्लॉज़ को पोस्टपोन करने का सवाल आता तो मैं मान सकता था लेकिन इस तरह से बगैर बहस के टालते जाना सदन के लिये शोभा की बात नहीं है। इसमें न जनरल क्लॉजेज़ का सवाल है और न मेरे लिहाज का सवाल है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—Do you want to carry on the debate on this clause ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It is not the question of my libing. माननीय मन्त्री जवाब नहीं देंगे तो ठीक नहीं रहेगा।

श्री भोलानाथ—जवाब क्यों नहीं देंगे ? जवाब की वजह से पोस्टपोन करने का सवाल नहीं है। जिन क्लॉज़ेज़ को पोस्टपोन करने का सवाल आया है वह इसलिये आया है कि अगर मंत्री महोदय के आने के बाद बात-चीत से अच्छा रास्ता निकलता हो तो इसको पोस्टपोन करने में हर्ज नहीं है। फिर भी अगर हाउस की यह राय है कि इसे चालू रखा जाय तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसमें बहस की क्या आवश्यकता है, जब कि माननीय मंत्री महोदय जवाब देने को तैयार हैं ?

श्री सभापति—मैं हाउस की सम्मति चाहता हूं कि इस क्लॉज़ को पोस्टपोन किया जाय।

(अस्वीकृत)

इस क्लॉज़ पर विचार जारी रखने का हाउस का मत हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १५ के सबक्लॉज़ (१४) पर मेरा संशोधन है और वह यह है कि इस सब क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—श्री नाथूरामजी का भी यही संशोधन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरों की मुझे मालूम नहीं है।

वैसे तो इसके साथ में एक और संशोधन कंसीडर होना चाहिये और वह है क्लॉज़ १५ (ए) के संबंध में, मैंने जो दिया है। जिस क्लॉज़ का संबन्ध सबक्लॉज़ (१४) से है उसको मैंने क्लॉज़ १५ (ए) में लाने की कोशिश की है। मैं सिर्फ अपने दृष्टिकोण को समझाना चाहता हूं। सबक्लॉज़ (१४) को हटा देने का संशोधन मैंने रखा है और उसके कारण पर प्रकाश डालना आवश्यक है। यह जो टिनेन्सी का कानून हम बनाने जा रहे हैं उसका यदि सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज़ कोई है; जिसके लिये यह कहा जा सके कि इस सारे कानून की जान है तो वह है सब क्लॉज़ (१४); काश्तकार को अपनी जमीन के ऊपर रहने का पूरा अधिकार होता है उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता। उस जमीन पर किया हुआ इंप्रूवमेन्ट प्रोटेक्टेड होता है और परमानेन्सी ऑफ टिनेन्सी को सिक्योर्ड टीनेन्सी हम कह सकते हैं। आज भी हम यह कहते हैं कि जो कुछ आदमी काश्त करते हैं उनको खातेदारी हक मिलने चाहिये। जो अधिकार दिये गये हैं उनकी शुरुआत क्लॉज़ १४ से होती है। लेकिन दुर्भाग्य से कहिये या पुराने जमाने के मुकाबले में ज्यादा अक्लमंदी आज आ गई है उसकी वजह से कहिये, सब क्लॉज़ (१४) का पहला सेन्टेन्स है 'subject to the provisions of sedtion 15' इसकी वजह से सेक्शन १५ की ओर ध्यान हमको पूरा पूरा देना पड़ता है, एक ओर इसके द्वारा हम अधिकार देते हैं जो काश्तकार काश्त कर रहे हैं उनको खातेदारी हक मिल जायेंगे जो टीनेन्ट हैं, सब टीनेन्ट के रूप में नहीं है और खुद काश्त टिनेन्ट नहीं हैं, इनके अलावा बाकी किसी भी हैसियत के टीनेन्ट हैं वे खातेदारी टीनेन्ट माने जायेंगे। एक हाथ से हम यह अधिकार दे रहे हैं और फिर धीरे धीरे चुपके चुपके क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज़ (१४) में कहते हैं :

"Land situatad in a jagir area until the application, if any, of the jagirdar concerned for allotment of khudkasht has been fianlly decided"

माननीय चेयरमेन महोदय, राजस्थान की जमीन के आंकडे सेंसस डिपार्टमेंट द्वारा शाया किये जा चुके है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी एक बड़ा सारा बुलेटिन निकाला है जिसके मुताबिक राजस्थान की जमीन का ६० प्रतिशत एवरेज और कुछ कुछ जिलों में ८० प्रतिशत से ८८ प्रतिशत एवरेज जमीन वहां पर जागीरदारी प्रथा के मातहत है और अब हम यह कहते हैं कि काश्तकार को राजस्थान की सारी जमीन पर यह अधिकार मिलेगा और आज जो टीनेन्ट है वह इस एक्ट के पास होते ही खातेदार टीनेन्ट बन जायगा। लेकिन क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज़ (१४) के जरिये हम कहते हैं कि ८०, ७५ या ६० प्रतिशत जमीन पर यह हक नहीं मिलेगा क्योंकि—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"That is land situated in the jagir areas"

पहले शब्द हैं उनकी ओर गौर करेंगे तो वे ये हैं :

"Land situated in a Jagir area until the application, if any, of the jagirdar cocnerned for allotment of Khudkasht" खुद काश्त के सिलसिले में जिस जमीन का टंटा है, हालां कि उस जमीन को महरूम नहीं किया गया है, लेकिन जब तक खुद काश्त की अर्जी तय न हो तब तक पूरे के पूरे जागीर एरिया में किसी को खातेदारी हक नहीं मिलेगा। यह न कोई उसूल की बात मालूम होती है और न व्यवहार की बात मालूम हो रही है। किसी के पास १० हजार बीघा जमीन है उसमें से ६००० बीघा जमीन खुद काश्त के नाम पर दर्ज कर दें और ४००० बीघा जमीन जो बच जाती हैं उसको और किसी बिना पर एक्सक्ल्यूड कर रहे हैं उसमें खातेदारी हक न देने का प्रोविजो किस आधार पर जोड़ा जा रहा है ? कोई आधार मुझे तो मालूम नहीं होता। इतना ही नहीं लेकिन यह कहा गया है चेयरमेन महोदय, कि यदि एप्लीकेशन पेन्डिंग है, खुद काश्त के एलॉटमेंट के सिलसिले में, तो जब तक उस एप्लीकेशन का फैसला न हो तब तक वह जमीन सब सेक्शन (१५) के मातहत आ जायगी।

इसका भी आप कानूनी मतलब, जरा गौर से मुलाहिजा फरमावे, तो यह है कि मान लीजिये ४ या ६ महिने बाद एक तारीख मुकर्रर करते हैं, ७ नवम्बर, १९५४ हमने मुकर्रर कर दी उस दिन यह एक्ट फोर्स में आया। उस दिन जितनी जागीर की जमीन है वह धारा १४ से एक्सक्लूड हो गई अर्थात् जागीर इलाके में जो आज टीनेन्ट हैं एट दी कमेन्समेंट ऑफ दिस एक्ट इसकी धारा १५ की वजह से जो हकूक आज नहीं मिल सकते इसके बाद खुद काश्त के केसेज़ पेंडिंग हैं वे डिसाइड होंगे और उनके डिसाइड होने में ६ महीने, एक साल हो गया। जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक उस जमीन का क्या होता है ? यह होता है कि जागीरदारी रकबा वैसा का वैसा रहता है। खुदकाश्त का मामला यदि तय नहीं किया है तो वह जमीन बीच में लटकती हुई रह जायगी। इस बीच में चेन्जेज़, तब्दीलीयां, और ट्रान्सफर्स हो सकते हैं और यह सब करने के बाद खुदकाश्त की एप्लीकेशन तो है ही। इसके बाद खुदकाश्त की एप्लीकेशन होने वाली है, इसके बारे में अभी कोई प्रोविजन नहीं है। जिस जमीन को १५ के मातहत एक्सक्लूड कर दिया, एग्जम्प्टेड (exempted) क्लॉज़ है उससे रिलीज हो गई तो जिस दिन वह सेक्शन्स एप्लाई नहीं करते हैं, रिलीज़ हो जाती है तो इस बारे में मौजूदा बिल में कोई प्रोविजन नहीं रखा है। ऐसी स्थिति में इस धारा १५ की सब धारा (१४) का यह नतीजा होगा कि एक ओर तो खातेदारी को देने का ढिंढोरा पीटेंगे और दूसरी ओर सीधी सी पाबन्दी लगा देंगे कि इसका फायदा खालसे में रहने वालों को मिलेगा, जहां पहले से ही खातेदारी राइट्स मिले हुए हैं। टीनेन्सी एक्ट के मातहत अगर किसी को खातेदारी राइट्स मिलने वाले

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हैं तो वह जागीर एरिया के किसानों को। पर उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि किसी कारण और बिना के आधार पर उस जमीन को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिये था।

तब फिर सब से पहला एक संशोधन इस क्लॉज़ में मैंने दिया हैं, उसके जरिये इस समस्या को हल कर सकते हैं। वह संशोधन १५ (ए) पर दिया है, पर उसके तात्पर्य को समझाने के लिये ही यहां बताता हूँ, वह इस प्रकार है :

"If any land on which Khatedari rights have accrued under this Act becomes liable to be allotted as Khudkasht under Chapter IV of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, then the provisions of section 16 A, 16 B and 16C shall mutatis mutandis apply;"

इसका तात्पर्य यह होगा कि हम किस वक्त इन्साफ करायें ? खुद काश्त की एप्ली-केशन पहले कन्सीडर हो जाय, फैसला हो जाय, फैसला होने के बाद यह तय हो कि अमुक जमीन का अलॉटमेंट एज खुदकाश्त पक्का गिना जाय ? तब टंटा आयेगा, वह यह कि जो काश्तकार खुद काश्त करता है उसको माना जाय या खुद काश्त का नया क्लेमेंट आया है उसको माना जाय। ऐसी सूरत में जैसा इस बिल में इस क्लॉज़ को संकुचित रखा है कि उसके आधार पर मैंने यह संशोधन रखा है कि वैसी हालत में उस आदमी की स्थिति सब टीनेन्ट की रहेगी, १६ ए. बी. सी. के मातहत।

किसी भी हालत में किसी भी काश्तकार को १४ के अन्तर्गत फायदा होने वाला हो उससे महरूम न रखें इसके साथ साथ और संशोधन है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह है इस प्रविजो के बारे में। यह जो क्लॉज़ १५ में अभी एक प्रोविजो जोड़ा गया है वह १५ ए में मैंने शुमार कर दिया है, १५ में एक प्रोविजो और जोड देना चाहिये। इसके शब्द इस प्रकार हैं :

"Provided further that on any such land or part thereof being released from any of the above named parties on this section ceasing to apply to such land or part thereof, Khatedari rights would apply to those persons to whom they would accrue ? but for the application of this section in respect of lands covered by this section."

श्री सभापति—यह प्रोविजो जब लेंगे तब इसके बारे में बोलना।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस बात को स्पष्ट करने के लिये कह रहा हूं।

Page No.58

श्री **सभापति**—आप तो सब क्लॉज़ (१४) पर बोलिये ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—मैं सिर्फ (१४) के बारे में जिक्र करता पर चूंकि २४ वां क्लॉज़ एक ऐसा क्लॉज़ है कि जिसका संबन्ध तीन-चार चीजों से है । इसलिये इस दृष्टिकोण को मेरे माननीय मित्र सामने रखें, इसलिये मैंने यह संशोधन पढ़ा है ।

अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि वह समस्या यह है कि यह टीनेन्सी एक्ट जिनके लिये बन रहा है, उनको इससे फायदा मिले इस प्रकार के प्रोवीज़न्स हमें इसमें रखने पडेगें; नहीं तो केवल यह कहने से कि हमने राजस्थान में खातेदारी हकूक देने का तय कर लिया है, खालसे में खातेदारी राइट्स देने का तय कर लिया है, पर जागीरी इलाके में नहीं होगा । इसका नतीजा यह होगा कि धारा १४ किसी को फायदा नहीं पहुंचायेगी । वह तो केवल कागजी कार्यवाही रह जायगी क्योंकि खालसे में तो पहले से ही वह राइट्स प्राप्त हैं और क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज़(१४)की वजह से सारे टीनेन्सी एक्ट की बुनियाद लगभग उलट देंगे । इस दृष्टिकोण से कहूंगा कि इस सब क्लॉज़ को हटा दिया जाय लेकिन जागीर लैंड को किसी तरह धारा १४ के अन्तर्गत आने से न रोका जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं ।

श्री **सभापति**—श्री किशनलाल शाह । (अनुपस्थित) श्री नाथूराम मिर्धा ।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—I have already moved my amendment.

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—कहां मूव किया ?

श्री **नाथूराम मिर्धा**—इस क्लॉज़ को ड्रोप कर दिया जाय, यह मैंने कभी का मूव कर दिया है ।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है—"That part (IV) of the clause be deleted"

इसे डिलीट कर देना चाहिये ।

श्री **श्यामलाल गोयल**—माननीय चेयरमेन, पहला एक निगेटिव एमेंडमेंट है; अगर वह एमेंडमेंट मंजूर हो जाता है तो इस एमेंडमेंट को मूव करने की जरूरत नहीं रहती और अगर वह पास नहीं होता है तो उसके बाद इसको मूव किया जावे । यह पहले जानना चाहता हूं ।

श्री **भोलानाथ**—मैं श्री नाथूराम का जो इस पर एमेन्डमेंट है उसको मंजूर करता हूं ।

श्री **भैरूसिंह** (डि० १६)—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 15 Part (XIV)

[श्री भैरू सिंह]

"Delete Part XIV and substitute the following in its place :—

'(XIV) land situated in a jagir area in respect of which the application of a jagirdar for allotment of Khudkasht has not been finally decided,

"Provided that the Khatedari rights shall automatically accrue to the person in whose favour the application is decided."

माननीय चेयरमेन, जहां तक मेरे इस संशोधन के पहले भाग का संबन्ध है, वह इस सब क्लाज़ को डिलीट करने के बारे में है और इसको डिलीट करने के बारे में तो सदन के सभी दूसरे सदस्यों ने जिन्होंने अपने अपने एमेन्डमेंट मूव किये हैं, माना है, इसलिये वह तो उसी के अनुसार है। लेकिन इसके लास्ट पेरा में मैंने दूसरी बात सब्स्टीट्यूट की है और वह यह है कि किसी ज़मीन के बारे में जो जागीर एरिया में हो, उस जमीन के लिये किसी जागीर ने खुद काश्त के लिये अलॉट करने के लिये दरख्वास्त दी हो और जब तक उस दरख्वास्त का निर्णय न हो जावे तब तक उस काश्तकार को खातेदारी राइट्स नहीं मिलने चाहिये और जिस वक्त उस दरख्वास्त का कोई आखिरी निर्णय हो जावे उस समय खातेदारी राइट्स दे दिये जाने चाहिये, चाहे वह फाइनल फैसला काश्तकार के हक में हो या जागीरदार के हक में हो। जिसके पक्ष में निर्णय हो उसको खातेदारी राइट्स दे दिये जाने चाहिये। यह मेरा संशोधन है।

माननीय चेयरमैन, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह बिल जिस समय विचाराधीन था उस समय शायद इस बिल में इसको रखने की जरूरत थी और रखने वालों की इसको रखते वक्त यह मंशा थी कि यह बिल जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के बनने से पहले पास होगा और जागीर रिज़म्प्शन एक्ट इसके बाद में आएगा। इसी आशय को ध्यान में रख कर सिलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार किया। जिस समय यह बिल ओरिजिनल हालत में सिलेक्ट कमेटी में प्रस्तुत किया उस समय खुदकाश्तवालों को खुदकाश्त राइट्स मिले। यह प्रोविजन रखना बहुत ही आवश्यक था और इसी विचार से इसको रखा गया। लेकिन पहले जागीर रिज़म्प्शन एक्ट बन गया और वह मंशा कुछ विपरीत दिशा में परिणत होने के कारण अब यह स्थिति है कि इसको रखना चाहिये या नहीं, इसके लिये हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जहां तक यह मंशा थी कि जागीर रिज़म्प्शन एक्ट इस बिल के पास होने के बाद पास होगा वहां तक तो यह सारी चीज बिल्कुल स्पष्ट थी। मगर अब इस बात को देखना है कि इस चीज को रखने की अब आवश्यकता है या नहीं ? यदि हम जागीरों में खुदकाश्त की हालत को देखते हैं, सरकार की मंशा को देखते हैं और इस पर गौर करते हैं कि इस क्लॉज़ का उस पर क्या असर होगा तो यह जरूरी हो जाता है कि इसको रखा जावें। इसका रहना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन जिस हालत में यह क्लॉज़ है वह बहुत ही वेग है और वेग होने के कारण इस सम्बन्ध में लोगों को कुछ

[श्री भैरूंसिंह]

शक हो सकता है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जब तक जागीरदारों की अर्जियों का खातेदारी राइट्स के सम्बन्ध में अंतिम फैसला न हो जावे तब तक खातेदारी राइट्स किसी को नहीं दिये जावें, यह बात मैंने यहां रखी है। इसी मंशा से मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है। जब दरख्वास्त का निर्णय हो जावेगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली खातेदारी राइट्स उस व्यक्ति को मिल जावेंगे जिसके पक्ष में निर्णय होगा। आज यह चीज बाधक हो रही है कि जो सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त नहीं हैं, उन सब के खातेदारी राइटस मिल जावेंगे। यह स्पष्ट है कि सबटिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हैं उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूँ कि इससे समस्या कुछ हद तक सुलझेगी लेकिन जिस हद तक समस्या सुलझनी चाहिये नहीं सुलझेगी। लेकिन खुदकाश्त की जटिल समस्या है इसके लिये सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को राइट्स नहीं मिलें तो इसकी मंशा को पूरी नहीं करेगा। At the commencement of this Act जो कोई काश्तकार जमीन पर काबिज होगा उसको खातेदारी राइट्स किस तरह मिल जावेंगे और किस तरह से खुदकाश्त का अलॉटमेंट हो सकेगा ? ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिन पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि खातेदारी राइट्स के लिये कलेक्टर या कमिश्नर के पास दरख्वास्त देनी होगी और वह उसका निर्णय करेगा और अगर वह चाहे तो उसकी दरख्वास्त को खारिज कर देगा दूसरी तरफ आप यह कहते है कि इस बिल के आने से पहले जो सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त होगा वह रहेगा।

मैं यह कहूँगा कि अभी जागीर रिजम्प्शन एक्ट पास हुआ है और जो खुदकाश्त जागीरदारों को उनकी जीविका के लिए मिलेगी, जिसके अलावा उनकी जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं होगा। सरकार उनको खुदकाश्त की जमीन देना चाहती है, उनका क्या हाल होगा ? अगर उन लोगों को अधिकार दे दिये गये जिनके कोई अधिकार नहीं हो सकते जो एक या दो साल से काश्त करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि फिर उन जागीरदार खुदकाश्त लोगों के लिये कोई चारा नहीं रहता और कानून के अनुसार सरकार भी मजबूर हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि इस क्लॉज़ में कोई प्रोविजन रहे। अगर कोई १ जुलाई से ६ माह के अन्दर खातेदारी राइट्स के लिए दरख्वास्त देकर खातेदारी राइट्स एक्सेप्ट कराने की कोशिश करता है तो उसके लिये उनको कोई राइट्स नहीं मिलने चाहिये। कलेक्टर और कमिश्नर ऑन मेरिट्स उनकी अर्जियों को डिसाइड करते हैं। तो इससे यह होगा कि काश्तकार या जागीरदार खुदकाश्त कमिश्नर के बनने से पहले ही खातेदार बन जावेंगे और जब वे लोग पहले ही खातेदार बन जावेंगे तो खुदकाश्त कमिश्नर और दूसरे अधिकारी को अपोइन्ट करने का क्या होगा और इसके लिए जो लच्चर दलीलें दी जाती हैं और जो सहूलियतें खुदकाश्त के लिये जागीरदारों को दी जाती हैं वे किसी मकसद की नहीं रहतीं। वास्तव में जागीरदारों को खुदकाश्त की जमीन देना सरकार की मंशा है और जागीरदारों का जीवन निर्भर भी करता है उस खुदकाश्त की ज़मीन पर। हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि किसी काश्तकार को बेदखल नहीं किया

[श्री भैरूं सिंह]

जावे, मगर इसके साथ साथ हमको यह भी देखना है कि जिनकी जमीन पीढ़ियों से है उनकी जमीन दूसरों को नहीं दिलाई जावे। जो लोग दो-तीन साल से टैम्पोरी जमीन पर काश्त करते हैं उनका उन लोगों से कैसे ज्यादा हक हो सकता है जिनका उस जमीन पर हेरिडेटरी हक चला आ रहा है।

जब हम इस क्लॉज़ को देखते हैं तो इससे कनफ्यूज़न पैदा होता है। जब हम सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स देते हैं तो उन लोगों की अर्जियों का क्या होगा जो बाद में जागीरदार खुदकाश्त के लिये देंगे। उन लोगों को हमने गये सेशन में जो आश्वासन दिये हैं वे आश्वासन सब बेकार हो जाते हैं और इससे सरकार के सामने ऐसी जटिल समस्या पैदा हो जाती है कि खुदकाश्त जागीरदारों को देनी है वह किस तरह से देनी है?

मेरा निवेदन यह है कि सरकार के सामने खातेदारी राइट्स को मंजूर करने के लिये जो जागीर एरिया में खुदकाश्त के लिये एप्लीकेशन दी जावे जब तक उनका अन्तिम निर्णय न हो जावे तब तक खातेदारी राइट्स उस जमीन के लिए किसी को नहीं दिये जाने चाहिये। जब निर्णय हो जावे चाहे वह काश्तकार के हक में हो या जागीरदार के हक में हो उस समय उसको जमीन एलॉट हो जावेगी। इससे जिन लोगों को शक है वह शक भी दूर हो जावेगा और जमीन को किसी के कब्जे में छोड़ने का प्रश्न पैदा नहीं होगा, और न किसी को कब्जा छुड़ाने का प्रश्न ही पैदा होगा। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि इसको डिलीट करके मेरा जो एमेंडमेंट है उसको स्वीकार कर लिया जावे। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो खुदकाश्त के अधिकारी हैं उनको और दूसरे जो सरकारी अधिकारी हैं उनके सामने भी इस एमेंडमेंट को पास करने से कोई मुसीबत पैदा नहीं होगी।

मैं समझता हूँ कि यह संशोधन बिल्कुल न्यायोचित है और समय की मांग है कि जिन लोगों को रिहैबिलिटेट करना है उनका उदारतापूर्वक ध्यान रखें और मैं आशा करता हूँ कि उदार दृष्टि से इस संशोधन को स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री सभापति—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री कपिलदेव—माननीय चेयरमैन, जो एमेंडमेंट श्री नाथूराम जी मिर्धा ने रखा है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ और जो अमेंडमेंट श्री भैरोंसिंह जी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। ओरीजिनल एक्ट में जो सब क्लॉज़ है वह यह है कि:—

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

"(xiv) land situated in a jagir area until the application, if any, of the jagirdar concerned for allotment of Khudkasht has been finally decided in accordance with Chapter IV of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952; and" जिस समय यह सब क्लॉज़ बनाया गया उस समय हमारे सामने, सिलेक्ट कमेटी के सामने जागीर रिज़म्पशन एक्ट अमेंडेड रूप में नहीं था। पहले फ्रज़ोलोजी ऐसी थी वह यह थी:--

"land held on any lease or other tenure for a fixed term which is likely to terminate within two years of the date of the submission of the report by the collector under sub- section (1) of section 16" तो जागीर रिजम्पशन एक्ट को हम इस कानून के तहत यह मान कर चलते थे कि किसी भी जागीर एरिया के अन्दर कोई जमीन हो और जब तक खुदकाश्त की एप्लीकेशन तय नहीं हो जायगी तब तक खातेदारी राइट्स एक्र्यू नहीं होंगे। जब विधान सभा के सामने जागीर रिज़म्पशन एक्ट की अमेन्डेड फोर्म आई जो पास हो चुकी है, वह इस प्रकार है:-

"13, Amendment of section 19. Act VI of 1952.-In sub-section (1) of section 19 of the Principal Act-(i) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

(iii) Land which was under the personal cultivation of the Jagirdar for a continuous period of five years immediately preceeding the agricultural year 1948-49 and which during or after that year was given on lease for a fixed term and such lease would have terminated before the date of the application under section 14 but for the Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance. 1949"

तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जागीरदार को जागीर रिज़म्पशन एक्ट के जरीये खुदकाश्त के लिए वह जमीन देंगे जहां कि काश्तकारों के खातेदारी राइट्स उन जमीनों से एक्रू नहीं हुए, जिनकी जागीरदार सन् ४८ के पांच साल पहले कन्टीन्युअसली खुदकाश्त करते थे और उसके बाद दूसरे शख्स को काश्त करने के लिए फिक्स्ड टर्म्स पर दे दी गई। यदि वह टर्म खत्म हो जाती है, कब्जा ले सकते थे किन्तु टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट के जरीये कब्जा नहीं ले सकते और बीच में ही राइट्स एक्रू होगये तो इस तरह की जमीनें नहीं दी जायंगीं। जब जागीर रिज़म्पशन एक्ट पास कर दिया गया है और कहा गया है कि कोई ऐसी जमीन नहीं दी जायगी जो कि जागीरदार खुदकाश्त नहीं करता था, राइट्स एक्रू हो चुके हैं वे ही दी जायंगी तो मैं यह अर्ज करता हूँ कि इस क्लॉज १५ के सब क्लॉज़ (१४) की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खुदकाश्त की समस्या जयपुर, जोधपुर की जो फोर्मल थी उसमें ही थी। जयपुर स्टेट के समय Jaipur state-Grants Land Tenure Act, 1946

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

पास हुआ था। जागीर एरिया में उनको खातेदारी राइट्स दिये थे जो कि जमीन काश्त करते थे। "otherwise then as a sub-tenant." तो जागीर एरिया में उन सबको खातेदारी राइट्स दिये हैं। जोधपुर स्टेट में भी मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट पास हुआ था और उसको सेक्शन ७ या ८ जो फोर्स में आयी उसके अनुसार जो काश्त करते थे उनको खातेदारी अधिकार दिये। जो ४६, ४६ में काश्त करते थे उनको खातेदारी राइट्स पहले ही दे दिये जा चुके और जागीर रिजम्पशन एक्ट के अनुसार भी जो ४६ से पहले पांच वर्ष में काश्त करते थे उनको खातेदारी राइट्स दिये जा चुके हैं; तो फिर बेदखल करने का प्रश्न नहीं उठता हैं। राइट्स एक्रू हो चुके हैं, उनको खत्म करने की मंशा नहीं रहती। हम काश्तकारों के राइट्स को हटाने का विचार नहीं करते हैं, उनको बेदखल करने की भी बात नहीं सोचते हैं। इसलिए यह सब सेक्शन (१४) बेकार हो जाता है। इसलिए जो अमेंडमेंट श्री नाथूरामजी मिर्धा ने रखा है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ और जो रीज़न्स श्री व्यासजी ने दिये हैं। उनसे सहमत नहीं हूँ और क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज़ (१४) को ओमिट करने का जो सुझाव श्री नाथूरामजी ने दिया और जो कारण बताये हैं वे साफ हैं और इसकी उस हालत में रखने की आवश्यकता नहीं है जागीर रिजम्पशन एक्ट पास हो जाने के बाद इसको रखने की आवश्यकता नहीं है और गैर जरूरी होने से ओमिट करने की व्यवस्था आई है। जब इसको ओमिट कर देते हैं और सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार कर लेते हैं कि काश्तकार बेदखल नहीं होगा, जिनको राइट्स एक्रू हो चुके हैं उनके राइट्स खत्म नहीं होंगे, बावजूद इसके कि एक्रू नहीं हुए हैं खुदकाश्त नहीं दी गई और एप्लीकेशन है वह छः महीने में डिसाइड हो, आदि प्रश्न ही पैदा नहीं होते हैं।

श्री भैरोंसिंह जी का जो अमेंडमेंट है वह अपने आप ही बेअसर हो जाता है। क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज १४ को ओमिट करने का श्री मिर्धाजी का जो प्रस्ताव है उसको मंजूर कर लिया जाय और श्री भैरोंसिंहजी का जो प्रस्ताव है उसको नामंजूर किया जाय।

श्री **भीमसिंह**--श्री मिर्धाजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसका मैं विरोध करते हुए श्री भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें। श्री कपिलदेवजी ने खुद की ही चीज को अपनी भाषा में कन्ट्राडिक्ट किया उसके बारे में निवेदन करूंगा।

इस सब क्लॉज़ में यह रखा हुआ है कि यह क्लॉज़ टाइम पास करने का है और टाइम कब तक कि जब तक खुदकाश्त की दरख्वास्त दी हुई है वह फाइनेलाइज़ नहीं कर दी जाय। समय की अवधि रखी है वह समय का प्रश्न नहीं है जब कि खुदकाश्त की दरख्वास्त ३१ दिसम्बर, ५४ तक नक्की हो जानी चाहिए। उसके बाद उसको फाइनेलाइज़ करना गवर्नमेन्ट के हाथ में रह जाता है। इस काम में दो महीने लग सकते हैं और इतने बड़े प्रश्न के हल को देखते हुए चार पांच - महीने

[श्री भीमसिंह]

भी लग सकते हैं। जून १९५५ तक तो फाइनेलाइज़ हो जायगा जब कि जुलाई में मानसून शुरू होता है । ऐसी सूरत में जो दरख्वास्तें और जो प्रश्न आवेंगे वे आयन्दा मानसून तक नक्की हो जावेंगे । इस मानसून के निकल जाने के बाद अगला जो मानसून आयगा और जो फसल आयगी उसके पहले तक यह फाइनेलाइज़ हो जायगा। उस समय काश्तकारों को अड़चन आयगी, काश्तकारों को दिक्कत महसूस होगी। इस क्लॉज़ के रहने से नाथूरामजी जो खतरा महसूस करते हैं, जो दिक्कत महसूस करते हैं वह नहीं आने वाली है ।

श्री कपिलदेवजी ने कहा कि चूंकि जयपुर लेन्ड ग्रान्ट टिन्योर एक्ट पास हो चुका था और बाद में जो राइट्स एक्रू हुए उसमें अडचन पड़ने वाली नहीं है इसलिए इसको डिलीट कर दिया जाय। क्लॉज़ १५ के जो शब्द हैं उनके देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जहां पर राइट्स एक्रू हुए हैं उनको यह क्लॉज़ अफेक्ट नहीं करता है, परन्तु जिन लेन्ड्स के अन्दर टिनेन्सी राइट्स एक्रू नहीं हुए हैं वहां लागू होता है, न कि दूसरों के बारे में। जिनके पहले खातेदारी राइट्स कन्फर्म हो चुके हैं उनको यह क्लॉज अफेक्ट नहीं करने वाला है । खाली खातेदारी राइट्स कन्फर्म होने तक पेन्डिंग रखने के लिए जब तक कि खुदकाश्त के लिए प्रश्न हल नहीं हो जाता तब तक के लिए यह है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर वे विचार करें कि खुदकाश्त का प्रश्न बड़ा जटिल प्रश्न है, उसमें कई पेचीदगियां हैं। इस क्लॉज़ को पास करते हैं तो सरकार के हाथ बंध जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आसानी से आपस में बैठ कर, आसामियों और भोमियों को आपस में मिला कर, समझौते से, बाहमी तरीके से सुलझाया जा सकता है और इससे हाथ नहीं बंधेंगे। अड़चनें और दुविधा भी जैसी कि संभावना की जाती है, नहीं होगी ।

अभी लीडर ऑफ ऑपोजीशन से तकाजा फरमा रहे थे । उन्होंने कहा कि सीरियसनेस महसूस नहीं करते । सीरियसनेस को देखते हुए ही माननीय मंत्री उसको पेन्डिंग रखने को तैयार थे । लेकिन जो सीरियसनेस की दुहाई देते हुए जल्द बाजी पैदा करने लगे तो उसका क्या किया जा सकता है । जो आदमी, जो महानुभाव शहर में रहते हैं जो बीकानेर शहर छोड़कर कभी बाहर जाते नहीं है, जो खुदकाश्त करने का कभी कष्ट नहीं करते , जो ५० लाख की ट्रस्ट के मालिक है जिनको खुदकाश्त से कुछ लेना देना नहीं वे क्या जानें कि खुदकाश्त क्या चीज़ है ।

श्री **जवानसिंह**—ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या सदन में किसी पर पर्सनल आक्षेप किया जा सकता है ?

श्री भीमसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नाम किसी का नहीं लिया है। जब सीरियसनेस का प्रश्न उठाया गया था उसके सम्बन्ध में मैंने यह

[श्री भीमसिंह]

निवेदन किया है। जो व्यक्ति काश्तकारों की समस्या से परिचित है, यदि उनके द्वारा कुछ कहा जाता तो समझ में आ सकता था। खुदकाश्त में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं यह चीजें वे क्या जान सकते हैं जिन्होंने आज तक खेती नहीं की? उनको क्या पता कि देहातों में भोमियों और काश्तकारों के बीच क्या सम्बन्ध होते हैं? इन सब बातों का पता नहीं है उनको जिन्होंने सीरियसनेस की बात कही। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन यह है कि इन सब बातों पर मुलाहिजा फरमा कर श्री नाथूरामजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको ड्रॉप किया जाय। अगर इसमें कुछ डिलीट करने का ही विचार हो और अगर इसको नामन्जूर करने का विचार नहीं है तो कम से कम इसको पेन्डिंग रखा जाय ताकि इसके बारे में विचार किया जा सके। हो सकता है इसमें कुछ गलती रह गई है, लिहाजा आपस में बैठकर विचार हो सकता है। सीरियसनेस का तकाजा नहीं किया जावे तो बहुत अच्छा होगा।

श्री किशनलाल शाह—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १५ के सब क्लॉज़ (१४) पर।

श्री सभापति—आप अपने अमेन्डमेन्ट को अब मूव नहीं कर सकते। जब आपकी टर्न आयी थी तो आप उपस्थित नहीं थे। इसलिये उसको मूव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री किशनलाल शाह—माननीय चेयरमेन, मैं भैरोसिंह जी के अमेन्डमेन्ट पर बोलना चाहता हूँ। पहले के क्लॉज़ में एक बात स्पष्ट थी और वह यह थी कि पहले किसको संरक्षण दिया जाय, प्रायोरिटी किसको दी जाय। हालां कि इसके पक्ष और विपक्ष में जो दलीलें दी गई हैं उनमें यह आवाज स्पष्ट थी कि चाहे सदस्यगण किसी भी राजनैतिक पार्टी का चोला पहने हुए हों, चाहे जागीरदार हों, चाहे जनसंघी पार्टी का चोला पहने हुए हों यह पाया गया। "Blood is thicker thanr water" और यह दलील दी गई कि पहले जब तक खुदकाश्त का मसला तय नहीं हो जाता तब तक इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सब क्लॉज़ (१४) के बारे में आगे बहुत काफी गलत फहमी हो सकती है और गलत कार्यवाहियां हो सकती हैं और इसकी आड़ में नया वितन्डावाद या और कोई भी बुराई खरीदी जा सकती है। आवश्यक यह था कि मारवाड़ टीनेन्सी एक्ट आने के बाद या उस समय जो काश्तकार थे या उस तारीख में थे, ६-४-४९ या ४८ से पहले जिनका पर्सनल कल्टीवेशन था उनको खुदकाश्त माना जायगा। तो पहले इस प्रकार,

[श्री किशनलाल शाह]

के खतेदारो के राइट दिये गये। पहले थे या नहीं, यह बात तो इन्क्वायरी की रह जाती है। हो सकता है वह जो सवाल था वह रिमूव हो गया हो, ४९ में जब खातेदारी के राइट दिये गये वे भी बेकार होजायं। इसके बाद इसमें भी सेक्शन १४ पेन्डिन रखा गया है। इसमें भी खुदकाश्त टिनेन्ट और सब टिनेन्ट इन दोनों को खातेदारी राइट्स देने को एक्सक्लूड कर दिया गया और इसके बाद में आगे १६ में गैर खातेदारों के लिये है उसके लिये भी अलग प्रोवीजन है। जब सारी बातें तय हो जाती है तो इस सब क्लॉज़ (१४) को लिया जाना आवश्यक है। जब तक एप्लीकेशन पेन्डिग रहे, खुदकाश्त की सीमा निर्धारित न हो उस सीमा के मुकाबले जितनी दरखास्ते आये मान लीजिये वे दरखास्ते ९० से ९१ पर्सेन्ट तक हो, अगर सीलिंग बनने के बाद कितनी रिटें होंगी यह सब बातें पिछ तो छ महिने के अन्दर तय नहीं हो सकतीं। जब कि हम एक धारा १४ में अधिकार देते है और धारा १५ में उसको करटेल कर देते हैं। एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। यह जो अंग्रेजों का तरीका था हिन्दुस्थान को स्वराज्य आने के पहले गवर्नर जनरल या प्रोवीन्शियल ओटोनोमी थी उसमें क्या था? एक तरफ तो अधिकार देने की बात कही जाती थी और दूसरी तरफ उनको छीन लिया जाता था। इसी तरह की चीज इस बिल में मौजूद है।

धारा १४ में सब टिनेन्ट को खुदकाश्त के अधिकार नहीं दिये गये हैं और उसके बाद में धारा ४९ में पहले पांच साल के अधिकार कर दिये गये हैं। यह चीजें लॉ कोर्ट में तय होने की हैं। उधर तो गलत कार्यवाही रकॉर्ड ऑफ राइट्स में कर दी और इधर उनको फाइनेलाइज़ कर दिया। इसलिये सेक्शन १४ बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो इस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं कि हमारी दरख्वास्त पर यह पेन्डिग हो जाय तो यदि इसको इस तरह से पेन्डिंग कर दिया गया तो सारा का सारा एक्ट ही बिल्कुल बेकार होने वाला है। छः महिने या दो वर्ष सस्पेन्स में रखने का तरीका है। यह सोचकर कि गलत कब्जा है अब वह देना है अब वेजो लोग लगते है अपना पक्ष को मजबूत करने तो इसलिये कि वह जमीन फोरेस्ट विभाग के अन्तर्गत है। इस एक्ट के अन्दर खासतौर से खण्ड १४ व १५ खुदकाश्त के सम्बन्ध में हैं। एक धारा के अनुसार आप उसको अधिकार देते हैं खुद काश्त का और दूसरी धारा से यह कह दिया गया कि खातेदारी राइटस उसके एक नहीं होंगे।

तो इसका मान यह हुआ कि क्लॉज़ १४ में आपने जो दिया है क्लॉज़ १५ में उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया हैं। तो यह ऐसी मिसाल है कानून के विरोधीपन की कि इस एम्बिग्विटी की आड़ में आप यह सारा मसला तय करना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय नाथूरामजी ने जो संशोधन रक्खा है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस सब क्लॉज़ के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और दुबारा फिर हमारे एक माननीय मित्र की तरफ से यह रिक्वेस्ट

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

आई कि इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जावे, लेकिन इसमें पहले ही मत लिये जा चुके हैं और मत लेकर यह निश्चय हो चुका है कि इसको पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिये, तो इसका तो प्रश्न उठता नहीं : हमारे माननीय मित्र को....

श्री भीमसिंह—जो मत लिये गये थे वह डिसकशन पर लिये गये थे, न कि मिनिस्टर के रिप्लाई देने पर या पोस्टपोन होने पर ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह निश्चय हो चुका है कि आज ही यह कन्सीडर किया जाना चाहिये, पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह—अगर सीरियसनेस मालूम होती है इस बारे में तो सदन इसे फिर वापिस डिसकशन के लिए ले सकता है ।

श्री बृजसुन्दरशर्मा—अगर ऐसा प्रिसिडेन्ट हम कायम करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा । सदन एक बार इसे पोस्टपोन करना नामन्जूर कर चुका था, दुबारा किसी प्रकार से ऐसी रिक्वेस्ट पर गौर नहीं होना चाहिये ।

इस क्लॉज़ के रिडन्डेन्ट होने के बारेमें हमारे माननीय मित्र नाथूरामजी ने, कपिलदेवजी ने और शाहजीने निवेदन किया है; मेरे विचार से भी यह क्लॉज़ तो वास्तव में रिडन्डेन्ट है और इसका प्रोवीजन जागीर रिजम्शन एक्ट में आ चुका है कि किन किन जमीनों पर खुद काश्त के राइट्स मिल सकेंगे और किन किन पर नहीं मिल सकेंगे । पर इस पर मेरा कहना है कि वह एक अलग एक्ट है । उसके प्रोवीजन अपनी जगह पर रहेंगे ।

लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या उस समय तक जितनी भी जमीन है जागीरी एरिया में, उस पर खातेदारी हकूक को देना बन्द कर दिया जावे ? अगर इसको रखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी काश्तकार को चाहे कितनी ही पुरानी हकदारी हो खातेदारी राइट्स उसको नहीं मिलेंगे और वह सेक्शन १६ का और बाकी की और ऐसी ही धाराओं का कोई फायदा नहीं उठा सकेगा । तो यह एक बहुत ही अन्याय की बात होगी और वह अन्याय इस क्लॉज़ के रहते हुए होगा । तो इस अन्याय से बचने के लिये इस क्लॉज़ को हटाना ही उपयुक्त होगा और जिस जमीन पर वह काश्त कर रहा है और उस पर अगर कायदे से उसको खातेदारी हकूक मिल सकते हैं तो उसको इस क्लॉज़ के जरिये रोका नहीं जा सकता है, और न रोका जाना ही चाहिये ।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इसलिये और जो सेक्शन १६ ए बढ़ाया गया है जागीरी रिजम्पशन एक्ट में इसका प्रोवीजन साफ है। जैसा कि माननीय मेरे मित्र कपिलदेवजी ने कहा कि जब यह कानून ड्राफ्ट किया गया था उस वक्त जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट पास नहीं हुआ था, इसलिये इस प्रोवीजन को रख दिया गया था। परअब जब कि जागीरदारी रिज़म्पशन एक्ट पास हो चुका है और उसमें खुदकाश्त का प्रोवीजन रख दिया गया है तो अब मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह सब क्लॉज़ (१४) बिल्कुल रिडन्डेन्ट है और इसको यहां से जरूर हटा दिया जाना चाहिये।

श्री भोलानाथ–उपाध्यक्ष महोदय, वैसे शुरू में जो विचार था कि इस क्लॉज़ को पोस्टपोन किया जावे उसको हाउस एक बार नामंजूर कर चुका है। ऐसी स्थिति में यह सवाल है कि अब इस पर निर्णय हाउस का हो जाना चाहिये।

माननीय भैरोंसिंह जी ने एक बात कही, पर जो बात थी नहीं, ऐसी बात में वे बिल को रुकवाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आया यह क्लॉज़ फिर से मुल्तवी किया जावे या नहीं, यह फैसला नहीं हुआ। उनका तो यह कहना था कि जो मुझको मालूम हुआ है कि हाउस में इस क्लॉज़ को कन्सीडर किया जावे अभी ही, अब कन्सीडर करने के बाद चूंकि सम्बन्धित मन्त्री महोदय आज उपस्थित नहीं हैं और इस पर से अगर यह महसूस किया जावे कि इस कारण से इस क्लॉज़ को मुल्तवी कर दिया जावे तो ऐसा किया जा सकता है और इस पर फिर बाद में विचार किया जा सकता है। हम इस तरह से समय समय पर बहुत से औरक्लॉज़ेज़ मुल्तवी कर रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हम ऐसा पहले भी करते रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं कह देता हूँ। अगर कोई चीज तैयार नहीं है तो उसके लिए समय दिया जा सकता है। आखिर में पास किया जावे या न किया जावे यह तो विचार करके निर्णय करना हाउस का ही काम होगा, पर इसको थोड़ा और सोच लिया जावे और इस विचार से इसको मुल्तवी किया जाए तो इस तरह से सोच लेने में कोई मना नहीं होती। यह मेरी अपनी राय है। पर अगर मिनिस्टर कन्सर्न्ड की राय में यह स्पष्ट है कि अभी फैसला हो जाना चाहिये तो ठीक है। पर अगर वे चाहते हों कि और विचार हो जाना चाहिये और फिर इस पर सदन द्वारा निर्णय दिया जाए तो इसमें हाउस का ऐसा कोई फैसला बाधक नहीं है, यह मैं स्पष्ट कर देता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसको पास करने और कन्सिडर करने के सिलसिले में जब एक बार निर्णय हो गया तो इसको रोकने के बारे में भी कोई दरख्वास्त दी नहीं गई है और मन्त्री महोदय तो इसको बहस का जवाब ही दे रहे थे तो इस सबका मतलब यह है कि हम तैयार हैं, इस पर विचार आज ही करके निर्णय कर लेने को। ऐसी स्थिति में इसको रोकने का सवाल ही क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री भीमसिंह—आपने कहा कि किसी ने दरख्वास्त नहीं की। मैंने बहुत खुलासा शब्दों में दरख्वास्त की थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे मानते नहीं हैं न। (हंसी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं तो एक बात सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पर यह दोषारोपण किया गया था कि हम सीरियसली इस पर विचार नहीं कर रहे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई बात नहीं हैं। ये दोषारोपण तो होते रहते है। इस पर हम नाराज हो जावें और जल्दबाजी करने लग जावें, यह ठीक नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, जब क्लॉज़ १४ पर पहले प्रॉपोजल आया कि उसको पोस्टपोन कर दिया जावे क्योंकि मिनिस्टर महोदय जो इससे सम्बन्धित हैं वे गैर हाजिर हैं तो इस पर हाउस ने विचार करके यह तय कर दिया कि वह पोस्टपोन नहीं किया जावे, इस पर आज ही विचार किया जावे और जब हाउस ने विचार करना प्रारम्भ कर दिया और काफी विचार कर लिया और अन्त में मिनिस्टर महोदय सारी बहस का जवाब भी देने को खड़े हो गये और अपना जवाब देना भी प्रारम्भ कर दिया तो यह सब्जेक्ट मैटर इन दी पजेशन आफ दी हाउस हो गया।

The subject-matter is in the possession of the House. Now it is none of the business of the Hon'ble Minister concerned to withdraw it or to adjourn the Session. It is for the House to decide whether to withdraw it or not. Once a discussion takes place, a clause or sub-clause is taken into consideration, it is for the House to decide whather to pass it or not. The Hon'ble Minister cannot go back on it or to adjourn the House, and now the view which has been placed by the Hon,ble Deputy Speaker तो मैं बताना चाहता हूं कि यह जो प्रॉपोजल रक्खा गया है कि जैसे औरबिलों की धाराओं को पोस्टपोन किया जा रहा है उसी तरह से इसको भी पोस्टपोन कर दिया जावे तो यह देरी करने में कुछ दो-चार इन्ट्रेस्टेड आदमी ही ऐसा प्रॉपोजल रख रहे हैं। जो वास्तव में इस की अहमियत को जानते हैं वे इसको जल्दी से विचारार्थ लेना चाहते हैं। पोस्टपोन होने पर दो-चार जो इन्ट्रेस्टेड प्रतिनिधि हैं वे ही इस बारे में कुछ तय कर लेते हैं और फिर उसी प्रकार इस पर प्रेस करते हैं। इसलिये मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आप इसे कभी भी पोस्टपोन करने की आज्ञा न दें। इसको आप आज ही हाउस में विचारार्थ रहने दें।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—यह जो सदस्य महोदय की सम्मति है वह ठीक है। लेकिन मन्त्री महोदय को यह अधिकार है कि अगर वे इस वक्त इस पर विचार न करके पुन: विचारार्थ पेश करने के लिए इसे पोस्टपोन कराना चाहते हों तो वैसा वे करा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस पर थियोरेटिकल यहां बहस हो। इसे मैं साफ कर रहा हूं। इस वक्त अगर वे यह समझते हैं कि इसमें और सूचना की जरूरत है तो हाउस इस बात के लिए कभी फोर्स नहीं करेगा कि इस पर आज ही बहस होकर कोई निर्णय हो जाय। ये कानूनी मसले है। इनमें काफी सोचने-समझने की जरूरत पड़ती है और इसीलिए कई बार हम बीच बीच के क्लॉज़ों को मुल्तबी करते भी रहे हैं। सिलेक्ट कमेटी में भी ऐसा हम कर लेते है और सदन में भी ऐसा होता है। ऐसा करना हाउस के अधिकार के बाहर नहीं जावेगा, पर स्वयं मन्त्री महोदय और ज्यादा समय लेना चाहते हों तो मुझे नहीं पता कि वे लेना चाहते हैं या नहीं। मैंने बहस भी नहीं सुनी। पर जो उसूल की बात है उसको मैंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री सज्जनसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे मित्र ने यह कहा तो मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी तक २-३ क्लॉज़ेज़ को पेन्डिग रखें और इस पर कन्सीडरेशन कर लें।

एक माननीय सदस्य—पेन्डिग रखा नहीं जा सकता है।

श्री सज्जनसिंह—जिस तरह कि सब क्लॉज़ (४) को कान्सीडरेशन के लिए पेन्डिग रखा हुआ है...

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री सज्जनसिंह—जहां तक हम समझे हैं कि डिस्कशन को पेन्डिग नहीं रखा जाय, ऐसा मैं समझता हूं कि अभी तक नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—मिनिस्टर कन्सर्न्ड और दूसरे सदस्यों का ख्याल है कि विवाद का निर्णय नहीं हुआ है। वे उत्तर देकर फाइनल करना चाहते हैं या मुतल्वी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिर्फ यह बात स्पष्ट कर देना है।

श्री भोलानाथ—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसी राय का पहले भी था कि कल तक के लिए पोस्टपोन किया जाना चाहिये, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ इस प्रकार की बातें कहीं कि जो न तो हाउस के लिए शोभा की बात थी और न उनके लिए, इसलिए कन्सीडरेशन आवश्यक समझा गया और इस पर कन्सीडरेशन हुआ। फिर भी अगर आवश्यक

[श्री भोलानाथ]

समझा जाता है कि कल के लिए पोस्टपोन किया जाय तो कल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। यह हाउस पर है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह हाउस की सम्मति की बात नहीं है, आप समझते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाउस की सम्मति तो लेनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस की सम्मति का विषय नहीं है। The Houes has nothing to do that आपकी इच्छा मुतल्वी करने की नहीं हो तो जवाब दे दीजिये।

श्री भोलानाथ—मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर हाउस पोस्टपोन करना चाहता है तो वह कर सकता है क्योंकि यह पहले भी ऐसे रखा था।

श्री उपाध्यक्ष—उसमें किसी मामले में राय जो वाजिब हो नहीं रखना, ऐसी बात नहीं है।

श्री भोलानाथ—इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह कल के लिये स्थगित किया गया।

श्री किशनलाल शाह—क्या मन्त्री महोदय की इच्छा पर मसला डिसाइड होना ठीक है, जब कि हाउस में एक राय यह है कि यह होना चाहिये और दूसरी राय है कि यह नहीं होना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष—हाउस को राय की बात बिल्कुल नहीं है। किस रोज क्या होगा, क्या लिया जायगा list of business में that is Speaker's job, इसी तरह से मिनिस्टर कन्सर्न्ड की है। हाउस के फैसले के खिलाफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता है; देर से पढ़ें या जल्दी पढ़ें या वापिस लें लें या with draw कर लें; यह सारा ही एक्ट मिनिस्टर कन्सर्न्ड ने with draw कर लिया था। हाउस नहीं रोक सकता है।

श्री किशनलाल शाह—Without the approval of the House ? It is a subject—matter which is in the possession of the House.

श्री उपाध्यक्ष—There are so many things in the possesssion of the House. हाउस में इस विषय में बहुत ज्यादा हो गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी,....

श्री उपाध्यक्ष—No debate can be allowed. It should be postponed for tomorrow or any other day the Minister wants, when he is prepared to take it. This is not a sub--jectmatter for debate.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो कर लिया। There is nothing in it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिनिस्टर महोदय ने इस क्लॉज़ को मूव कर दिया। आफ्टर consideration अगर वह उसको withdraw करना चाहते हैं तो हाउस की अनुमति चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह withdraw नहीं करना चाहते हैं। वह मुल्तवी करके बादमें इसका फैसला देना चाहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—टेम्पोरेरी withdrawal ही हुआ।

श्री जवानसिंह—एक दफा रूलिंग हो गया तो वाद-विवाद क्यों चल रहा है?

श्री हिम्मतसिंह—वह तो अपनी आदत से लाचार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—Now sub clause (15) of clause 15.

श्री भोलानाथ—इस पर डिसकशन तो होना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, वास्तव में सब क्लॉज़ (१४) की जो हालत है वही सब क्लॉज़ (१५) की हालत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Exactly so.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सिमिलर है तो अगर कन्सीडरेशन की हाउस की मरजी है तो कन्सीडर कर लिया जाय। यह प्रोविजो है यह तीनों......

श्री हरिकृष्ण व्यास—कन्सीडरेशन करने से क्या फायदा। बेकार की बातें करने से क्या फायदा?

श्री उपाध्यक्ष—बेहतर तो यही होगा कि यह मुल्तवी कर दिया जाय। अगर हाउस चाहे इसको अभी डिस्कस करना तो पहले हाउस इसके बारे में निर्णय ले ले, दोनों क्लॉज़ेज़ के बारे में और अगर मुल्तवी नहीं करना चाहते हैं और दूसरा निर्णय लेना चाहे तो हाउस ले सकता है।

इसमें ऐसी कोई मेटीरियल बात नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि यह सब क्लॉज़ेज, जैसा कि श्री बृजसुन्दरजी ने कहा है, यह डिस्कशन कनेक्टेड है......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बिल्कुल कनेक्टेड है।

श्री उपाध्यक्ष—और हाउस को दोनों पर एक साथ डिसीजन करना पड़ेगा तो इसको भी मुल्तवी किया जाय। अगर हाउस की इच्छा है कि बहस जारी की जाय तो जारी रखी जाय और मिनिस्टर चाहें तो मुल्तवी कर सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—बहस तो जारी रख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य—अब हाउस को स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—टिनेन्सी एक्ट तो बहुत लम्बा चौड़ा है।

एक अन्य माननीय सदस्य—आगे की क्लॉज़ेज जो हैं उनमें १८ गुना और १६ गुना कम्पेन्शेन के मामले हैं। वे इतनी जल्दी तय नहीं हो सकेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—We may now take sub-clause 15.

एक माननीय सदस्य—सब क्लॉज (१५) पर अभी तय हुआ था कि मुल्तवी करने की राय है। फिर हाउस में इस बारे में डिस्कशन करने की क्या ज़रुरत है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय हिम्मतसिंहजी ने कहा कि डिस्कशन हो जाय तो ठीक, मिनिस्टर का ज़वाब बाकी रह जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस में अभी मिनिस्टर इसको मुल्तवी करना चाहते हैं तो बहतर यह होगा कि मिनिस्टर इसका जवाब दें, फिर भी हाउस की यह इच्छा है कि डिस्कशन हो तो यह रेकार्ड किया जायेगा और मिनिस्टर बाद में भी देख सकेंगे। तो इसमें हाउस की क्या सम्मति है?

श्री हिम्मतसिंह—मेरी सम्मति तो यह है कि डिस्कशन जारी रहे और मिनिस्टर जब आयें तो जवाब दे दें।

Page No.74

श्री सोहनलाल भटनागर—आज के मिनिट्स मिनिस्टर के पास चले जायेंगे । कल के लिए रहेगा तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—Now sub clause (15) of clause 15.

श्री हिम्मतसिंह—हाफ एन अवर डिस्कशन के लिये टाइम होगया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह साढ़े ग्यारह बजे होगा।

श्री उपाध्यक्ष—हाफ एन अवर डिस्कशन के बारे में यह इनफॉर्मेशन है कि वह अभी मूव नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हाफ एन अवर डिस्कशन आज नहीं होगा और बाद में फिर इसके लिए सूचना दी जायगी।

कई माननीय सदस्य—खेल बना रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—सब क्लॉज (१५) पर जो एमेन्डमेंट्स हों वे लिये जाते हैं।

खण्ड १५ का उप खण्ड (१५)

श्री किशनलाल शाह—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा संशोधन है कि इस सबक्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय इस भू समस्या के क्रमिक इतिहास और क्रमिक सुधार में जो गवर्नमेन्ट की आज तक कए पोलिसी रही है उसी के हिसाब से यह सब क्लॉज़ (१५) रखा गया है और उसका आधार यह है कि जब तक खुदकाश्त के बारे में तय न हो जाय तब तक वह भूमि किसी दूसरे के अधिकार में नहीं आ सकती चाहे वह मामला लड़ाई में ही पड़ा हुआ हो और इसलिये जो खुदकाश्त में ज्यादा से ज्यादा ले और चाहे काश्त खुद न करता हो और अपना नाम रेकर्ड ऑफ राइट्स में गलत तरीके से दर्ज कराले तो भी उस भूमि पर दूसरे किसी को अधिकार न मिले, यह सब क्लॉज़ (१५) की मंशा है। दूसरे आदमी जितने भी बगैर भूमि के हैं उनको मिले न मिले, पर एक विशेष दृष्टिकोण से किसानों पर रेस्ट्रिक्शन्स व बाधाएं लगाई गई हैं व खास दृष्टिकोण से प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जो एक वर्ग विशेष का दृष्टिकोण है और वर्ग विशेष के फायदे के लिये है। और एक तीसरा वर्ग और है जो रेगुलर्ली काश्त करने वाले उसमें आ जाते हैं तो उनको खातेदारी राइट्स से वंचित करने का एक तरीका है। एक से एक बढ़कर तरीका इसके लिये निकाला गया है। समाज की एक बहुत बड़ी आबादी को काश्त से वंचित करने की बात है। खुदकाश्त के बारे में इसमें लिखा है : "at the commencement of this Act one who is a tenant or admitted as a tenant or a tenant of Khudkasht is Khatedar tenant". जब उसमेंसे इसको निकाल दिया जाता है तो उसको फिरवापिस लाकर उसका khatedari right shall not accrue in the Khudkasht land, कन्फर्मेशन करना तब तक फोर एवर करने का प्रयास है। यह दूसरा हिस्सा दृष्टिकोण से विपरीत पड़ता है इसलिये यह मेरा संशोधन हैं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा का अमेन्डमेन्ट भी इस पर है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—श्री नाथूरामजी ने अपना अमेन्डमेन्ट पहले ही मूव कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता की अनुपस्थिति में उनका संशोधन मूव नहीं किया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब क्लाज़ (१५) को ओमिट किये जाने के बारे में जो तरमीम माननीय नाथूरामजी ने पेश की है उसका मैं समर्थन करता हूं। जागीर रिज़म्पशन एक्ट में और उसके बाद इस बिल में जो प्रोविजन्स आगे आने वाले हैं उनका एक मात्र उद्देश्य यह रहा है और खुदकाश्त को जो हमने डिफाइन किया है उसमें भी खुदकाश्त की जमीन जो दी जाय उस पर क्या अधिकार हों और उस व्यक्ति के क्या अधिकार हों जिसके पास खुदकाश्त की जमीन है, इस बारे में प्रकाश डाला गया है। जब खुदकाश्त की जमीन दूसरे को सब-लेट की जा सकती है तब किन किन सूरतों में टिनेन्ट्स के राइट एक्रयू हो सकते हैं और किन किन में नहीं हो सकते, इसका जो सेक्शन १५ है वह इसका गवर्निंग क्लॉज़ है—

"Lands in which Khatedari rights shall not accrue":—और यहां लिखते हैं "land held as Khudkasht" खुदकाश्त की जमीन पर खातेदारी राइट्स एक्रयू नहीं होंगे। जब खुदकाश्त का प्रोविजन अलग कर दिया है और वह इससे गवर्न नहीं होता है और आगे प्राइमरी राइट्स ओफ टिनेन्ट्स हैं और उनका जिक्र कर दिया गया है तो यहां पर इस क्लॉज़ का रहना रिडन्डेन्ट है क्योंकि खुदकाश्त की जमीन पर भी किन्हीं सूरतों में टिनेन्सी के राइट्स एक्रयू हो सकते हैं और लैंड होल्डर्स से सब टिनेन्ट्स भी किसी सूरत में कंपेन्सेशन ले सकते हैं या और किसी सूरत में खातेदारी राइट्स एक्वायर कर सकते हैं। ऐसी सूरत में इसको एब्सोल्यूट (absolute) बना देना गलत चीज है। आगे प्रोविज़न्स हैं जिनमे ऐसे राइट्स एक्रयू हो सकते हैं तो इस हालत में सब क्लॉज़ (१५) यहां से हटा देना चाहिये क्योंकि यह बिल्कुल बेमौके का है।

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नाथूरामजी ने सब क्लाज़ (१५) को डिलीट करने का रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कई परिस्थितियें और कई सूरतें ऐसी आती हैं जिनके लिये यह सब क्लाज़ रखा गया है। खुद काश्त की जमीन पर जो काश्तकार काश्त करते आ रहे थे और जिनके खातेदारी राइट्स पहले रजिट्रेशन

[श्री भीमसिंह]

से एक्रयू हो चुके हैं उनको बेदखल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। महज इसमें इतना ही आता है कि जिसमें कोई सब टिनेन्ट एग्जिस्ट करता हो या टेम्पोरेरिली जिसको जमीन एलोट की गई हो उसमें खातेदारी राइट्स कनफर करने का प्रश्न आवे, उसके लिये है। लेकिन स्वयं इस एक्ट में सब लेटिंग का क्लाज़ रखा है और उसमें एक सीमित अवधि रख दी है और जब एक सीमित अवधि रख दी है तो सब लेटिंग आसान करने की मंशा से रखी है तो ऐसी सूरत में इस सब क्लॉज़ को डिलीट करने से और भी पहले उतनी ज्यादा कांपलीकेशन्स आयेंगे। यदि यह रखा होता कि खुदकाश्त के लिये जो जमीन रखी है जमीन एक आदमी को खुदकाश्त के लिये दे दी जायगी और जमीन काफी होगी तो उस हालत में हम यह रख सकते हैं कि यदि सब लेटिंग का प्रश्न नहीं तो खुद हाथ से बोने का प्रश्न है, इसमें डिफरेन्स ओफ ओपिनियन नहीं है। यदि काश्त नहीं करते हैं तो जमीन रखने का अख्त्यार नहीं है, यदि यह चाहते हैं तो इसमें दो राय नहीं होती। लेकिन जब किसी आदमी को धंधे पर लगाने का प्रश्न उठता है, उसमें यदि बाधाएं डालते हैं तो उन आदमियों को धंधे पर लगाने के लिये सरकार के सामने समस्या खड़ी हो जायगी जिसको सुलझाने के लिये यह क्लाज़ रखा गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस क्लाज़ का विरोध सिरोंज से आनेवाले महानुभाव ने नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि यह क्लाज़ रिडन्डेन्ट हो जाता है क्योंकि आगे जाकर प्रोविजन रख दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि आगे जिस चीज को रखने का कहा जा रहा है वह इसकी मंशा की ताईद करती है। यदि इस क्लाज़ को रखने से इस बिल की मंशा का स्पष्टीकरण होता है, इसका खुलासा होता है और इसकी वजह से कोई अड़चन आने वाली नहीं है तो ऐसी हालत में इसको डिलीट करना नावाजिब होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको रिटेन करना वाजिब होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, इस एक्ट में तीन तरह के टिनेन्ट माने गये हैं; खातेदार, गैरखातेदार और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त।

क्लॉज़ १४ में सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स देने से एक्सक्लूड कर दिया है।

१६ ए. बी. सी. के प्रोविजन्स हैं उसमें, सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स लेने का अधिकार दिया है। इस एक्ट में सब से बड़ी चीज यह है कि सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स देने का अधिकार दिया है। माना कि मुफ्त में नहीं मिलेगा यह अधिकार फिर भी जो कुछ मुआवजा देकर वह खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर सकेगा ऐसा इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। यह सब क्लाज़ रखने से यह अधिकार खत्म कर दिया जाता है इसलिये इस सब क्लॉज़ को यहां से ओमिट करना बहुत ही आवश्यक है।

श्री श्रीराम गोयल—सब क्लाज़ (१५) पर बहस चल रही है। दरअसल क्लाज़ ११ के सब क्लाज़ (२) को मुलाहिजा फरमाया जाय तो पोजीशन साफ हो जाती है—"Where land is transferred in contravention of sub-section (2) of section 8, the transferee shall become a khatedar tenant thereof."

तो जैसा कि अभी मेरे माननीय पूर्व वक्ता ने फरमाया इस एक्ट में खास प्रकार से सब-टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स एक हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में यह जनरल रख दिया जाता कि एक नहीं होंगे तो यह कॉन्ट्राविन्शन हो जाता है। इसलिये इसको डिलीट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रोविजो के बारे में बहस।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि मैं जिस समय सदन में नहीं था, मेरे मित्रों से मुझे मालूम हुआ है कि एक माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर एक पर्सनल रिमार्क किया था। इसलिए मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ अर्ज करना चाहूंगा।

चूंकि मैं उस समय सदन में नहीं था, मैं नहीं कह सकता कि कहां तक दुरुस्त है। एक माननीय साथी ने सदन में यह फरमाया था कि आज की कार्यवाही के सम्बन्ध में जो कुछ मैंने कहा उसमें मेरा कुछ मोटिव था। मोटिव यह हो सकता है कि न तो कभी काश्तकार रहा और न मैं कोई खास जागीरदार ही हूँ, इसलिये यह समझा जा सकता है कि मैं इसमें क्यों इन्ट्रेस्ट लूं?

जिन माननीय सदस्य ने फरमाया, मैं साफ करना चाहता हूं, मैं मान सकता हूं कि उनके बराबर तो मैं बड़ा जागीरदार नहीं हूं पर मेरी बदकिस्मती कहिये कि मैं भी एक छोटा जागीरदार हूं और छोटे और मोटे का अगर कम्पेरिजन किया जायगा तो मेरे उन साथी से बड़े जागीरदार कई मिल जायंगे।

मेरे लिये यह भी कहा गया कि मैंने उम्र में कभी खेती की नहीं ··

श्री उपाध्यक्ष—मेरे ख्याल से ऐसा कोई मेटिरियल एक्सप्लेनेशन के लिये नहीं है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—जब मेरी एग्ज़िस्टेन्स ही वे नहीं मानते तो सफाई करने की जरूरत है। जहां तक मेरे काश्तकार होने का सवाल है, अपने हाथ से मैंने खेती नहीं की है, पर उन माननीय सदस्य ने यह जो कहा कि मैंने कभी आज तक खुदकाश्त भी नहीं रखी है तो मेरे माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बीकानेर इलाके में मेरे ५, ७ गांव हैं। वहां जावें तो उन्हें मेरे खेत मिलेंगे, नामुकिन हो कि उनके जितने बड़े फार्म न हों।

Page No.78

श्री उपाध्यक्ष—उनको तो एडवान्टेज ही होगा, आप ले जाइये । उनका तो एन्टर्टेनमेंट हो जायगा । (हंसी)

श्री कपलिदेव अग्रवाल—कुंवर साहब हम सबको साथ में ले कर चला जाय और फार्म दिखाये जायं । (हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हां, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी खुदकाश्त की जमीन है । तो इस तरह का इस बिल सम्बन्धी हमारे सदन की कार्यवाही में मेरा सेल्फ इन्ट्रेस्ट भी है । हां, यह बात दूसरी है कि कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है ।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, सब क्लॉज (१५) है उसके साथ सब क्लॉज (१६) लगाने का मेरा अमेंडमेंट है, वह इस प्रकार है :

"(xvi) land which is set apart for the purpose of collecting drinking water in any tank or tanks in the surrounding village or villages."

यह और एड किया जाय । सेक्शन १५ में यह है कि :

"lands in which Khatedari rights shall not accrue."

इसके अन्दर जो सब क्लॉज़ेज़ हैं, उनमें कहीं भी नहीं रखा गया है कि तालाबों और बड़े बड़े टांकों के जो पायतन हैं उन पायतनो के अन्दर टेकल करेगा या नहीं । वर्तमान स्थिति में राजस्थान के करीब करीब सभी डिविज़न्स में आदमियों और मवेशी के पीने के पानी के लिए तालाब हैं ।

अभी जागीरें खत्म होने के सिलसिले में जागीरदारों ने बहुत से इलाकों में बड़े बड़े तालाबों के पायतनों में ट्रैक्टरों से और दूसरी तरह से खेती करनी शुरू कर दी है या खातेदारी राइट्स दूसरों को बेचने शुरू कर दिये हैं । इससे आम जनता को और खास तौर से किसानों को और किसानों के पशुओं को पीने के पानी की दिक्कत रहती है । ऐसे गांवों में कहीं २ सौभाग्य से ही कूए मिलते हैं ।

बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के बहुत से इलाकों में बिना तालाब के पीने के पानी का सरता (पूरा पड़ता) नहीं । मुझे आशा है कि मेरे इस अमेंडमेंट को सर्व सम्मति से स्वीकार किया जायगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, ऐसे इलाके जहां पानी बहुत कम बरसता है वहां हो सकता है कि यह आवश्यक प्रतीत हो कि वहां सेफली पानी आ सके, इसके लिये केचमेंट एरिया इतना रखा जाय कि पानी बह कर तालाबों में चला जाय; यह ऐसा प्रश्न है कि रेगिस्तान

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

का इलाका है वहां इसकी आवश्यकता पड़ सकती है कि तालाबों के ऊपर की जमीन काश्त होने से सारे एरिया का पानी रुक जाता है तो मुश्किल पेश आ सकती है और इससे तालाबों में पानी की कमी आ सकती है।

लेकिन इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री महोदय इस पर सोचेंगे और इन्फॉर्मेशन लेने की आवश्यकता हुई तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है।

वास्तव में पानी रुक जाता है तो यह प्रोविजन बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है।

श्री श्रीमानसिंह—My amendment is—

"Add the following new sub clause (XVI) before the proviso to the clause (XVI) 'land including the Catchment area which is necessary for the purpose of collecting the water in the tank for the surrounding village or villages."

Mr. Nathuram Mirdha's purpose would be served if at the end of the sub-clause (iv), "land under shifting or unstable cultivation" It is added, "as the State Government may specify by a notification in the Rajasthan Gazette." His purpose is served by adding these words here instead of adding the whole proviso and adding as suggested by Mr. Motilal instead of Mr. Motilal's clause of the level for water, I suggest this clause I have said soby way of suggestion. Since you are all out for abolition of jagirdari and since you have taken the view that the mortgagee of tenancy rights will not get khatedari right, his position should have been made clear here and an additional sub-clause should have been added here that khatedari rights shall not accrue in—

"(xvi) land transfered by a mortgage to which the provisions of section 32 will apply."

श्री उपाध्यक्ष—Are you proposing some new amendment.

श्री श्रीमानसिंह—It is just a suggestion, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यदि माननीय सदस्य का...

श्री उपाध्यक्ष—You give in writing

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बहस तो करलें, क्या एड करना चाहते हैं ?

श्री श्रीमानसिंह—Let me explain first.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I thought you had finished.

श्री श्रीमानसिंह—Section 32 of the Tenancy Bill is there which clearly says that the man to whom property is mortgaged does not get khatedari rights. Khatedari rights will not accrue to the mortgagee of property. In that case our purpose is served if we...

श्री उपाध्यक्ष—You send your amendment in writing.

श्री श्रीमानसिंह—It is not an amendment, it is just a suggestion.

श्री उपाध्यक्ष—How will it come to me ? He says it is a suggestion, It may be also considered.

श्री श्रीमानसिंह—You add a sub-clause here.

श्री उपाध्यक्ष—You send in writing.

श्री श्रीमानसिंह—Khatedari rights shall not accrue in the land transferred by a mortgage to which the provisions of section 32 will apply.

कु० श्री जसवन्तसिंह—This is, Sir, very clear.

श्री उपाध्यक्ष—So it has been noted down. The Reporters have taken.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—The question is whether a mortgagee of tenancy rights can acquire khatedari rights or not ?

श्री उपाध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—श्रीमानजी के सुझाव के बारे में बहस हो जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Yes, Shri Brijsunder.

श्री बृजसुन्दर—The question which my friend has raised whether a mortgagee can acquire tenancy rights or not, whether it should be included in this sub-clause that khatedari rights shall not accrue to a mortgagee ? Ordinarily so long as he is a mortgagee, ordinarily khatedari rights do not accrue to a mortgagee : but in cases whether the term of mortage expires and the period of limitation for redemption expires and that mortgagee is in possession of land then the question will arise whether such a mortgagee in possession whose term of possession and whose right of redemption has expired and there is no right of redemption with the mortgagor tenant must get those rights after the commencement of this Act because he has been in possession of that land long before and that term having expired, he gets khatedari righis.

श्री श्रीमानसिंह—Section 32, you just have a look at it. After twenty years a mortagagee becomes a trespasser.,

श्री बृजसुन्दर—That will be the case after the coming into force of this Act but the position of those mortgagees who are in possession of land for the last sixty to seventy years and they are still entered as mortgagees and the rights of redemption have been expired, they will claim Khatedari rights of mortgagor, having expired they have become full fledged tenants.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Then, Sir, after the commencement of this Act no mortgagee will get the rights of khatedari ?

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेअरमेन, इसमें मुगालता हो रहा है। इसके लिये क्लॉज़ ३२ में मोर्टगेज के फंडामेंटल प्रिन्सिपल के बारे में जिक्र किया गया है। जब मोर्टगेज होता है तो वह मोर्टगेजी के हक में जिस चीज को मोर्टगेज करता है, ट्रान्सफर कर देता है। और simple mortgage, usufructuary mortgage there are 6 types of cases जिनमें जैसा कि क्लॉज़ ३२ में दिया हुआ है वह जमीन २० साल के बाद, चाहे उसका पेमेंट हो या न हो खुद ब खुद अपने आप उस मोर्टगेजर को रिडीम हो जाती है इससे यह साफ है कि खातेदारी राइट्स जो हैं वे किस आदमी के रहेंगे। खातेदारी राइट्स बसिलसिले मोर्टगेज़ ट्रान्सफर हो जावेंगे और उस पर एक्शनहोगा और उसको वही हक होंगे जो खातेदार काश्तकार को थे और वे ही रहने चाहिये। हमारे यहां इस सम्बन्ध में पर्चे होते हैं जिसमें खातेदारी का खाना भी होता है। उसमें लिखा जाता है कि फलां राहिन और फलां मुरतिक। ये सब चीजें टेम्पोरेरी पीरियड के लिये होती हैं। इसलिये न तो इस क्लॉज़ में मैं समझता हूँ किसी चीज को एड करने की जरूरत है और न गुंजायश ही है।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा दूसरा एमेन्डमेंट सीरियल नं० २४५ पर है, लेकिन दोनों में एक ही बात है। इनके उद्देश्य वही हैं जो पहले १६ में रखा है। वर्डिंग्ज का डिफरेन्स है जो पहले रह गये थे। पहले १६ में प्रिंटिंग मिस्टेक से रह गया था जैसे "collecting of drinking water" इसके बाद में in any tank छपा है; drinking water के बाद में रीड "in any tank"

श्री बृज सुन्दर शर्मा—"collecting" के बाद "of" नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—"collecting" के बाद 'of" नहीं आता।

श्री बृजसुन्दर—"for the purpose ef collecting drinking water" होना चाहिये 'ओफ' तो ग्रामेटिकली रोंग है।

श्री मोतीराम—इसके बाद और कोई नई बात नहीं है। तो यह इस प्रकार है "Land including the catchment area which is necessary for the collection of water in the tank"

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Catchment area of a particular tank can be 100 miles. Set apart is definite, whereas catchment area is an indefinite term. सारा का सारा केचमेंट एरिया होगा जिसका सारा का सारा पानी नीचे उतर आता है।

श्री मोतीलाल चौधरी—पहले वाला ११६ नम्बर का अमेन्डमेन्ट है। उसमें नया सब क्लॉज़ (१८) प्रोविजो के पहले एड करने के लिए मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है जो इस प्रकार है: "collecting drinking water in any rank" नहीं करके "which is reqnired for the purpose of drinking water" हो। इसमें सिर्फ वर्डिंग्ज का डिफरेन्स है।

श्री उपाध्यक्ष—आप एक विचार सामने रखिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—"Land which is set apart for the purpose of Collecting drinking water to any tank or tanks of the surroveding village or villages" कर दिया जाय।

श्री भीमसिंह—'टेन्क' शब्द हटा देने से फिर लिमिटेशन का सवाल आ जाता है। बीकानेर में टेन्क को सर कहते हैं। अगर टांका शब्द लावेंगे तो किसी को एतराज नहीं होगा। पीने के पानी की अड़चनें बीकानेर में हैं। वहां कुन्ड होते हैं जिनमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो स्कोप वाइड रखा जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—श्री मोतीलालजी ने जो संशोधन रखा है उसकी लेन्गवेज बहुत ही दोषपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष– आप ही इसके लिए कन्सल्ट करके तय करा लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय मंत्री महोदय लॉ डिपार्टमेन्ट से कन्सल्ट करके इसकी लेन्गवेज टीक करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष—अब इस वक्त इसकी बहस में न पड़ा जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर—इसमें ये W [ii]--land used for casual or occasional cultivation in the bed of a river" आगे जोड़ दिया जाय। जयपुर टिनेन्सी एक्ट में है; "or land in the bed of a tank for which khatedari parchas have not been given"

श्री उपाध्यक्ष—यह अलग बात है। श्री एच. के व्यास।

श्री मोतीलाल चौधरी—ऐसा ही अमेंडमेन्ट जागीर रिजम्प्शन एक्ट के वक्त लिया गया था। उसमें भी सेम वर्डिंग्ज़ हैं। उसमें भी मेरा ही अमेन्डमेन्ट था।

दूसरा जो मेरे मित्र श्री भीमसिंहजी ने सुझाव रखा है उस सिलसिले में भी अमेन्डमेन्ट ११६ है। खातेदार टिनेन्ट्स को जो राइटस दिये हुए हैं........

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रोविजो के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष—प्रोविजो की बात चल रही है। यह फरदर एडीशन की बात थी। We have dicsaussed that. Now we come to proviso

श्री हरि कृष्ण व्यास—Mr. Dr. Speaker, Sir, I beg to move that the following proviso be added to this sub-clause:-

"Provided further that on any such land or part thereof being released from any of the above named purpose and on this section ceasing to apply to any such land or part there-of Khatedari rights would accrue to those persons to whom they would have accrued but for the provisions of this section in respect of any land covered by this section."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह जो प्रोविज़ो एड करने के सिलसिले में मैंने संशोधन दिया इसका तात्पर्य यह है, माननीय उपाध्यक्ष, कि ऊपर करीब २ लगभग श्री नाथूरामजी के अमेन्डमेन्ट मान लिये जावेंगे; यह मानते हुए भी १३ एक्सेपशन्स हमने किये हैं और उन १३ एक्सेप्शन्स में मिलीटरी एन्केम्पिंग ग्राउन्ड्स का जिक्र है, रेलवे का जिक्र है, केनाल बाउन्डरी का जिक्र है, गवर्नमेन्ट के होर्टिकल्चर गार्डन्स का जिक्र है, पब्लिक पर्पजेज़ के लिए लेन्ड एक्वायर की जाय उनका जिक्र आता है, इत्यादि। अब मान लीजिये कि जो केटेगरी इसमें से एक्सक्लूड हो गई और कुछ अर्से के बाद वो केटेगरीज़ सेक्शन १५ के मातहत आने से सीज़ हो जाय; मसलन एक गवर्नमेन्ट का होर्टिकल्चर गार्डन है और गवर्नमेन्ट उसको बन्द करने का निर्णय करले और वह फिर छः महीने के बाद गार्डन न रहे। अब सबक्लॉज़(१५)के तहत वह लेन्ड नहीं आवे लेकिन जब वह रिलीज हो जाये तब आफ्टर दी रिलीज़ यह क्लाज लागू होगा या नहीं और जिस दिन वह लेन्ड रिलीज़ हो जाय उसे देने के राइट्स तय हुए नहीं हैं और राइट्स होंगे दरमियानी अर्से में, तो ऐसी हालत में उस जमीन का क्या होगा ? तो मेरा संशोधन है कि ऊपर लिखित केटेगरीज़ में से लेन्ड रिलीज़ हो गई है तो यह प्रोविज़न होना चाहिए कि "on the land being so released and the provisions of this section ceasing to apply to that land, khatedari rights will accrue to a person to whom they would have accrued but for the proviso of this section."

यदि इस सेक्शन की वजह से बन्धन हो जाता है और उस बन्धन की वजह से लोगों को हकूक नहीं मिलें और यदि बन्धन टूट जाते हैं, जिनकी की वजह से हकूक नहीं मिलें तो उनके टूटते ही आटोमेटिकली हकूक मिल जांय। मेरा खयाल है कि यह अमेन्डमेन्ट बहुत ही वाजिब और जरूरी है। यह चीज मानी जानी चाहिए और इस बिनाय पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मान लिया जायगा।

(विराम)

शायद "कांव-कांव" कर रहे हैं इसलिए कोई जवाब भी देना चाहते हैं।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**—जो संशय हमारे मित्र ने किया है वह संशय रहना तो नहीं चाहिए। क्लॉज़ १५ में यह लिखा है कि "Lands in which Khatedari rights shall not accrue.—"

तो ये शब्द हैं और उसमें लिमिटेशन रखी हुई है। हमारे माननीय मित्र इसमें एक एडीशन कराना चाहते हैं और वह इस बारे में एडीशन कराना चाहते हैं कि अगर किसी वक्त लिमीटेशन है और जमीन नहीं रही और रिलीज़ हो गई तो खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए किसी तरह की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए और इस तरह से खातेदारी राइट्स मिल सकते हैं। इसमें कोई चीज डिनाइ नहीं की गई है। राइट्स उसमें है और ठीक तरह से इसको इन्टरप्रेट किया जाय, इसका भी यही मतलब निकलेगा। मान लीजिये कि एक फोरेस्ट लेन्ड है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

गवर्नमेन्ट उस फोरेस्ट लेन्ड को नहीं रखती है, उस पर खातेदारी राइट्स एक्वायर किये जा सकते हैं। प्रोविजन है वैसे स्पष्टीकरण के लिए है। इन्टरप्रिटेशन के माने में यह प्रोविजो फालतू रहता है। उसकी पूर्ति इसके बगैर भी हो जायगी। मुझे इतना ही निवेदन करना है। जितना थोड़ा ज्ञान था मैंने निवेदन किया।

श्री श्यामलाल गोयल—श्री एच. के. व्यास ने जो प्रोविजो रखा है उसको मैं ऑपोज करता हूँ। उसका कारण यह है कि जब किसी काश्तकार से जमीन एक्वायर की जाती है तो उसको कम्पेन्सेशन दिया जाता है। अगर कम्पेन्सेशन न दिया जावे तो उसके मुकाबले में उसको दूसरी जमीन दी जाती है। अगर ऐसी जमीन बाद में जाकर रिलीज़ हो जाय और खातेदारी राइट्स उस शख्स को accrue हों जो शुरु में खातेदार था और जिसको कम्पेन्सेशन मिल चुका है; यह सही नहीं है। जो श्री एच. के. व्यास ने अमेन्डमेन्ट रखा है वह समझ में आने वाला नहीं है। अलावा इसके एक जमीन ली जाती है फोरेस्ट से। दो सौ साल तक एक फोरेस्ट रहा फिर सरकार महसूस करती है कि अब यह जमीन फोरेस्ट के लिए जरूरी नहीं इसको रिलीज़ किया जाय; सरकार ने उसको रिलीज किया और अब दो सौ वर्ष के बाद सरकार, जिसके खातेदारी राइट्स है, उसको रिश्तेदार को कहां टटोलेगी? यह प्रोविजो डिफेक्टिव है। वह जमीन लेन्डलेस टिनेन्ट को भी दी जा सकती है। तो ऐसे प्रोविजो को अगर मंजूर कर लिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि यह इम्प्रेक्टकेबल होगा और इसलिए मैं इसको ऑपोज करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—नाथूराम मिर्धा अपने अमेंडमेंट मूव करें।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं मूव कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह।

श्री भैरोंसिंह—मैं मूव करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, खातेदारी राइट्स एक्रयू न होने के सिलसिले में क्लॉज़ १५ रखा गया है। इसमें बहुत से अमेंडमेंट आये हैं उनमें से यह भी अमेंडमेंट है। एग्ज़िस्टिंग लॉ में जो खातेदारी राइट एक्रयू हो चुके हैं उनको क्लॉज़ १५ के दूसरे खंड को पढ़ेंगे, जहां प्रोवीजो रखा गया है उस दृष्टि से सब क्लॉज़ (१४) in existence रह जायगा तो इससे वह

[श्री श्रीदास गोयल]

साफ जाहिर हो गया कि क्लॉज़ १५ में यह वर्ड्स हैं "Notwithstanding anything in this Act or in the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act. 1952,......"

इसमें जो सब क्लॉज़ (१४) है उसमें यह होते हुए "Land situated in a jagir area until the application, if any, of the jagirdar concerned for allotment of Khudkasht has been finally decided, etc. etc..."इसके बावजूद 'शेल नोट' एक्रयू होते हुए भी एक प्रोवीजो रखा गया है, उसमें "must" रखा गया है, जहां खातेदारी राइट्स एग्ज़िस्टिंग लॉ के अन्तर्गत एक्रयू हो चुके हैं। यह १९५२ का एक्ट क्लॉज़ १५ "shall not accrue" वर्ड के साथ में फिट नहीं करेगा। यह प्रोवीजो इस बात की दलील है कि आगे जो हकूक पैदा होने वाले हैं,और जो पहले ऐक्रयू हो चुके हैं उनके संबन्ध में जो लेंग्वेज़ है वह क्लिअर नहीं हैं। एग्ज़िस्टिंग लॉ हैं उसके सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि मैंने इस संबन्ध में अभी ही अमेंडमेंट पेश किया है। मेरा अमेंडमेंट यह है कि अगर यह प्रोवीजो रहता तो "फरदर" वर्ड कम हो जायगा। "Provided further that land in which Khatedari rights have accrued before the commencement of this Act shall not be affected by the provisions of this section" यह अमेंडमेंट खास तौर से इस तरह से लिया है कि मेरा सब क्लॉज(१५) से संबन्ध नहीं। हां इन्डिपेन्डेटली इसका सम्बन्ध सब क्लॉज़ (४)से है। सब क्लॉज़ (४)डील वीथ करता है उन लेन्ड्स के मुतल्लिक जो "shifting or uucultivated" के सिलसिले में है।

खातेदारी का है वह बदस्तूर कायम रहे। उसमें "शेल नोट एक्रयू" एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे बहुत से केसेज़ हैं पंचवर्षीय योजनायें, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट, जहां सारे नये बांध बने हैं। मुझे जयपुर स्टेट का अनुभव है। भूतपूर्व जयपुर राज्य में मोरेल का बान्ध इसका जीता-जागता प्रमाण है। इसके नीचे आने वाली हजारों बीघा जमीन किसानों के पास है, जो जागीरी एरिया है, जिनके साथ जागीरदारों के ५० वर्ष से खातेदारी के संबन्ध प्राप्त किये जा चुके हैं। बहुत से जागीरदार ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने उनको खातेदारी के हक प्रदान कर दिये हैं। हम तो केवल बंधा हुआ लगान ही लेते हैं और वही लेना चाहते हैं तथा इन बन्धों के बन जाने से हमारे जो पुराने रिलेशन्स किसानों के साथ में हैं उनको खत्म नहीं करना चाहते। किन्तु जैसा कि जयपुर स्टेट टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन ९ में प्रकट करते हैं जिसका इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है इसलिये जो एग्जिस्टिंग खातेदारी के हक प्राप्त हुए हैं उनको इन्फ्लुएन्स नहीं करेंगे; ऐसे प्रोविज़न्स दूसरे मित्रों ने पेश किये है।

जयपुर टिनेन्सी एक्ट में यह मेन्शन किया है कि "Notwithstanding any thing in section 8 Khatedari rights shall not accrue in"और इसमें सब क्लॉज़ (एच) में यह यह तहरीर किया है।

[श्री श्रीदास गोयल]

"land used for casual or occasional cultivaticn in the bed of a river or land in the bed of a tank for which Khatedari parchas have not been given."

इसके बजाय अगर यह होता "for which khatedari Parchas have not been given," यह बदस्तूर रहता तो इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं रहती। एग्ज़िस्टिंग लॉ में जैसी परिस्थिति थी वैसीही बनी रहती१६५४में यह ख्याल किया होगा कि अब सेटलमैट होने का सवाल नहीं इसलिये पर्चे बांटने की कोशिश नहीं कीगई, इसको सेफगार्ड करने की कोशिश नहीं की। इसलिये यह एड किया जाय :

"Lands used for casual or occasional cultivation in the bed of a river or ands in the bed of a tank for which khatedari parchas have not been given"

इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। हजार बीघा जमीन किसी के है जिनमें जागीरदार और काश्तकार के बीच खातेदारी प्रथा है और जब तक सेटलमेंट नहीं होता खातेदारी के पर्चे नहीं दिये जा सकते जब कि उनको पहले से ही खातेदारी के राइट्स मौजूद हैं। तो इसके लिये रेवेन्यू बोर्ड का डिसीजन हो गया हैं ऐसे मामले अभी पेन्डिग हैं। इनके बारे में अदालतें भी किसी निर्णय पर नहीं पहुँचीं। अतः जिन जागीरदारों की लेन्ड होते हुए जिनके काश्तकारों के खातेदारी के ताल्लुकात है उनको अब क्या माना जाय? खातेदारी मानें या नहीं? ऐसी परिस्थिति में जैसा कि क्लॉज़ ५५ के सब क्लॉज़ (४) में जैसा कि यह है:—"Land under shifting or unstable cultivation"

इसमें आगे का लॉज़ था "For which khatedari parchas have not been given" एग्ज़िसटिंग लॉज़ के खातेदारी राइट्स जो मिल चुके हैं वे बदस्तूर कायम रहेगें। क्लॉज़ १५ से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तो ऐसी हालत में जैसे कि एक काश्तकार पजेशन रखता है जयपुर युनिट में, जयपुर टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत, वे उसके अधिकार बदस्तूर कायम रहने चाहिये और दफा १५ से वह हकूक दरअसल उसको मिल गया हैं।

Equity, Justice and good conscience' की भी यही अपील है कि उसके वे हकूक कायम रहने चाहिये थे परन्तु पर्चियों के ही केवल नहीं मिलने के कारण से उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिये। जयपुर टीनेन्सी एक्ट में तो वे अधिकार उसको मिल पाये और इसमें न मिल पावें, ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिये मैंने यह प्रोविजो रक्खा है कि :

"Provided further that land in which khatedari rights have accrued before the commencement of this Act shall not be affected by the provisions of this Act."

[श्री श्रीदास गोयल]

मैंने केवल वह वर्ड जो दूसरे अमेंडमेंट में थे, अन्डर एनी एग्जिस्टिंग लॉं अमेंड करते हुए यह प्रोविजो रक्खा है और वह इसलिए रखा है कि जिसकी दलील दी गई है उसके अनुसार जयपुर स्टेट के टीनेन्सी एक्ट के विपरीत खातेदारी राइट्स के लिए पर्चाज़ की कन्डीशन रख दी थीं।

इसलिए मेरा यह अमेन्डमेंट है और मैं यह मानता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर गौर फरमावेंगे और जयपुर स्टेट की दृष्टि से जहां ऐसी हजारों एकड़ जमीन है उसमें खेती करने वाले तमाम काश्तकारों को एफेक्ट करने वाला क्लॉज़ हो जाता है; तो उसको सही सही राहत मिले और उनके पुराने हकूक जो हैं वे रहें और जैसी की कॉन्स्टीट्यूशन की मन्शा है कि प्रोपर्टी के सिलसिले में जो अधिकार सब को है वे अधिकार किसान की जो प्रोपर्टी है खेत, उस पर भी रहने चाहिये, वे अधिकार उससे नहीं छीने जाने चाहिये और वे छीने भी नहीं जा सकते। तो इस तरह से इस मेरे संशोधन को स्वीकार करने से कॉन्स्टीट्यूशन की अवहेलना भी नहीं होती है और काश्तकार के साथ जस्टिस भी होता है और नये बांध वगैरह बनाने से जो कम्प्लीकेशन्स और बाधाएं हो सकती हैं वे भी दूर हो जावेंगी। इसलिए मेरा यह अमेंडमेंट है और आशा है उसे आप स्वीकार करेंगे।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट श्री श्रीदासजी ने पेश किया है मैं उसके उसूल का समर्थन करता हूँ और जो ऑलरेडी इसमें सेक्शन है उसमें एक वायामीडिया सजेस्ट करता हूँ। इसमें क्लॉज़ १५ के आखिर में लिखा है

"Provided that nothing contained in sub-section (xiv) shall affect...

मेरा सजेशन यह है कि इसको इस तरह से किया जा सकता है। :

"Provided that nothing contained in this section shall affect the Khatedari rights that may have accrued under any existing law before the commencement of this Act."

तो यह एक मानी हुई बात है कि आज जो लॉ हम बना रहे हैं उसमें यह किसी की मंशा नहीं है कि किसी के खातेदारी राइट्स, किन्हीं फील्ड्स में पैदा हो गये हैं तो वे राइट्स उनसे छीन लिये जावें। अगर किसी टैंक के बेड में या रिवर के बेड में किसी को ऑलरेडी खातेदारी के राइट्स मिले हुए हैं तो वे खातेदारी राइट्स उसके रहने चाहिये और उससे वे खातेदारी राइट्स नहीं छीने जाने चाहिये। ऐसी बात जो अभी लॉ बने उसमें होनी चाहिये।

लेकिन इस वक्त क्लॉज़ १५ हमारे सामने जो रक्खा है इसकी मंशा यह है कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रिन्सिपल्स निर्धारित कर दिये जावें और वे प्रिन्सिपल्स निर्धारित कर दिये गये हैं कि फलां-फलां चीज ऐसी होगी जिनके लिये खातेदारी हकूक नहीं दिये जावेंगे। मतलब इसका यह है

[श्री श्यामलाल गोयल]

कि किसी जमीन में अगर ऑलरैडी खातेदारी के पर्चे मिल चुके हैं और इस एक्ट की तहत में अब तक अगर खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं तो उसको खातेदारी के राइट्स नहीं मिल सकेंगे और उसके परचे भी छीने जा सकते हैं।

बहस यह की जाती है कि इस सैक्शन में जो वर्ड हैं शुरु में कि "Notwithstauding anything in this Act or in the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, Khatedari rights shall not accrue in." इसमें "shall not accrue in" पर जोर दिया जाकर, यह कहा जा सकता है। "shall not accrue in" का मतलब यह है कि फ्युचर में खातेदारी राइट्स accrue नहीं होंगे। पर पर मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं और इसलिये भी नहीं कि अगर ऐसा होता तो जिस वक्त यह बिल बना था उसमें यह सब-सैक्शन (१४) के लिए यह प्रोविजो नहीं रखा जाता; जो इस तरह है? "Provided that nothing contained in subsection (xiv) of this secion shall affect khatedari rights that may have accrued under any existing iaw before the commencement of this: Act."

तो इससे मेरा कहने का मतलब यह है कि जब यह प्रोविजो ओरिजिनल एक्ट में रख दिया गया था तो उस वक्त इसका मतलब यह था कि "shall not accrue in". यह एक जनरल प्रिन्सिपल के लिए रक्खा गया है। इससे इसका मतलब यह नहीं था कि आइन्दा के लिए ही लागू होगा।

तो मैं यह चाहता हूं कि इसमें वह प्रोविजो जो श्री श्रीदासजी ने रक्खा है वह रहे या ऑलरैडी है वह रहे; क्योंकि इसको श्री नाथूरामजी मिर्धा ने दूसरे प्रोविजो से सब्स्टीट्यूट कर दिया है।

तो मैं यह चाहता हूं कि या तो यह प्रोविजो इस पूरे सैक्शन के लिए एप्लीकेबल करके रख दिया जाय या जो अमेन्डमेन्ड श्री श्रीदास जी ने रक्खा उसको रख दिया जावे। उन शख्सों को जरूर गार्ड किया जावे जिनको आलरैडी किसी ऐसी जमीन में खातेदारी हक हासिल हो चुके हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया है सैक्शन १५ में, उनके खातेदारी राइट्स कायम रहें।

लेकिन यह दलील कि जो माननीय सदस्य जिन्होंने पहले अमेन्डमेन्ट पेश किया है उन्होंने जो दलील दी उससे मैं सहमत नहीं हूं। अगर किसी शख्स को पुराने रूल में खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकते थे तो कोवेनेन्टिंग स्टेटों के थे उसके लिये वह चाहे कि खातेदारी राइट्स मिल जावें जबकि वे खण्ड १५ की एक्सेप्शन में आते हैं तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

आज यह मन्जूर किया जावे कि जिनको पहले खातेदारी राइट्स मिले हुए हैं वे ठीक हैं, जायज़ हैं, उनका अधिकार हैं। वे अधिकार उनसे स्नैच (snatch) नहीं किये जावें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट माननीय नाथूरामजी ने पेश किया है और इसको सब्स्टीट्यूट किया है वर्तमान प्रोविजो से तो यह इस वजह से नहीं कि यह वहां ऊपर नहीं होना चाहिये बल्कि इसकी आवश्यकता नहीं थी और आपको प्रोविजो एड करना था। पर दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका जो है वह तो इस बारे में है, shifting cnltivation form time to time" गवर्नमेन्ट टाइम टू टाइम बदलती रहे और गवर्नमेन्ट ऑर्डर कर दे तो उस सूरत में वह इधर से उधर पलट सकते हैं। वह प्रोविजो तो रहना चाहिये। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रोविजो जो कि पहले से ही मौजूद था और किसके लिये........

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए प्वोइन्ट ऑफ ऑडर, सर, Can an Hon' ble Memberspeak more than ance on the same clause ? क्या माननीय सदस्य सेम क्लॉज़ पर डिसकशन कर रहे हैं या किसी और पर ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अमेंडमेंट पेश होने के बाद में बोलने की इजाजत मिली। एक के बाद एक की बहस चल रही है। दुबारा फिर अमेंडमेंट करेंगें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो सबके लिय लागू होगा न ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यों तो पहले सब पेश जावें हो फिर डिसकशन चलता हैं।सब पर बहस हो जाती है ....

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो एक एक अमेंडमेंट अलग अलग लिये गये है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो प्रश्न यह होता है कि मौजूदा शक्ल में जो प्रोविजो है वह रक्खा जावे या श्री श्रीदासजी ने जो अमेंडमेंट रक्खा हैं उसके अनुसार सब्स्टीट्यूट किया जावे।

यह जो प्रोविजो है वह तो सब क्लॉज़ (१४) के लिये एप्लीकेबल था और (१४)के लिए ओमिट करने के बारे में अमेंडमेंट आ चुका है। उसको ओमिट करना है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसलिये यह प्रोविजो यहां से हटाना ही चाहिये।

दूसरा सवाल यह है कि क्या यह प्रोविजो जो हमारे माननीय सदस्य श्री श्रीदासजी गोयल ने एड करना चाहा है उसे एड करना चाहिये या नहीं।

यह तो सवाल है इन्टरप्रिटेशन का। तो यह ठीक सिद्धान्त है कि इन्टरप्रिटेशन का कोई भी राइट्स जो किसी पार्टिक्युलर एक्ट के तहत में एक्रयु हो चुका है उस राइट को यह एक्ट

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

नहीं ले सकता है। जो उनकी तरमीम है वह यह है कि—"provided that land in which khatedari rights have accrued before the comencemnt of this Act shall not be affected by the provisions of this Act" मेरा निवेदन यह करना है कि अगर पर्टिक्युलर एक्ट के तहत में किसी काश्तकार के राइट्स एक्रयू हो चुके हैं तो वह सबस्टेन्शियल राइट्स हैं जिनको कि यह एक्ट नहीं ले सकता है और जिस वक्त इन्टरप्रिटेशन का सवाल आयेगा तो उस वक्त वे राइट्स माने जायेंगे, इस एक्ट के तहत चाहे उनकी कोई भी शक्ल हो। इसलिए इस तरमीम की आवश्यकता नहीं रहती है और वह इन्टरप्रिटेशन के कायदे के मुताबिक हो जाता है। यह प्रोवीजो जैसा कि है कि खातेदारी राइट्स हैं और जिनको एक्रयू हो चुके हैं और रहेंगे, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

कई आवाजें—समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सभा की बैठक अब कल आठ बजे होगी।

(सदन की बैठक १२ बजकर २ मिनट मध्यान्ह में दिनांक १९ अगस्त, १९५४ बृहस्पतिवार के ८ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१८ अगस्त १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

प्रश्न

[वे तारांकित प्रश्नोत्तर, जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है]

१४३५. (२८७ एन. एम.) श्री भूलजी भाई भाबलार, एम.एल.ए. डिविजन नंबर ३८— क्या सिंचाई मंत्री निम्निलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला बांसवाड़ा तहसील बागीडोरा के मलवासा तालाब का ठेकेदार कौन था और कब से ठेका दिया गया था ?

(ख) मलवासा तालाब पर अब तक कितनी धन-राशि खर्च हुई है और अब कितना काम अपूर्ण है ?

(ग) मलवासा तालाब पर काम करने वाले हरिजन किसान मजदूरों को मजदूरी ठेकेदार द्वारा चुकाना कितनी बाकी है ?

(घ) क्या यह बात सही है कि नत्थेखां ठेकेदार हजारों की मजदूरी का पेमेन्ट बिना किये ही पाकिस्तान को चला गया ? यदि उत्तर हां में हो तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने हरिजनों की मजदूरी का पेमेन्ट चुकाने की क्या व्यवस्था की ?

उत्तर

(क) नत्थेखां ठेकेदार था और ठेका ता० १८-३-५२ को दिया गया था।

(ख) ७००४०) रुपया खर्च हो चुका है और २९५४०) का अब और काम करना बकाया है।

(ग) इस विभाग में इसका रेकॉर्ड नहीं है और यह काम डिपार्टमेन्टली नहीं हो रहा है।

(घ) इस बात का सही इल्म नहीं है पेमेन्ट सब मजदूरों का करना ठेकेदार का जिम्मा है।

प्रश्न

1437. (293/F.M) Shri H.K. Vyas, M.L.A.(Div. NO. 160): Will the Minister for P. W. D. be pleased to answer:-

(a) What is the total amount so far assessed as defalcated in the Jaipur Power House ?

(b) Has a report been made to the Accountant General, Rajasthan ? If so on what date was the report made and what is the amount mentioned in that report ?

(c) Was any prelminary enquiry conducted in this respect ?

उत्तर

(a) The total amount upto 12th June assessed as defalcated in the Jaipur Power House was Rs 2, 42, 672/5/-.

(b)Yes, on the 12th June, 1954. The amount mentioned in the report is as stated above.

(c) Yes, it is in progress.

प्रश्न

१४३८. (३१४/एफ. एम.). श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए. डिविजन नंबर ७२— क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ठिकाना बनेड़ा के, उसे सरकार द्वारा १-७-५४ से अपने अधिकार में लेने के बाद, १० तालाब अति वर्षा के कारण फूट गये हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि सरकार के अधिकार में लेने के बाद जो ये १० तालाब फूटे हैं उनसे कई साधारण किसानों की काश्त को काफी नुकसान हुआ है ?

(ग) क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र इन फूटे हुए तालाबों की मरम्मत कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(क) हां कुछ तालाबों के फूटने की सूचना तहसीलदार द्वारा मिली है ।

(ख) इसकी कोई सूचना अभी तक सरकार को नहीं मिली ।

(ग) इसका उचित प्रबन्ध किया जायगा ।